

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित
निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 विद्युत प्रसारण उपक्रम यथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यकारी सांराश

राजस्थान में विद्युत प्रसारण एवं ग्रिड संचालन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है। 31 मार्च 2012 को आरआरवीपीएनएल के पास 42972.50 एमवीए की क्षमता के साथ 418 जीएसएस एवं 220 केवी पर 17425 एमवीए प्रतिवर्ष पारेषित करने में सक्षम 28363.28 सीकेएम की प्रसारण लाईनें थी। 2007-12 के दौरान आरआरवीपीएनएल ने विद्यमान क्षमता को 10533 एमवीए तक बढ़ाने के अलावा 115 जीएसएस (7250 एमवीए) एवं 233 लाईनों (7308.33 सीकेएम) का निर्माण किया। विद्युत का प्रसारण 2007-08 में 34519.12 मिलियन इकाईयों (एमयूज) से बढ़कर, मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान 38.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 2011-12 में 47977.61 एमयूज हो गया। 2010-11 में आरआरवीपीएनएल का टर्नओवर ₹ 1652.55 करोड़ का था, जो कि राज्य पीएसयूज के क्रमशः 5.48 प्रतिशत एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.51 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को आरआरवीपीएनएल में 9157 कर्मचारी कार्यरत थे।

नियोजन एवं विकास

आरआरवीपीएनएल ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान ईएचटी जीएसएस एवं ईएचटी लाईनों हेतु लक्षित परिवर्धन प्राप्त किया था। ईएचटी लाईनों के मामले में 6935 सीकेएम के लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक परिवर्धन 7308.33 सीकेएम (105.38 प्रतिशत) था। वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता परिवर्धन एवं इसके समक्ष वास्तविक निष्पादन से प्रकट हुआ कि 2007-12 के दौरान 220 केवी के 31 जीएसएस के नियोजित परिवर्धन के समक्ष वास्तविक परिवर्धन 132 केवी से 220 केवी श्रेणी में उच्चिकृत किये गये 13 जीएसएस को शामिल करते हुये 27 जीएसएस का था।

प्रसारण तंत्र का परियोजना प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ने टास्क फोर्स समिति की अनुशंसाओं की पालना नहीं की थी एवं परियोजनाएँ प्रारम्भिक गतिविधियों को किये बिना ठेकेदारों को प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप समस्यायें यथा आरओडब्ल्यू, वन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता, बिना अड़चनों की भूमि की उपलब्धता इत्यादि आगे के स्तर पर चिन्हित की गई थी एवं परियोजनाएँ 2 व 64 माह के मध्य सीमा में विलम्ब से पूर्ण हुई थी। परिणामस्वरूप ₹ 56.40 करोड़ के कोष बिना किसी लाभ प्राप्ति के अवरुद्ध रहे एवं आरआरवीपीएनएल को ₹ 66.25 करोड़ मूल्य की 2055.79 एलयूज की प्रणाली व प्रसारण हानियों के रूप में कमी की परिकल्पित विद्युत बचत से वंचित रहने के अलावा अनुपयुक्त भूमि हेतु जेडीए के पास जमा राशि पर ₹ 2.16 करोड़ के टालनीय ब्याज का भार वहन करना पडा था। आरआरवीपीएनएल का नियोजन उत्पादन योजनाओं के अनुरूप नहीं था एवं यह आरआरवीपीएनएल व आरओडब्ल्यूपीएल द्वारा परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के कारण उपलब्ध समय में भी विद्युत निष्क्रमण तंत्र पूर्ण नहीं कर सका था।

प्रसारण तंत्र का निष्पादन

यद्यपि मार्च 2007 के अन्त में वार्षिक चरम मांग (4995.96 एमवीए) 7283.50 एमवीए की स्थापित प्रसारण क्षमता से पहले से ही कम थी फिर भी आरआरवीपीएनएल जीएसएस एवं लाईनों में संवर्धन द्वारा इसमें निरन्तर वृद्धि करता रहा। आरआरवीपीएनएल, आरईआरसी द्वारा जारी किये गये निष्पादन मानक विनियमन 2004 की अनुपालना नहीं कर सका। 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रसारण हानियाँ, सीईए के चार प्रतिशत के मानको के समक्ष 5.57 एवं 6.20 प्रतिशत के मध्य सीमा में थी। डिस्कामस् द्वारा वहन की गई प्रसारण हानियों

की कीमत, आरईआरसी द्वारा लक्षित सीमाओं के आधिक्य में, ₹ 1105.82 करोड़ मूल्य की 3594.598 एमयूज थी।

ग्रिड प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ग्रिड अनुशासन बनाये रखने में विफल रहा व 49.2 हर्टज के नीचे विद्युत आहरित की एवं एनआरएलडीसी ने जुलाई 2009 से मार्च 2012 के दौरान आरआरवीपीएनएल को 65 'सी' प्रकार के संदेश जारी किये।

आपदा प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ने व्यापक रूप से डीएमपी को लागू नहीं किया था। अधिकतम जोखिम रखने वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की भी पहचान नहीं की गई थी एवं क्षमताओं के परीक्षण हेतु पूरे राज्य में व्यापक कवायद नहीं की गई थी।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

आरईआरसी (मीटरिंग) विनियमन 2007 के तहत अंतरापृष्ठ एवं ऊर्जा लेखांकन व लेखापरीक्षा हेतु न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्टीकरण के रूप में निर्धारित मीटर की 0.2^{एस} श्रेणी परिशुद्धता के समक्ष केवल 71 जीटी बिन्दुओं पर 0.2^{एस} श्रेणी मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 57 एवं 14 जीटी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे। साथ ही, 494 टीडी बिन्दुओं में से केवल 176 बिन्दुओं पर 0.2^{एस} श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 266 एवं 39 टीडी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे।

वित्त प्रबन्धन

2008-10 के दौरान आरआरवीपीएनएल की वित्तीय स्थिति में अवनति हुई क्योंकि प्रति इकाई कुल लागत, वसूली से अधिक थी। ब्याज लागत, जो कि 2007-11 के दौरान 107.17 प्रतिशत तक बढ़ी, ने भी आरआरवीपीएनएल की लाभदायिकता को प्रभावित किया। आरआरवीपीएनएल ने 2007-12 के दौरान आरईआरसी के समक्ष एआरआर 29 दिनों व 116 दिनों के मध्य सीमा में विलम्ब से दायर की जिसके परिणामस्वरूप आरईआरसी द्वारा इसके अनुमोदन में विलम्ब हुआ। आरईआरसी

टैरिफ आदेश के क्रियान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रसारण प्रभारों की वसूली या तो पिछले वर्ष की दर पर अथवा अनन्तिम दर पर की गई। इस कारण से 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान एआरआर दायर करने में देरी के लिये प्रसारण प्रभारों की वसूली में विलम्ब से ₹ 4.22 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। साथ ही, निक्षेप कार्यों के लेखांकन हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं थी एवं निक्षेप कार्यों के अंतिम लेखों को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया गया था। आरआरवीपीएनएल ने 2010-11 के सिवाय 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत निवेश से ₹ 948.61 करोड़ का अधिक व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल को अतिरिक्त व्यय के 20 प्रतिशत समता भाग ₹ 195.72 करोड़ से वंचित होना पड़ा था। साथ ही, आरआरवीपीएनएल ने 2008-09 एवं 2009-10 की एआरआर के ट्रयुइंग अप के दौरान प्रसारण तंत्र की 98 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता हेतु ₹ 30.20 करोड़ के प्रोत्साहन का दावा नहीं किया था।

सामग्री प्रबन्धन

यद्यपि भण्डार-गृहों ने 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपभोग माह के रूप में अंतिम स्कन्ध अधिक संधारित किया लेकिन इसने ना तो कभी एबीसी विश्लेषण किया ना ही सामग्री की आवश्यकता हेतु कोई स्तर निर्धारित किया। साथ ही, क्रियान्वयन विभाग एवं प्रापण वृत्त के मध्य समन्वय के अभाव के कारण ट्रांसफार्मर्स का उपयोग नहीं किया जा सका एवं कन्डक्टर का अग्रिम प्रापण हुआ।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजनाएँ चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गयी थी एवं इसलिए, अतिरिक्त/कार्यहीन प्रसारण क्षमता वर्ष दर वर्ष बढ़ गयी। आरआरवीपीएनएल, प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना नहीं कर सका। आरआरवीपीएनएल दोषपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण

प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय पर पूर्ण नहीं कर सका। प्रसारण हानियाँ सीईए/आरईआरसी द्वारा निर्धारित किये गये स्तर से अधिक थीं। समीक्षा अवधि के दौरान पूँजी निवेश ने प्रसारण हानियों में प्रभावी कमी में योगदान नहीं किया था एवं हानियाँ सीईए व आरईआरसी के मानकों क्रमशः 4 एवं 4.2 प्रतिशत के समक्ष 6.20 प्रतिशत रही। उत्पादन परियोजनाओं के साथ प्रसारण परियोजनाओं के चालू होने में असंगति थी। आरआरवीपीएनएल ने ग्रिड उप-केन्द्रों पर आपदा प्रबन्धन योजना लागू नहीं की थी तथा उच्चतम जोखिम वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की पहचान नहीं की गयी थी एवं क्षमताओं की जाँच के लिये कभी व्यापक राज्य-व्यापी कवायद नहीं की गयी थी। आरआरवीपीएनएल नियत समय में एआरआर दायर नहीं कर सका तथा प्रसारण तंत्र की लक्षित से अधिक बढ़ाई गई उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का दावा नहीं किया गया था। पूँजीगत व्यय आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमत्य राशि से अधिक किये गये। अनुचित सामग्री प्रबन्धन के मामले दृष्टव्य थे जैसे कि स्कन्ध का उच्च स्तर रखा गया था, सामग्री

आवश्यकता से पूर्व प्रापण की गई थी एवं बे महत्वपूर्ण समयावधि के लिये निष्क्रिय रही। संवीक्षा में सात सिफारिशें जिसमें क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजना चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार करे; परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना करें एवं प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाए; प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करे; उत्पादन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के साथ प्रसारण तंत्र की पूर्णता सुनिश्चित करे; आपदा प्रबन्धन योजना को व्यापकता से लागू करना सुनिश्चित करे; आरईआरसी को एआरआर के समयोचित प्रस्तुतीकरण हेतु तंत्र विकसित करे; पूँजीगत व्ययों को आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार रखना चाहिए एवं स्कन्ध स्तर का विश्लेषण एवं निगरानी करे इत्यादि सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

2.1.1 वर्ष 2012 तक समस्त जन को विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार (जीओआई) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) बनाई। एनईपी में प्रसारण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पर्याप्त तथा समय पर निवेश किये जाने की आवश्यकता के अलावा देश में सन्तुलित तथा एकीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित किये जाने हेतु दक्ष एवं समन्वित कार्यवाही पर जोर दिया। इसने केन्द्र/राज्य के प्रसारण उपक्रमों के समन्वय से राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रिड को विकसित करने की आवश्यकता को भी चिन्हित किया। राजस्थान में विद्युत प्रसारण एवं ग्रिड संचालन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जिसे दक्ष, पर्याप्त तथा उचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबन्धन तथा विद्युत प्रसारण उपलब्ध कराने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है। आरआरवीपीएनएल, राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के क्रम में, जिसके तहत तात्कालिक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को पाँच¹ कम्पनियों में विभक्त किया गया था, अस्तित्व में आया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत 19 जून 2000 को समामेलित किया गया था तथा यह ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार (जीओआर) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत है।

आरआरवीपीएनएल का प्रबन्धन एक संचालक मण्डल में निहित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य शामिल हैं। दिन-प्रतिदिन का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जो कि आरआरवीपीएनएल के मुख्य कार्यकारी हैं, द्वारा निदेशक (संचालन), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), सचिव (प्रशासन) तथा कम्पनी सचिव की सहायता से किया जाता है।

संचालन एवं प्रसारण नेटवर्क का क्षेत्र

2.1.2 सुचारु कार्य एवं दक्ष संचालन हेतु, आरआरवीपीएनएल ने अपने संचालन क्षेत्र को तीन² मण्डलों में मण्डलीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में तथा उनके अर्न्तगत नौ³ प्रसारण एवं निर्माण वृत्तों (टीसीसी) में अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में विभक्त किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान आरआरवीपीएनएल द्वारा ऊर्जा की 34519.12 मिलियन इकाईयाँ (एमयूज) पारेषित की गई जो कि 2007-12 के दौरान 38.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2011-12 में 47977.61 एमयूज तक बढ़ गई। 31 मार्च 2012 को आरआरवीपीएनएल के पास 28363.28 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) तथा 220 केवी पर 17425 एमवीए प्रतिवर्ष पारेषित करने में सक्षम, 42972.50 मेगावोल्ट एम्पीयर (एमवीए) की स्थापित क्षमता के साथ 418 ग्रिड उपकेन्द्रों (जीएसएस) का प्रसारण नेटवर्क था। वर्ष 2007-12 के दौरान, आरआरवीपीएनएल ने विद्यमान क्षमता को 10533 एमवीए तक बढ़ाने के अलावा 115 जीएसएस⁴ (7250 एमवीए) तथा 233 लाईनों (7308.33 सीकेएम) का निर्माण किया।

1 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2 जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।

3 टीसीसी-I, II, V, तथा VI जयपुर मण्डल में, टीसीसी-IV, VIII तथा IX जोधपुर मण्डल में तथा टीसीसी-III तथा VII अजमेर मण्डल में।

4 इसमें 14 अभिवृद्धित जीएसएस यथा बाड़मेर में एक 220 केवी जीएसएस से 400 केवी जीएसएस तक तथा तेरह 132 केवी जीएसएस से 220 केवी जीएसएस तक शामिल हैं।

2010-11⁵ में आरआरवीपीएनएल का टर्नओवर ₹ 1652.55 करोड़ का था जो कि राज्य पीएसयूज के क्रमशः 5.48 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.51 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को इसमें 9157 कर्मचारी कार्यरत थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.3 जनवरी 2012 से मई 2012 के दौरान सम्पादित की गई वर्तमान निष्पादन लेखा परीक्षा आरआरवीपीएनएल के 2007-08 से 2011-12 के दौरान निष्पादन को शामिल करती है। लेखापरीक्षा में मुख्यालय पर स्थित विभिन्न शाखाओं, जयपुर में स्थित भण्डार-गृह, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के अभिलेखों की जाँच को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन मण्डलों में से जयपुर मण्डल तथा इसके अन्तर्गत चार टीसीसी में से तीन टीसीसी (I, II व V) को, समीक्षा अवधि के दौरान अन्य दो मण्डलों की तुलना में अधिकतम पूँजीगत व्यय तथा अधिकतम जीएसएस तथा लाईनों के निर्माण की पूर्णता एवं निष्पादन के आधार पर विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया गया था। 2007-12 के दौरान जयपुर मण्डल में पूर्ण किये गये 49 जीएसएस (3100 एमवीए) तथा 94 लाईनों (1996.33 सीकेएम) में से 1452.50 एमवीए (46.85 प्रतिशत) के 13 जीएसएस तथा 1485.58 सीकेएम (74.42 प्रतिशत) परिमाण की 31 लाईनों को विस्तृत जाँच के लिये चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2012 को 16 जीएसएस (10295 एमवीए) तथा 13 लाईनें (995.76 सीकेएम), जिनका कार्य प्रगति पर था, भी जाँचे गये थे।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में यह आंकलन करना था कि:

- परिप्रेक्ष्य योजना, एनईपी/योजना तथा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई थी तथा योजना की विफलता के प्रभाव का आंकलन, यदि कोई हो तो;
- प्रसारण तंत्र का संचालन एवं रखरखाव मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से किया गया था;
- प्रसारण तंत्र का विकास एवं स्थापना मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से किया गया था;
- अकल्पनीय रूकावटों से संचालन को सुरक्षित रखने हेतु दुर्घटना आपदा प्रबन्धन तंत्र स्थापित किया गया था;
- प्रभावी विफलता विश्लेषण प्रणाली स्थापित की गई थी;
- समय पर बिल बनाने व संग्रहण करने तथा टैरिफ पुनरीक्षण हेतु एकीकृत राजस्व आवश्यकता को समय पर प्रस्तुत करने पर जोर देते हुए दक्ष एवं प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की गई थी;

5 आरआरवीपीएनएल के वर्ष 2011-12 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था (अक्टूबर 2012)।

- माल के प्रापण व स्कन्ध नियंत्रण तंत्र हेतु प्रभावी एवं दक्ष प्रणाली की स्थापना की गई थी;
- राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तथा स्थापित ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार दक्ष एवं प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपाय किये गये थे;
- विद्यमान/चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु, चिन्हित कमियों से उबरने हेतु सुधारात्मक उपाय लिये गये तथा लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का त्वरित एवं पर्याप्त उत्तर देने हेतु निगरानी तंत्र मौजूद था;

लेखा परीक्षा मानदण्ड

2.1.5 लेखा परीक्षा मानदण्ड के निम्न स्रोत थे:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधान;
- आरआरवीपीएनएल की परिप्रेक्ष्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदन;
- मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावोत्पादकता, समता तथा नैतिकता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में ठेके प्रदान करने हेतु प्रमाणिक प्रक्रिया;
- आरईआरसी के समक्ष टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई एआरआर, परिपत्र, मैनुअल एवं एमआईएस प्रतिवेदन;
- प्रसारण नियोजन मानदण्ड का मैनुअल (एमटीपीसी);
- तकनीकी इन्टरफेस कोड (सीटीआई)/नियोजन, संचालन, कनेक्शन कोड को समाहित करने वाला ग्रिड कोड;
- राजस्थान सरकार/ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के निर्देश;
- आरईआरसी/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी मापदण्ड/दिशानिर्देश;
- "प्रसारण में श्रेष्ठ कार्यविधियाँ" की अनुशंसा करने वाला एमओपी द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन;
- प्रसारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पेचीदा तत्वों के विश्लेषण करने हेतु एमओपी द्वारा गठित टास्क-फोर्स का प्रतिवेदन; तथा
- क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (आरपीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.1.6 लेखापरीक्षा में निम्न मिश्रित कार्यविधि अपनाई गई:

- आरआरवीपीएनएल/संचालक मण्डल/आरपीसी/एसएलडीसी के एजेण्डा तथा कार्यवृत्त, वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखों तथा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों (आरईए) की समीक्षा;
- ऋण पत्रावलियों, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों की जाँच;
- वार्षिक बजट तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ पूर्णता प्रतिवेदनों के समकों का विश्लेषण;
- आरईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ की समीक्षा;

- परियोजना के निष्पादन, प्रापण, कोषों की प्राप्ति एवं व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच; तथा
- प्रविष्टि एवं समापन सभा के दौरान प्रबन्धन से संवाद।


लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गई कार्यविधि में शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या, मुख्यालय तथा चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षित इकाई के कार्मिकों से संवाद, लेखापरीक्षा मानदण्ड के सन्दर्भ में समकों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जारी करना, प्रबन्धन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार-विमर्श तथा सरकार/प्रबन्धन को ड्राफ्ट निष्पादन प्रतिवेदन जारी करना सम्मिलित था।

प्रसारण प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन

2.1.7 विद्युत के प्रसारण को उच्च वोल्टेज, सामान्यतया 132 केवी एवं अधिक, पर लम्बी दूरी तक ऊर्जा के थोक हस्तान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा संयन्त्रों में अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेज पर उत्पादित ऊर्जा को प्रसारण की हानियाँ कम करने एवं ग्रिड की दक्षता बढ़ाने हेतु पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है। जीएसएस, वोल्टेज को एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्टेप अप/स्टेप डाउन करने, विद्युत तंत्र को जोड़ने तथा प्रणाली के अन्दर व बाहर स्विचइंग उपकरणों हेतु उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली में प्रयुक्त सुविधायें हैं। उत्पादन केन्द्रों पर स्टेप अप प्रसारण जीएसएस, लम्बी दूरी तक प्रसारण हेतु वोल्टेज को बढ़ाने के लिये ट्रांसफार्मर्स का उपयोग करते हैं।

प्रसारण लाइनें उच्च वोल्टेज की ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। इसके पश्चात् स्टेप डाउन प्रसारण जीएसएस उपभोक्ताओं में वितरित करने हेतु वोल्टेज को उप-प्रसारण वोल्टेज स्तरों तक कम करते हैं। वितरण तंत्र में निश्चित वोल्टेज पर विद्युत प्रदान करने हेतु आवश्यक लाइनें, पोल्स, ट्रांसफार्मर्स तथा अन्य उपकरण शामिल होते हैं।

प्रत्येक प्रसारण तंत्र को नियंत्रण की एक परिष्कृत प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसे ग्रिड प्रबन्धन कहा जाता है जो मांग के समरूप ऊर्जा के उत्पादन को संतुलित किया जाना सुनिश्चित करता है। प्रसारण प्रक्रिया का चित्रात्मक निरूपण नीचे दिया गया है:



लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.8 हमने 9 अप्रैल 2012 को आयोजित प्रविष्टि सभा में आरआरवीपीएनएल को लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या की। तत्पश्चात्, जुलाई 2012 में लेखापरीक्षा परिणाम आरआरवीपीएनएल तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किये गये थे एवं 31 अक्टूबर 2012 को आयोजित समापन सभा में चर्चा की गई थी। समापन सभा में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आरआरवीपीएनएल एवं सचिव, राजस्थान सरकार (ऊर्जा विभाग) उपस्थित थे। आरआरवीपीएनएल/राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर दिये (नवम्बर 2012)। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय उत्तरों को ध्यान में रखा गया है। लेखापरीक्षा परिणाम आगामी अनुच्छेदों में विवेचित किये गये हैं:

नियोजन एवं विकास

राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना

2.1.9 केन्द्रीय प्रसारण उपक्रमों (सीटीयू) तथा राज्य प्रसारण उपक्रमों की समस्त संबंधित ऐजेन्सियों के समन्वयन से राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर नेटवर्क नियोजन तथा विकास करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। दसवीं योजना के अन्त तक (मार्च 2007), देश में 765/एचवीडीसी/400/230/220 केवी का प्रसारण तंत्र 1.98 लाख सीकेएम प्रसारण लाईनों का था जिसे कि 11वीं योजना के अन्त तक (मार्च 2012) 2.93 लाख सीकेएम तक बढ़ाये जाने की योजना थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना में 2006-07 के अन्त तक 14100 मेगावाट की कुल अर्न्तक्षेत्रीय प्रसारण क्षमता आंकलित की गई तथा 11वीं योजना में 23600 मेगावाट एवं बढ़ाते हुए कुल अर्न्तक्षेत्रीय क्षमता को 37700 मेगावाट तक लाने की योजना बनाई।

राजस्थान में, अर्न्त-राज्यीय प्रसारण तंत्र के नियोजन एवं विकास हेतु आरआरवीपीएनएल उत्तरदायी है। क्षमता परिवर्धन नियोजन हेतु मांग का आंकलन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्षमता परिवर्धन तथा वित्तीय हेतु पंचवर्षीय योजनाएँ एवं वार्षिक योजनाएँ, राज्य सरकार द्वारा निश्चित पूँजीगत बजटीय लागत के अनुरूप तैयार की जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ एवं वार्षिक योजना राज्य सरकार तथा आरईआरसी को प्रस्तुत की जाती हैं।


वर्ष 2007-08 के प्रारम्भ में आरआरवीपीएनएल के प्रसारण नेटवर्क में 25189.50 एमवीए की प्रसारण क्षमता रखने वाले 317 अति उच्च दाब (ईएचटी) जीएसएस तथा 21054.95 सीकेएम की ईएचटी प्रसारण लाइनें थी जो कि मार्च 2012 के अन्त तक 42972.50 एमवीए की प्रसारण क्षमता से 418 ईएचटी जीएसएस तथा 28363.28 सीकेएम की ईएचटी प्रसारण लाइनों तक बढ़ गये।

प्रसारण नेटवर्क तथा इनका संवर्धन

2.1.10 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ईएचटी स्तर पर आरआरवीपीएनएल की प्रसारण क्षमता नीचे दी गई है। समीक्षा अवधि के दौरान वोल्टेज-वार क्षमता परिवर्धन नियोजन, वास्तविक परिवर्धन तथा क्षमता परिवर्धन में कमी का विवरण **अनुबन्ध -7** में दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अ. जीएसएस की संख्या							
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	317	331	346	365	393	
2.	वर्ष के दौरान नियोजित परिवर्धन	15	17	23	30	30	115
3.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	15	17	23	32	28	115
4.	वर्ष के दौरान उच्चकृत जीएसएस	1	2	4	4	3	14
5.	वर्ष के अन्त में कुल जीएसएस (1+3+4)	331	346	365	393	418	-
6.	परिवर्धन में आधिक्य/ (कमी)(3-2)	-	-	-	2	(2)	-
ब. ट्रांसफार्मर्स क्षमता (एमवीए)							
1.	वर्ष के प्रारम्भ में क्षमता	25189.50	26102.50	28802.50	32589.00	38293.50	
2.	वर्ष के लिये नियोजित परिवर्धन /आवर्धन	1200.00	1600.00	2620.00	3180.00	3000.00	11600.00
3.	वर्ष के दौरान की गई क्षमता में वृद्धि	913.00	2700.00	3786.50	5704.50	4679.00	17783.00
4.	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	26102.50	28802.50	32589.00	38293.50	42972.50	
5.	परिवर्धन / आवर्धन में आधिक्य (कमी) (3-2)	(287.00)	1100.00	1166.50	2524.50	1679.00	6183.00
स. प्रसारण लाइनें (सीकेएम)							
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	21054.95	22017.11	23453.83	25204.30	27172.25	
2.	वर्ष के दौरान नियोजित परिवर्धन	1285.00	1400.00	1350.00	1850.00	1050.00	6935.00
3.	वर्ष के दौरान वृद्धि	962.16	1436.72	1750.47	1967.95	1191.03	7308.33
4.	वर्ष के अन्त में कुल लाइनें (1+3)	22017.11	23453.83	25204.30	27172.25	28363.28	
5.	परिवर्धन में आधिक्य/ (कमी)(3-2)	(322.84)	36.72	400.47	117.95	141.03	-

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आरआरवीपीएनएल ने ईएचटी जीएसएस एवं ईएचटी लाइनों के लिये लक्षित परिवर्धन प्राप्त कर लिया था। ईएचटी लाइनों के मामले में, वर्ष 2007-12 के दौरान 6935 सीकेएम के परिवर्धन के लक्ष्यों के समक्ष, वास्तविक परिवर्धन 7308.33 सीकेएम (105.38 प्रतिशत) था। इसी अवधि के दौरान, ईएचटी जीएसएस के लक्ष्यों की प्राप्ति ट्रांसफार्मर्स क्षमता में नियोजित परिवर्धन के समक्ष 153.30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता परिवर्धन तथा इसके समक्ष वास्तविक निष्पादन की जाँच में यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-12 के दौरान 220 केवी के 31 जीएसएस के नियोजित परिवर्धन के समक्ष वास्तविक परिवर्धन 132 केवी से 220 केवी श्रेणी में उच्चकृत किये गये 13 जीएसएस को शामिल करते हुए 27 जीएसएस का था। आरआरवीपीएनएल, तथापि, 400 केवी लाइनों में क्षमता परिवर्धन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा 2007-12 के दौरान 50.39 सीकेएम की कमी थी।



हमने देखा कि लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्यतया: 132 केवी जीएसएस तथा लाईनों के निर्माण तथा लक्ष्यों से अधिक आवर्धन किये जाने के कारण थी जिनका निर्माण/आवर्धन डिस्कामस् द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार किया गया था।

सरकार ने 220 केवी जीएसएस तथा 400 केवी लाईन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि चार जीएसएस की कमी, 132 केवी जीएसएस हेतु लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति को देखते हुए 220 केवी जीएसएस को स्थगित किये जाने के कारण थी।

कम उपयोग/निष्क्रिय क्षमता का विवेचन आगामी अनुच्छेदों में है।

प्रसारण तंत्र का परियोजना प्रबन्धन

2.1.11 एक प्रसारण परियोजना में परिकल्पना से स्थापना तक कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं। प्रसारण परियोजना में मुख्य गतिविधियाँ हैं (i) परियोजना प्रतिपादन, मूल्यांकन तथा अनुमोदन चरण तथा (ii) परियोजना निष्पादन चरण। परियोजना कार्यान्वयन अवधि में कमी हेतु, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रसारण परियोजनाओं हेतु एक टास्क-फोर्स का गठन (फरवरी 2005) इस उद्देश्य से किया, कि:

- प्रसारण परियोजना कार्यान्वयन में जटिल तत्वों का विश्लेषण किया जा सके;
- सीटीयू एवं एसटीयू की सर्वोत्तम कार्यविधि से कार्यान्वयन; तथा
- 24 माह की कालावधि हेतु एक माडल प्रसारण परियोजना समय-सारणी का सुझाव।

टास्क-फोर्स ने प्रसारण तंत्र में पूर्णता को त्वरित गति देने हेतु निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह एवं अनुशंसा की (जुलाई 2005)।

- विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, रूपरेखा एवं परीक्षण, वन एवं अन्य सांविधिक मंजूरी, निविदा गतिविधियाँ इत्यादि हेतु कार्यवाही परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानान्तर करने तथा एक बार प्रसारण लाईन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होते ही, निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाना।

- प्रसारण परियोजनाओं को इस प्रकार स्पष्ट रूप से परिभाषित पैकेजस् में बाँटा जाये कि पैकेजस् के प्रापण व क्रियान्वित कम से कम समन्वय एवं एकरूपता से की जा सके तथा साथ ही यह लागत प्रभावी प्रापण की सुविधा प्रदान करने वाली प्रतिस्पर्द्धा को आकर्षित करता हो; तथा
- टावर निर्माण की रूपरेखा मानकीकृत हो जिससे कि परियोजना निष्पादन में 6-12 माह की बचत की जा सके।

हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने टास्क-फोर्स समिति की अनुशंसाओं की पालना नहीं की थी। विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, रूपरेखा निर्माण एवं परीक्षण, वन एवं अन्य सांविधिक मंजूरी की कार्यवाही, जो कि समय पर परियोजना समाप्त करने के लिये आवश्यक थी, नहीं की गयी थी। सर्वेक्षण एवं रूपरेखा निर्माण इत्यादि से सम्बन्धित गतिविधियाँ ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में शामिल की गई थी एवं परिणामस्वरूप समस्याएँ जैसे रास्ते का अधिकार (आरओडब्ल्यू), वन मंजूरी की आवश्यकता, बिना अड़चनों के भूमि की उपलब्धता इत्यादि आगे के स्तर पर चिन्हित की गई थी एवं इससे परियोजनाओं में सामयिक रूप से देरी हुई थी। कुछ मामलों में जीएसएस तथा लाईनों के निर्माण में तालमेल नहीं था जिसके परिणामस्वरूप अन्य पूरक गतिविधियों के पूर्ण न होने के कारण निर्मित ढाँचे का उपयोग नहीं हो सका। समय पर परियोजनाएँ समाप्त करने के लिये टास्क-फोर्स समिति द्वारा दी गई विस्तृत दिग्दर्शिका के होते हुए भी, आरआरवीपीएनएल, 2007-12 के दौरान नीचे दिये विवरणानुसार कई जीएसएस एवं लाईनों को समय पर पूर्ण नहीं कर सका:

क्षमता केवी में	कुल निर्मित संख्या		जयपुर मण्डल में कुल निर्मित संख्या		लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच की संख्या		निर्माण में विलम्ब (संख्या)		समय आधिक्य ⁶ (विस्तार माह में)	
	जीएसएस	लाईन	जीएसएस	लाईन	जीएसएस	लाईन	जीएसएस	लाईन	जीएसएस	लाईन
400	5	16	1	6	1	6	1	6	9	4 से 23
220	27	76	14	28	6	13	4	9	2 से 16	5 से 64
132	83	141	34	60	6	12	5	9	1 से 27	2 से 36
योग	115	233	49	94	13	31	10	24	1 से 27	2 से 64

जयपुर मण्डल में समीक्षा अवधि के दौरान निर्मित जीएसएस एवं लाइनें तथा पूर्णता में पाई गई देरी को **अनुबन्ध-8** में दर्शाया गया है।

सरकार ने कहा कि टास्क-फोर्स समिति की अनुशंसायें अनिवार्य नहीं थी, तथापि, आरआरवीपीएनएल ने सामान्यतया टास्क-फोर्स समिति की अनुशंसाओं की अनुपालना की। इसमें आगे कहा कि निष्पादन के दौरान सर्वेक्षण कार्य हेतु पृथक ठेका देना समय की अत्यधिक स्वपत एवं आरओडब्ल्यू समस्या को देखते हुए संभव नहीं होगा। तथ्य यही रहता है कि आरआरवीपीएनएल ने टास्क-फोर्स समिति की अनुशंसाओं की अनुपालना नहीं की थी, जिनका कि दक्षतापूर्ण परियोजना प्रबन्धन के लिये पालन किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान पाये गये ऐसे मामले जो अनुचित परियोजना प्रबन्धन नियोजन तथा टास्क-फोर्स समिति की अनुशंसाओं की पालना नहीं किये जाने के कारण परियोजनाओं में विलम्ब को उजागर करते हैं, नीचे दिये गये हैं।

6 लेखापरीक्षा में की गई नमूना जाँच।

परियोजना/स्कीम/कार्य का नाम	निर्धारित/(वास्तविक पूर्णता की तिथि)	देरी एवं देरी के कारण	देरी के कारण हानि
राजवेस्ट —जोधपुर 400 केवी डीसी लाईन एवं जोधपुर में 400 केवी बे	मार्च 2009 (मार्च 2010) नवम्बर 2009 (जून 2012) (400 केवी बे के पूर्ण होने तक लाईन को 220 केवी से विद्युतीकृत किया)	आरआरवीपीएनएल द्वारा एल 2 नेटवर्क के अनुमोदन में तथा सर्वेक्षण कार्य, प्रोफाईलिंग, मार्ग संरेखण, टावर अवलम्बन कार्य में फर्म द्वारा देरी के कारण 12 माह का विलम्ब। लाईन कार्य की निर्धारित पूर्णता तिथि के पश्चात् 400 केवी बे का आदेश जारी करना (मई 2009) तथा बे कार्य के ठेकेदार एवं आरआरवीपीएनएल में समन्वय की कमी।	आरआरवीपीएनएल को कम वोल्टेज पर विद्युत निष्क्रमित करनी पड़ी जिससे प्रसारण हानियों में वृद्धि होगी।
सरकार ने कहा कि देरी, आरओडब्ल्यू की समस्या, टावर तथा लाईन सामग्री की चोरी के कारण हुई थी। इसने आगे कहा कि उपलब्ध तंत्र, विद्युत के निष्क्रमण करने के लिये पर्याप्त था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विलम्ब अनुचित नियोजन तथा विभिन्न प्रारम्भिक परियोजना गतिविधियों की कमी के कारण हुआ था।			
बाड़मेर/जैसलमेर में पवन फार्म से उत्पादन के लिये निष्क्रमण तंत्र	मार्च 2009 तथा अक्टूबर 2009 (अक्टूबर 2010 तथा नवम्बर 2011)	प्रारम्भिक गतिविधियों, बुनियादी कार्य का बोरलोन्ग, स्टब सैटिंग इत्यादि में देरी के कारण देरी 12 तथा 32 माह के बीच विचरित रही।	936.54 एलयू (₹ 27.91 करोड़)
सरकार ने कहा कि देरी, आरओडब्ल्यू की समस्या, टावर एवं लाईन सामग्री की चोरी तथा अत्यन्त कठिन भूभाग जो कि नियंत्रण के बाहर था, के कारण हुई। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विलम्ब अनुचित नियोजन तथा विभिन्न प्रारम्भिक परियोजना गतिविधियों की कमी के कारण हुआ था।			
220 केवी बस्सी हीरापुरा लाईन	नवम्बर 2003 (सितम्बर 2005) (लाईन जून 2008 तक विद्यमान लाईन से जोड़ी नहीं जा सकी थी)	आरआरवीपीएनएल द्वारा ठेकेदार को लाईन सामग्री उपलब्ध न कराने के कारण/देरी से कराने के कारण तथा 400 केवी जीएसएस बस्सी पर पीएलसीसी उपकरण के कारण निर्धारित पूर्णता तिथि से 22 माह की देरी हुई।	207.90 एलयू (₹ 6.20 करोड़)
सरकार ने इस मामले में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था।			
132 केवी जीएसएस पीडब्ल्यूडी बंगला, जयपुर	जुलाई 2009 (जनवरी 2012)	30 माह की देरी हुई थी। स्थल को हस्तान्तरित करने में (10 माह), ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने में (4 माह) तथा ठेकेदार के स्तर पर परीक्षण उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण देरी हुई थी।	91.78 एलयू (₹ 2.74 करोड़)
220 केवी जीएसएस इंदिरा गांधी नगर, जयपुर	अक्टूबर 2009 (फरवरी 2011)	निर्धारित पूर्णता से 16 माह की देरी हुई थी। देरी मुख्यतः ले-आऊट एवं रूपरेखा के अनुमोदन, आरआरवीपीएनएल द्वारा निरीक्षण अधिकारी नामित	354.21 एलयू (₹ 10.56 करोड़)

		करने में देरी (9 माह) तथा ठेकेदार के स्तर पर परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता (7 माह) के कारण परीक्षण समय-सारणी की अनुपालना न करने के कारण हुई।	
सरकार ने कहा कि दोनों जीएसएस जीआईएस तकनीक, जो कि नई थी, पर आधारित थे। योजना में परिकल्पित बचत के साथ हानियों में वास्तविक बचत से तुलना करना असंभव था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी भी योजना में तकनीकी एवं वित्तीय संभाव्यता हानियों में बचत तथा तकनीकी मापदण्डों में सुधार पर आधारित होती है जिसकी अनुपालना करना आवश्यक है।			
132 केवी जीआईएस जीएसएस नया झोटवाड़ा के साथ विद्यमान 132 केवी वीकेआईए- वैशाली नगर से नया झोटवाड़ा तक का लीलो	132 केवी जीएसएस जुलाई 2009 (नवम्बर 2010) लीलो लाईन जून 2010 (अभी तक पूर्ण होना बाकी है)	जीएसएस की पूर्णता में 16 माह की देरी थी। तत्पश्चात जीएसएस, आरओडब्ल्यू की समस्या का समाधान करने में आरआरवीपीएनएल की विफलता तथा ठेकेदार को बदले जाने के कारण लाईन कार्य की पूर्णता के अभाव में, 22 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी स्थापित नहीं किया जा सका था (सितम्बर 2012)।	98.32 एलयू (₹ 3.80 करोड़)
सरकार ने कहा कि देरी मुख्यतः स्थल पर गंभीर आरओडब्ल्यू समस्याओं के कारण हुई थी। तथ्य यही रहता है कि आरआरवीपीएनएल, टास्क-फोर्स अनुशंसाओं के अनुसार विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियों को परियोजना मूल्यांकन/अनुमोदन के अग्रिम/समानान्तर रूप से कर आरओडब्ल्यू समस्या को टालने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहा था।			
33 केवी बे के निर्माण को शामिल करते हुए 132 केवी जीएसएस मायला (रामगंज मंडी)	अक्टूबर 2008 (मार्च 2009) 33 केवी बे दिसम्बर 2009 में पूर्ण हुई।	बे तथा अन्य सम्बन्धित कार्य के पूर्ण नहीं होने के कारण दिसम्बर 2009 तक जीएसएस से विद्युत आहरित नहीं की जा सकी।	35.83 एलयू (₹ 1.39 करोड़)
सरकार ने कहा कि बे मई 2009 में पूर्ण हो चुकी थी परन्तु डिस्कॉम्स द्वारा उपयोग में नहीं ली गई थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि विद्युत आहरण हेतु बे का कार्य दिसम्बर 2009 में पूर्ण हुआ था।			
220 केवी जीएसएस बूंदी	मार्च 2012 (अभी तक पूर्ण नहीं हुई) (सितम्बर 2012)	संभाव्यता प्रतिवेदन जनवरी 2010 में तैयार किया गया परन्तु उपयुक्त भूमि चिन्हित करने में देरी, ट्रांसफार्मर्स के लिये बुनियाद पूर्ण न होने तथा मिट्टी की दृढ़ता संमक गलत होने के कारण जीएसएस सितम्बर 2012 तक स्थापित नहीं हो सका।	जीएसएस के पूर्ण होने तक 10७7 एलयू प्रतिवर्ष की प्रणाली हानियाँ
सरकार ने कहा कि ट्रांसफार्मर के बुनियाद का कार्य तथा मिट्टी की दृढ़ता समकों के मध्य कोई संबंध नहीं था। जीएसएस के निर्माण कार्य में देरी के कारण ठेकेदार से शेष कार्य वापिस ले लिया गया था। सरकार का उत्तर सही नहीं था क्योंकि भूमि चिन्हित करने/आदेश जारी करने तथा मिट्टी की दृढ़ता के संमक, जो कि ट्रांसफार्मर्स हेतु बुनियाद की मजबूती निश्चित करने हेतु आवश्यक थे, के दोषपूर्ण/विलम्ब से नियोजन के कारण बूंदी में जीएसएस की पूर्णता में देरी हुई।			
132 केवी जीएसएस स्वांडार तथा 132 केवी	सितम्बर 2007 (फरवरी 2008)	मार्ग संरक्षण का देरी से अनुमोदन, ठेकेदार से समन्वय	परियोजना में परिकल्पित ऊर्जा बचत का उल्लेख

लीलो सवाईमाधोपुर शियोपुर लाईन	अप्रैल 2007 (जुलाई 2008)	का अभाव तथा निर्माण एवं सामग्री आपूर्ति में ठेकेदार की शिथिलता के कारण 15 माह की देरी हुई	नहीं था।
सरकार ने कहा कि निर्माण कार्य एवं सामग्री आपूर्ति एक ही फर्म को टर्नकी आधार पर दिया गया था। जीएसएस के लिये मार्ग संरक्षण का अनुमोदन ठेकेदार द्वारा इसे प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही बिना किसी देरी के किया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि ठेका अगस्त 2006 में, अप्रैल 2007 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ दिया गया था। तथापि, मार्ग संरक्षण का अनुमोदन फरवरी 2007 में किया गया था जो कि आरआरवीपीएनएल की शिथिलता को दर्शाता है।			
220 केवी जीएसएस गंगापुर सिटी तथा संबद्ध चार लाइनें	जून 2012 (सितम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं हुआ था) मार्च से अक्टूबर 2011 (दो लाइनें जून/जुलाई 2012 को पूर्ण हुई थी एवं दो लाइनें अभी पूर्ण होनी बाकी थी सितम्बर 2012)	सितम्बर 2012 तक 11 माह की देरी थी। देरी मुख्यतः आरआरवीपीएनएल द्वारा ले आऊट को अंतिम रूप देने के कारण थी।	129.03 एलयू (₹ 5.78 करोड़) सितम्बर 2012 तक
सरकार ने कहा कि प्रक्रियागत देरी थी तथा केन्द्रीय श्रम दर ठेके (सीएलआरसी) पर जीएसएस का कार्यादेश मुश्किल से ही दिया जा सका था जिसमें समय लगा क्योंकि कोई भी ठेकेदार सीएलआरसी पर कार्य करने को तैयार नहीं था। संबद्ध लाइनों का कार्य पृथक ठेकेदारों को प्रदान किया गया था जिन्होंने अपने उपलब्ध स्रोतों से कार्य निष्पादित कर दिया था। तथ्य यही था कि अनुचित समन्वय के कारण जीएसएस तथा संबद्ध लाइनों के पूर्ण होने में देरी हुई जिससे आरआरवीपीएनएल परिकल्पित बचत से वंचित रहा।			
132 केवी जीएसएस बारोली	मार्च 2009 (जनवरी 2012)	अप्रैल 2010 में ट्रांसफार्मर्स क्रय किये जाने के बावजूद सिविल तथा इलैक्ट्रिकल कार्यों को पूर्ण करने में आरआरवीपीएनएल की अक्षमता के कारण 33 माह की देरी हुई।	46.42 एलयू (₹ 1.79 करोड़)
सरकार ने कहा कि जीएसएस फरवरी 2011 में स्थापित किया गया था तथा संबद्ध लाइनों के पूर्ण न होने के कारण 33 केवी के कम वोल्टेज स्तर पर चार्ज किया गया था। जीएसएस की स्थापना का तथ्य, आरआरवीपीएनएल की मासिक प्रगति प्रतिवेदन से मेल नहीं खाता था जिसमें स्थापना दिनांक जनवरी 2012 दर्शाई गई थी। साथ ही, जीएसएस को कम वोल्टेज पर चार्ज करने से प्रसारण हानियों में वृद्धि हुई होगी।			
132 केवी जीएसएस बापावर	मार्च 2011 (सितम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं हुआ था)	भूमि वर्ष 2000 में आवंटित की गई थी परन्तु जीएसएस ले आऊट प्लान को अंतिम रूप देने में देरी तथा वर्षा ऋतु में पहुंच सड़क की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था।	55.08 एलयू (₹ 2.48 करोड़) सितम्बर 2012 तक
सरकार ने कहा कि संचालक मण्डल द्वारा योजना 2010 में अनुमोदित की गई थी परन्तु अतिक्रमण के कारण इलैक्ट्रिकल ले-आऊट को अंतिम रूप देने तथा निर्माण गतिविधियों में देरी हुई। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वर्ष 2000 में भूमि आवंटित होने के बावजूद, आरआरवीपीएनएल अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित नहीं कर सका जिससे निर्माण गतिविधियों में देरी हुई।			
132 केवी जीएसएस अटरू तथा 132 केवी कवई-अटरू लाईन	मार्च 2009 (दिसम्बर 2010)	लाईन के निर्माण हेतु ठेका देरी से मई 2009 में प्रदान करने, वन तथा पावर टेलीकाम समन्वय	65.91 एलयू (₹ 2.56 करोड़)

		समिति (पीटीसीसी) से मंजूरी हेतु निवेदन में देरी तथा ठेकेदार से समन्वय न होने के कारण। इसके कारण परियोजना में 21 माह की देरी हुई।	
सरकार ने कहा कि वन विभाग से मंजूरी तथा पीटीसीसी मामले में अनुमोदन में देरी, ठेकेदार द्वारा कार्य अत्यधिक देरी से प्रारम्भ करने के कारण थी। प्रबन्धन ने उसके स्तर पर ठेका प्रदान करने में देरी तथा लाईन के लिये ठेका प्रदान करने के पश्चात् वन स्वीकृति तथा पीटीसीसी हेतु देरी से निवेदन को इंगित नहीं किया था।			
132 केवी एससी लाईन 220 केवी जीएसएस झालावाड़ से 132 केवी जीएसएस भवानी मंडी तक	दिसम्बर 2007 (जनवरी 2008 तथा अगस्त 2009)	रेलवे की मंजूरी की अनुपलब्धता तथा कृषकों द्वारा विरोध एवं प्रारम्भ में ऐसे ठेकेदार को ठेका प्रदान किया गया जिसने स्थल की गलत प्रोफाइल प्रस्तुत की एवं गलत सर्वेक्षण किया, जिसके कारण 19 माह की देरी हुई।	34.75 एलयू (₹ 1.04 करोड़)
सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।			
220 केवी जीएसएस लखसेरा	-	आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रारम्भ में अनुचित भूमि चिन्हित की गई जो नाला, विद्यमान मन्दिर, शमशान भूमि तथा जनता द्वारा अतिक्रमण के तहत थी जिनके कारण जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा (मार्च 2011) किये गये ₹ 14.40 करोड़ देरी से वापिस मिले (अक्टूबर 2012)। इस प्रकार परियोजना में तीन वर्ष से अधिक की देरी हुई।	₹ 14.40 करोड़ की राशि 18 माह बाद वापिस मिली जिससे ₹ 2.16 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।
सरकार ने कहा कि जेडीए से राशि प्राप्त हो गई थी तथा आरआरवीपीएनएल द्वारा गोनेर में अन्य भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। तथापि, आरआरवीपीएनएल के भाग पर लखसेरा में भूमि चिन्हित करने में शिथिलता के परिणामस्वरूप 18 माह तक कोष अवरुद्ध रहने के कारण आरआरवीपीएनएल पर ब्याज का भार पड़ा।			
400 केवी जीएसएस चोम्प	अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ	प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व पर आरआरवीपीएनएल के भाग पर अनिर्णय की स्थिति के कारण भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका। पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) द्वारा पूरी राशि जमा कराने के अनुमोदन के उपरान्त भी भूमि आवंटन के लिये जेडीए के पास ₹ 16.17 करोड़ की मांग के समक्ष ₹ 15.40 करोड़ ही जमा किये (फरवरी 2011)। भूमि का अधिग्रहण, सहायक कम्पनी के नाम पर अधिग्रहित किये जाने के निर्णय के अभाव में नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.40	-

		करोड़ सितम्बर 2012 तक 19 माह के लिये अवरुद्ध रहे।	
सरकार ने कहा कि जेडीए द्वारा पिकसिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल की सहायक कम्पनी) के पक्ष में भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका था। तथ्य यही था कि प्रारम्भिक चरण पर आवंटी के स्वामित्व के बारे में आरआरवीपीएनएल के अनिर्णय के परिणामस्वरूप न केवल कोष अवरुद्ध रहे अपितु परियोजना में भी देरी हुई।			
400 केवी एससी लाईन धौलपुर गैस तापीय विद्युत केन्द्र से हीरापुरा तथा हीरापुरा पर 400 केवी बे	नवम्बर 2006 (फरवरी 2008) 400 केवी बे मई 2010 में पूर्ण हुई थी।	ठेकेदार द्वारा आरेखण, रूपरेखा संमक तथा अन्य प्रलेखों, वन एवं पर्यावरण, रेलवे तथा विमानन मंत्रालय से स्वीकृति में देरी के कारण लाईन पूर्ण हुई थी (फरवरी 2008) परन्तु पूर्ण भार पर, 27 माह की देरी के पश्चात् मई 2010 में 400 केवी बे के पूर्ण होने पर उपभोग में लाई जा सकी।	आरआरवीपीएनएल द्वारा लाईन की पूर्णता में 435 दिन की देरी हेतु ठेकेदार पर आरोपित ₹ 6.51 करोड़ की शास्ति माफ कर दी गई।
सरकार ने कहा कि देरी विभिन्न विभागों से अनिवार्य स्वीकृतियों के प्राप्त नहीं होने के कारण थी तथा लाईन का एक भाग 220 केवी वोल्टेज पर 12 दिसम्बर 2007 को स्थापित किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरआरवीपीएनएल द्वारा ठेका प्रदान करने से 12 माह की देरी के पश्चात् स्वीकृतियों हेतु आवेदन किया था जिससे अन्ततः लाईन के कार्य में देरी हुई।			
400 केवी छबड़ा-भीलवाड़ा लाईन तथा छबड़ा-हिन्दौन लाईन	दिसम्बर 2008 (सितम्बर 2010) दिसम्बर 2008 (अप्रैल 2010)	प्रारम्भिक गतिविधियों में कमी, स्ट्रिंगिंग समय सारीणी की अनुपालना न करने, वन विभाग से स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण लाईनें क्रमशः 21 एवं 16 माह की देरी से पूर्ण हुई।	-
सरकार ने कहा कि लाईन के एक भाग के लिये वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक थी जो कि दिसम्बर 2009 में प्राप्त हुई थी। दोनों लाईनें छबड़ा-टीपीएस के इकाई-II के वाणिज्यिक संचालन से पहले पूर्ण हो गई थी। तथ्य यह था कि लाईनें देरी से पूर्ण हुई थी जिससे इकाई-I के वाणिज्यिक संचालन के परिकल्पित लाभों से वंचित रहना पड़ा।			
132 केवी एससी वीकेआईए-प्रताप स्टील लाईन	कार्यादेश जनवरी 2008 में प्रदान किया गया था परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था (सितम्बर 2012)	लाईन मार्ग सर्वेक्षण उचित रूप से किये बिना कार्यादेश प्रदान करना, टावर्स की रूपरेखा में बदलाव तथा परिवर्तित रूपरेखा पर ठेकेदार द्वारा कार्य किये जाने से इन्कार करने के कारण परियोजना में देरी हुई।	-
सरकार ने उत्तर में कहा कि आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता, टावर के स्पेसिफिकेशन में बदलाव तथा जगह की कठिनाईयों के कारण देरी हुई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरआरवीपीएनएल ने परियोजना के निष्पादन से पूर्व प्रारम्भिक गतिविधियाँ किये जाने की टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं की थी।			
400 केवी मेड़ता एवं 400 केवी बे	जून 2012 में स्थापित	आरआरवीपीएनएल तथा ठेकेदार में समन्वय की कमी, आरआरवीपीएनएल द्वारा आपूर्तियों में देरी तथा ठेकेदार द्वारा कम मानव शक्ति लगाने के कारण, जीएसएस जून 2012 में स्थापित किया जा सका। तथापि,	₹ 12.13 करोड़ मूल्य का ट्रांसफार्मर तथा ₹ 44.27 करोड़ मूल्य की 400 केवी एससी जोधपुर मेड़ता लाईन क्रमशः 41 माह तथा 22 माह तक उपयोग में नहीं लाई जा

		आरआरवीपीएनएल ने प्रसारण लाईन (अगस्त 2010) तथा जीएसएस (जून 2012) की स्थापना से पूर्व पॉवर ट्रांसफार्मर दिसम्बर 2008 में ही प्रापण किया था।	सकी।
सरकार ने देरी के कारणों हेतु याचिका दायर करना तथा गुर्जर आंदोलन को उत्तरदायी बताया। उत्तर सही नहीं था क्योंकि उपरोक्तानुसार लाईन तथा जीएसएस स्थापित करने से पूर्व ही आरआरवीपीएनएल द्वारा ट्रांसफार्मर की आपूर्ति प्राप्त कर ली गई थी। इसका गुर्जर आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।			

इस प्रकार, अनुचित नियोजन एवं टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण ऊपर वर्णित परियोजनाओं के निष्पादन में भारी देरी हुई तथा परिणामस्वरूप ₹ 56.40 करोड़ के कोष बिना किसी लाभ प्राप्ति के अवरूद्ध रहे। आरआरवीपीएनएल को ₹ 66.25 करोड़ मूल्य की 2055.79 एलयू की प्रणाली तथा प्रसारण हानियों में कमी के रूप में परिकल्पित ऊर्जा बचत से वंचित रहने के अलावा अनुपयुक्त भूमि के लिये जेडीए के पास जमा राशि पर ₹ 2.16 करोड़ के टालनीय ब्याज का भार भी वहन करना पड़ा।

उत्पादन क्षमता एवं प्रसारण सुविधाओं के मध्य असंगतता

2.1.12 राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, में उत्पादन क्षमता एवं प्रसारण सुविधाओं के मध्य असंगतता को टालने हेतु उत्पादन कम्पनियों की नयी उत्पादन क्षमताओं के नियोजन को ध्यान में रखते हुए प्रसारण क्षमता का संवर्धन परिकल्पित किया गया। आरआरवीपीएनएल के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) एवं राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड (आरडब्ल्यूपीएल) की उत्पादन योजनाओं से मेल बैठाने हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रसारण सुविधायें, प्रसारण निष्क्रमण कार्यों में विलंब के कारण समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं एवं प्रसारण सुविधाओं के मध्य असंगतता एवं इसके अनुवर्ती विद्युत का निष्क्रमण विद्यमान एवं अतिभारित प्रसारण लाईनों से करना पड़ा।

हमने देखा कि लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच की गई कुल सात परियोजनाओं में से निम्नलिखित पाँच परियोजनाओं में, आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं आरडब्ल्यूपीएल की उत्पादन योजनाओं से मेल बैठाने हेतु प्रसारण तंत्र को पूर्ण नहीं कर सका था।

क्र.सं.	परियोजना	आरआरवीयूएनएल /आरडब्ल्यूपीएल की उत्पादन योजनाएँ		आरआरवीपीएनएल की योजना	असंगतता का परिणाम
		चालू होने की निर्धारित तिथि	चालू होने की वास्तविक तिथि		
1.	250 मेगावाट इकाई-6 एसएसटीपीएस, सूरतगढ़	14 अक्टूबर 2008	29 अगस्त 2009	400/220 केवी जीएसएस बीकानेर एवं इससे सम्बद्ध लाईनें अक्टूबर 2009 की नियत पूर्णता तिथि के समक्ष मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के मध्य पूर्ण हुई थी।	आरआरवीपीएनएल 18 माह तक विद्यमान 220 केवी तंत्र से विद्युत निष्क्रमण हेतु बाध्य था।

2.	250 मेगावाट इकाई-1, सीटीपीपी, छबड़ा	2 सितम्बर 2008	30 अक्टूबर 2009	विद्युत निष्क्रमण तंत्र के कार्य दिसम्बर 2008 से अक्टूबर 2009 के दौरान नियत पूर्णता के समक्ष फरवरी 2009 से जुलाई 2011 के दौरान पूर्ण हुए थे।	आरआरवीपीएनएल विद्यमान 220/132 केवी तंत्र से विद्युत निष्क्रमण हेतु बाध्य था।
3.	250 मेगावाट इकाई-2, सीटीपीपी, छबड़ा	2 दिसम्बर 2008	4मई 2010		
4.	125 मेगावाट इकाई-2 जीएलटीपीपी, गिरल	15 जून 2008	28 दिसंबर 2008	दो 220 केवी एस/सी गिरल-एलटीपीएस बाड़मेर लाईन अक्टूबर 2009 में पूर्ण हुई। 220 केवी एस/सी गिरल- एलटीपीएस-बायतू एवं 220 केवी बायतू- बालोतरा लाईनें क्रमशः अक्टूबर/ नवम्बर 2009 में पूर्ण हुई थी।	आरआरवीपीएनएल 18 माह तक विद्यमान 220/132 केवी तंत्र से विद्युत निष्क्रमण हेतु बाध्य था।
5.	इकाई 1 से 4 प्रत्येक 125 मेगावाट, राजवेस्ट एलटीपीएस बाड़मेर	अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2009	नवम्बर 2009 से दिसंबर 2011	राजवेस्ट एलटीपीएस- जोधपुर 400 केवी डी/सी लाईन मार्च 2009 के नियत स्थापना माह के बजाय फरवरी 2010 में पूर्ण हुई।	400 केवी लाईन को 220 केवी के निम्न वोल्टेज पर आवेशित किया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि आरआरवीपीएनएल एवं आरडब्ल्यूपीएल ने उत्पादन परियोजनाएँ निर्धारित तिथि के पश्चात् चालू की थी, आरआरवीपीएनएल, आरआरवीपीएनएल तथा आरडब्ल्यूपीएल को विद्युत निष्क्रमण तंत्र समय पर उपलब्ध नहीं करवा सका। यह उत्पादन योजनाओं के अनुरूप आरआरवीपीएनएल के नियोजन के अभाव को इंगित करता है एवं यहाँ तक कि यह आरआरवीपीएनएल एवं आरडब्ल्यूपीएल द्वारा परियोजनाओं को नियत स्थापना के पश्चात् चालू करने से उपलब्ध समय के दौरान भी विद्युत निष्क्रमण तंत्र को पूर्ण नहीं कर सका था।

हमने आगे देखा कि:

- छबड़ा तापीय विद्युत केन्द्र की 250 मेगावाट प्रत्येक की दो परियोजनाओं हेतु विद्युत निष्क्रमण तंत्र⁷ के कार्य कार्यादेश में परिकल्पित नियत पूर्णता तिथियों के समक्ष 9 एवं 34 माह के मध्य विचरित देरी से पूर्ण हुए थे। विलंब, निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने में देरी, सिविल कार्यों की पूर्णता, निर्माण कार्यों को प्रदान करने में देरी, मार्ग के अधिकार

⁷ 400 केवी छबड़ा टीपीएस-भीलवाड़ा लाईन, 400 केवी एस/सी छबड़ा टीपीएस-हिण्डौन लाईन, 400/220 केवी जीएसएस हिण्डौन, 220 केवी छबड़ा टीपीएस-झालावाड़ लाईन, 400/220 केवी 315 एमवीए जीएसएस भीलवाड़ा, 400 केवी धौलपुर-हीरापुरा लाईन का लीलो हिण्डौन सिरे पर, 220 केवी डी/सी हिण्डौन (400 केवी)-हिण्डौन लाईन (220 केवी), 220 केवी एस/सी हिण्डौन (400 केवी)-मंडावर लाईन, 220 केवी एस/सी भीलवाड़ा-पाली लाईन का भीलवाड़ा जीएसएस पर लीलो, 220 केवी एस/सी भीलवाड़ा-बाली लाईन का भीलवाड़ा जीएसएस पर लीलो एवं 220 केवी कवई जीएसएस।

की समस्याएँ, वन विभाग की अनुमति के लिये आवेदन करने में देरी एवं समय पर वन विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं होने की वजह से था।

सरकार ने कहा कि 220 केवी एस/सी छबड़ा टीपीएस-कवई-बारां-दहरा लाईन के साथ, 220 केवी कवई जीएसएस व 220 केवी बारां जीएसएस एवं 400 केवी डी/सी छबड़ा टीपीएस-दहरा लाईन का एक सर्किट (220 केवी पर आवेशित) का निर्माण छबड़ा टीपीएस की इकाई 1 के समक्रमण से पूर्व ही कर दिया गया था। तथ्य यही था कि प्रसारण सुविधायें समक्रमण के लिये तैयार नहीं थी एवं आरआरवीपीएनएल विद्यमान 220 केवी तंत्र से विद्युत निष्क्रमण हेतु बाध्य था। सरकार ने यह भी कहा कि छबड़ा टीपीएस की इकाई-1, 11 जून 2010 को चालू की गयी थी जो सही नहीं था क्योंकि यह 30 अक्टूबर 2009 को चालू की गयी थी।

- राजवेस्ट एलटीपीएस (इकाई I से IV), बाड़मेर से विद्युत निष्क्रमण हेतु परिकल्पित राजवेस्ट एलटीपीएस से जोधपुर 400 केवी डी/सी प्रसारण लाईन एवं 400 केवी बे, जोधपुर की निर्माण योजना में भारी असंगतता थी क्योंकि बे के निर्माण के लिये कार्यादेश लाईन की नियत पूर्णता तिथि (मार्च 2009) के दो माह पश्चात् मई 2009 में प्रदान किया गया था। साथ ही, लाईन मार्च 2009 की नियत पूर्णता तिथि के समक्ष 11 माह के विलंब से पूर्ण की जा सकी (फरवरी 2010) एवं बे का निर्माण जून 2012 में पूर्ण हुआ था। यह आरआरवीपीएनएल एवं ठेकेदार के मध्य समन्वय की कमी, आरआरवीपीएनएल द्वारा आपूर्ति में विलम्ब एवं ठेकेदार द्वारा मानव शक्ति की तैनाती में कमी के कारण था। परिणामस्वरूप, लाईन 220 केवी धोरीमन्ना बे के द्वारा जोड़ी गयी थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि ठेकेदार के भाग पर विलंब के कारण 220 केवी राजवेस्ट एलटीपीएस—धोरीमन्ना लाईन समय पर चालू नहीं की जा सकी थी एवं 440 केवी डी/सी राजवेस्ट एलटीपीएस-जोधपुर लाईन 220 केवी वोल्टेज स्तर पर आवेशित की गयी थी। उत्तर इस तथ्य को देखते हुए संतोषजक नहीं था कि विद्युत निष्क्रमण विद्यमान 220 केवी तंत्र द्वारा किया गया था क्योंकि समक्रमण हेतु प्रसारण सुविधाएँ तैयार नहीं थी।

- आरआरवीपीएनएल ने इस तथ्य की जानकारी के बावजूद कि 250 मेगावाट इकाई-IV, सूरतगढ़ को अक्टूबर 2008 में चालू किया जाना निर्धारित था, 400/220 केवी जीएसएस, बीकानेर के निर्माण हेतु ठेका अक्टूबर 2009 की नियत पूर्णता तिथि के साथ विलंब से प्रदान किया (अप्रैल 2008)। साथ ही, इस इकाई से विद्युत निष्क्रमण तंत्र से संबंधित अन्य कार्य⁸ इकाई के चालू होने की नियत तिथि से पाँच से 18 माह के मध्य विचरित विलम्ब से पूर्ण हुए थे।

सरकार ने कहा कि विद्यमान विद्युत निष्क्रमण तंत्र सूरतगढ़ टीपीएस के उपलब्ध कुल उत्पादन को निष्क्रमित करने हेतु पर्याप्त था। उत्तर एसटीपीएस इकाई-6 के लिये अतिरिक्त निष्क्रमण तंत्र की आवश्यकता पर प्रश्न खड़ा करता है क्योंकि सम्पूर्ण निष्क्रमण का प्रबन्धन विद्यमान तंत्र से ही किया जा सकता था।

8 400 केवी एस/सी सूरतगढ़ टीपीएस-बीकानेर लाईन, 220 केवी एस/सी बीकानेर-नागौर लाईन का लीलों एवं 220 केवी एस/सी बीकानेर —श्री डूंगरगढ़ लाईन का लीलो।

जीएलटीपीपी के संबंध में, सरकार ने कहा कि जीएलटीपीपी की इकाई 1 अपनी पूर्ण क्षमता पर उत्पादन नहीं कर रही थी इसलिये विद्यमान तंत्र दोनों इकाईयों से उत्पादन के निष्क्रमण हेतु पर्याप्त था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विद्युत 18 माह तक विद्यमान 220 केवी तंत्र के द्वारा निष्क्रमित की गयी थी। तथापि, तथ्य यही था कि प्रसारण सुविधायें समक्रमण के लिये तैयार नहीं थी।

भार आवश्यकताओं को आंकलित किये बिना जीएसएस एवं लाईनों का निर्माण

2.1.13 जीएसएस एवं लाईन के निर्माण हेतु परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व, भार वृद्धि व भावी मांग में प्रत्याशित वृद्धि के साथ वोल्टेज नियंत्रण की अनुज्ञ सीमाओं को अनिवार्य रूप से निरूपित किया जाना आवश्यक है जिससे कि अनावश्यक व्यय को टाला जा सके। प्रस्तावित नयी योजनाओं हेतु भार पूर्वानुमान से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित भौतिक एवं वित्तीय प्राप्य लाभों को भी निरूपित करना चाहिये।

आरआरवीपीएनएल प्रसारण तंत्र का निर्माण वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के प्रस्तावों के आधार पर करता है। डिस्कॉम्स के प्रस्तावों का विश्लेषण तकनीकी-आर्थिक प्रतिफलों, जो कि आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 पर आधारित है को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हमने देखा कि निम्नलिखित दो मामलों में आरआरवीपीएनएल ने जीएसएस एवं लाईनों का निर्माण भार प्रवाह अध्ययन किये बिना ही किया था:

(I) जेडीवीवीएनएल के 132 केवी जीएसएस स्वाजूवाला एवं 17.45 एमवीए के परिकल्पित भार के साथ 132 केवी स्वाजूवाला-घड़साना लाईन के निर्माण हेतु संशोधित (जुलाई 2005) प्रस्तावों एवं 26.806 एलयूज (₹ 1.04 करोड़) की वार्षिक ऊर्जा बचत के आधार पर आरआरवीपीएनएल ने ₹ 14.60 करोड़ की लागत पर परियोजना क्रमशः अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2008 में पूर्ण की।

तथापि, हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने परियोजना के निर्माण से पूर्व संभावित भार का अनुमान नहीं किया था। आरआरवीपीएनएल ने परियोजना के अनुमानित जीवन काल (25 वर्षों) के दौरान उपार्जित होने वाले सभी लाभों के शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को भी ध्यान में नहीं रखा था जो कि आरईआरसी की मार्गदर्शिका के अनुसार ₹ 2.41 करोड़ की हानि इंगित करती थी। साथ ही, 17.45 एमवीए के परिकल्पित भार के समक्ष, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान वास्तविक भार क्रमशः 9.50 एमवीए, 5.63 एमवीए एवं 7.31 एमवीए था।

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने प्रसारण तंत्र के निर्माण में आरईआरसी की वित्तीय विवेक की मार्गदर्शिका के उल्लंघन के अलावा 2009-10 एवं 2010-11 में डिस्कॉम्स के उपभोक्ताओं पर परिचालन एवं संधारण (ओएण्डएम) प्रभारों के पेटे ₹ 10.02 लाख⁹ का अतिरिक्त भार

9 (परिकल्पित भार – तीन वर्षों के दौरान वास्तविक अधिकतम भार) × 3 वर्ष × ₹ 42000।

डाला था एवं यह जीएसएस के परिकल्पित भार प्राप्त करने तक निरन्तर जारी रहेगा क्योंकि जीएसएस के ओएण्डएम प्रभार डिस्कॉम्स की एआरआर में डेबिट किये जाते हैं।

सरकार ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित 132 केवी जीएसएस पर भार का अनुमान डिस्कॉम्स के पूर्वानुमानों के आधार पर किया गया था एवं जीएसएस पर दर्ज किया गया वास्तविक भार भी डिस्कॉम्स के द्वारा विनियमित किया गया था। इसलिये, आरआरवीपीएनएल का जीएसएस पर दर्ज किये गये वास्तविक भार पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसने आगे कहा कि दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण एवं इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये जीएसएस का निर्माण तकनीकी रूप से उचित था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि जीएसएस एक निक्षेप कार्य एवं केवल आईजीएनपी एवं पीएचईडी को समर्पित नहीं था। साथ ही, जीएसएस के निर्माण में वित्तीय विवेक की अनदेखी की गयी थी क्योंकि इसने नकारात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य इंगित किया एवं 2009-12 के दौरान जीएसएस का कम उपयोग हुआ।

(II) आरआरवीपीएनएल ने जेवीवीएनएल के प्रस्ताव (फरवरी 2006) पर 132 केवी कनवाड़ी जीएसएस का निर्माण (जनवरी 2008) ₹ 3.49 करोड़ की लागत पर किया जिसमें 31.50 एमवीए भार एवं ₹ 1.11 करोड़ की 28.82 एलयूज की वार्षिक ऊर्जा बचत परिकल्पित की गयी थी। हमने पाया कि जीएसएस के निर्माण के पश्चात्, इसने कभी भी परिकल्पित भार को प्राप्त नहीं किया एवं 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अधिकतम भार क्रमशः 5.09 एमवीए, 6.2 एमवीए, 7.43 एमवीए एवं 10.69 एमवीए था, जो कि परिकल्पित भार से बहुत कम था।

हमने देखा कि कनवाड़ी जीएसएस के निर्माण का निर्णय आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के वाक्यांश 1.3 (1)(i) के उल्लंघन में था जिसमें यह प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में, नये 132 केवी जीएसएस एवं विद्यमान जीएसएस के मध्य दूरी सामान्यतः 30 किमी से कम नहीं होनी चाहिये, जब तक कि भार संकेन्द्रण की ऐसी चेतावनी ना हो। इस मामले में 220 केवी जीएसएस(200 एमवीए), झालावाड़ एवं 132 केवी जीएसएस (37.50 एमवीए) भवानीमंडी, कनवाड़ी से 20 किमी की दूरी पर थे एवं वहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर्स ने स्थापित क्षमता को प्राप्त नहीं किया था। साथ ही, दोनों जीएसएस, उक्त विनियम के वाक्यांश 3.6.1 के अन्तर्गत निर्धारित, भार के संकेन्द्रण के मामले में क्रमशः 400 एमवीए एवं 150 एमवीए तक आगे संवर्धन में समर्थ थे।

इस प्रकार, कनवाड़ी में नये जीएसएस का बिना किसी आवश्यकता के निर्माण आरईआरसी की मार्गदर्शिका के विपरीत था, जिसके कारण ₹ 3.49 करोड़ के कोष अवरूद्ध हुए एवं साथ ही डिस्कॉम्स के उपभोक्ताओं पर 2008-12 के दौरान जीएसएस के ओएण्डएम प्रभार के पेटे ₹ 24.04 लाख¹⁰ का अतिरिक्त भार पड़ा था। यह भार कनवाड़ी पर नये जीएसएस की वास्तविक आवश्यकता उदय होने तक बना रहेगा क्योंकि जीएसएस के ओएण्डएम प्रभार एआरआर में डिस्कॉम्स को डेबिट किये गये थे।

सरकार ने कहा कि प्रस्ताव के तकनीकी मापदण्ड आरईआरसी की मार्गदर्शिका के अनुसार थे। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरईआरसी द्वारा तय किये गये नजदीकी जीएसएस से दूरी

10 (आंकलित भार – चार वर्षों के दौरान वास्तविक अधिकतम भार) × 4 वर्ष × ₹ 42000

के सिद्धान्त की अनुपालना नहीं की गयी थी एवं नजदीकी जीएसएस यथा भवानी मंडी एवं झालावाड़ की अनुज्ञेय सीमाओं तक संवर्धन के विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, वास्तविक भार परिकल्पित भार से बहुत कम था।

प्रसारण तंत्र का निष्पादन

2.1.14 गुणवत्तापूर्ण विद्युत की न्यूनतम अवरोधों के साथ आपूर्ति इसके ईएचटी प्रसारण तंत्र के दक्ष अनुरक्षण पर निर्भर करती है। जीएसएस एवं लाईनों के परिचालन के दौरान, संघटक उप-प्रणालियों के भीतर आपूर्ति-मांग प्रोफाइल चिन्हित की जाती है एवं लाईन हानियों को कम करने एवं वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार कर विद्युत की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार योजनाएँ प्रारंभ की जाती हैं। ये योजनाएँ विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता के संवर्धन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स की स्थापना, अतिरिक्त लाईनें डालने एवं केपिसिटर बैंकों की स्थापना हेतु है। आरआरवीपीएनएल की प्रणाली के ओएण्डएम के सम्बन्ध में निष्पादन की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है।

प्रसारण क्षमता

2.1.15 आरआरवीपीएनएल उत्पादन केन्द्रों से विभिन्न ईएचटी वोल्टेज पर विद्युत निष्क्रमण एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि की पूर्ति हेतु लाईनों एवं जीएसएस का निर्माण करता है। एक ट्रांसफार्मर वैकल्पिक विद्युत प्रवाह (एसी) व विद्युत प्रवाह को विभिन्न वोल्टेज में एवं विद्युत प्रवाह को अति उच्च क्षमता में परिवर्तित करता है। वोल्टेज स्तरों को प्रक्रिया में न्यूनतम हानियों के साथ एसी वोल्टेज में वृद्धि या कमी को प्राप्त करने हेतु बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यतः 220 केवी जीएसएस पर किया जाता है। आरआरवीपीएनएल द्वारा मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में निर्मित प्रसारण क्षमता (यथा 220 केवी ट्रांसफार्मर्स पर कुल प्रसारण क्षमता) के समक्ष पारेषित क्षमता (चरम मांग की पूर्ति) निम्नानुसार है:

प्रसारण क्षमता (एमवीए में)				
वर्ष	स्थापित क्षमता	30 प्रतिशत मार्जिन के पश्चात्	चरम मांग असंयोगवश मांग को शामिल करते हुए	आधिक्य/कमी (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	10605	7423.50	5620.20	1803.30
2008-09	11705	8193.50	6162.62	2030.88
2009-10	12805	8963.50	6928.28	2035.22
2010-11	15255	10678.50	7517.17	3161.33
2011-12	17425	12197.50	7681.81	4515.69

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि आरआरवीपीएनएल की समग्र प्रसारण क्षमता प्रत्येक वर्ष में चरम मांग से सदैव अधिक रही थी। चरम मांग की तुलना में, 2007-08 में आधिक्य 32.09 प्रतिशत था जो कि 2011-12 में बढ़कर 58.78 प्रतिशत हो गया। मार्च 2012 के अंत में विद्यमान प्रसारण क्षमता 30 प्रतिशत अतिरेक को छोड़ने के पश्चात् 4515.69 एमवीए अधिक आंकलित की गयी जो कि ₹ 158.05 करोड़ (₹ 3.50 करोड़ प्रति 100 एमवीए पीटीआर, जनवरी 2010 के नवीनतम क्रयादेश के अनुसार) की थी एवं जिसे उपभोक्ताओं को पारित कर

दिया गया था। हमने पाया कि यद्यपि मार्च 2007 के अंत में वार्षिक चरम मांग (4995.96 एमवीए) 7283.50 एमवीए¹¹ की स्थापित प्रसारण क्षमता से पहले से ही कम थी लेकिन आरआरवीपीएनएल जीएसएस एवं लाईनों में संवर्धन द्वारा इसमें निरन्तर वृद्धि करता रहा जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है। प्रसारण तंत्र में अतिरिक्त/निष्क्रिय क्षमता का अस्तित्व एवं अतिभार की प्रबलता, कुछ स्थानों पर उच्च वोल्टेज प्रसारण तंत्र के निर्माण में अवैज्ञानिक नियोजन को प्रतिबिम्बित करती है।

सरकार ने उच्च क्षमता के तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि जीएसएस पर ट्रांसफार्मर क्षमता का 75 प्रतिशत दर्ज होने पर जीएसएस में संवर्धन किये गये थे एवं अनुमत्य अतिरेक व अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता/स्थिरता को बनाये रखने के लिये आवश्यक थे। तथापि, उत्तर 11वीं योजना हेतु विद्युत कार्यकारी दल की सिफारिश, जिसमें प्रसारण क्षमता का 30 प्रतिशत मार्जिन बताया गया था, से विचलन रखता था।

उप-केन्द्र

उप-केन्द्रों की पर्याप्तता

2.1.16 सीईए द्वारा जारी प्रसारण नियोजन मापदण्ड मैन्युअल (एमटीपीसी) 400 केवी जीएसएस के लिये 1000 एमवीए, 220 केवी जीएसएस के लिये 320 एमवीए एवं 132 केवी जीएसएस के लिये 150 एमवीए की अधिकतम अनुज्ञेय क्षमता निर्धारित करता है। आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के वाक्यांश 3.6.1 के तहत राजस्थान में विभिन्न जीएसएस हेतु अधिकतम क्षमता 400 केवी जीएसएस के लिये 1000 एमवीए, 220 केवी जीएसएस के लिये 400 एमवीए एवं 132 केवी जीएसएस के लिये 150 एमवीए निर्धारित है। साथ ही, उक्त विनियम का वाक्यांश 1.3 (अनुबन्ध-1) में भी प्रावधान है कि समर्पित प्रसारण तंत्र रूपरेखित मापदण्डों की आवश्यकता के समरूप होना चाहिये।

तथापि, हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आरआरवीपीएनएल ने एमटीपीसी एवं आरईआरसी की मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया था एवं मार्च 2012 को 400 केवी जीएसएस हीरापुरा, 220 केवी जीएसएस खेतड़ी नगर, भीलवाड़ा एवं हीरापुरा पर अधिकतम क्षमता स्तर क्रमशः 1065 एमवीए, 455 एमवीए, 420 एमवीए एवं 520 एमवीए था जो कि निर्धारित सीमाओं से अधिक था। साथ ही, चार¹² 132 केवी जीएसएस ने भी 150 एमवीए के अनुमत्य स्तर को पार किया था।

आरईआरसी (राजस्थान विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2008 का वाक्यांश 5.3 (बी) प्रावधान करता है कि 132 केवी एवं अधिक के सभी जीएसएस पर, कम से कम दो ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध करवाने चाहिये। इसमें आगे दिया गया है कि 132 केवी जीएसएस पर, 132 केवी ट्रांसफार्मर के आउटटेज की स्थिति में, जहाँ 33 केवी पर पाँच मिनट के भीतर वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था सम्भव हो वहाँ प्रथम चरण में एक ट्रांसफार्मर का प्रावधान का विचार स्वीकार किया जा सकता है। विद्यमान जीएसएसओं में, जहाँ केवल एक ट्रांसफार्मर अस्तित्व में है, निवेश योजना के

11 मार्च 2007 में कुल प्रसारण क्षमता (10405 एमवीए) का 70 प्रतिशत।

12 132 केवी जीएसएस चम्बल (180 एमवीए), 132 केवी जीएसएस जवाहर नगर (175 एमवीए), 132 केवी जीएसएस वीकेआईए, जयपुर (175 एमवीए), एवं 132 केवी जीएसएस कोटा औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (158 एमवीए)।

अनुसार दूसरा ट्रांसफार्मर चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना चाहिये। एक नये 132 केवी जीएसएस की रूपरेखा तैयार करते समय दो ट्रांसफार्मर्स का प्रावधान रखा जाना चाहिये।

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने, उक्त मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 को 132 केवी के 64 जीएसएस पर दूसरा ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया था। साथ ही, आरआरवीपीएनएल की निवेश योजनाओं में भी पाँच 400 केवी जीएसएस एवं 220 केवी के 12 जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा कि सीईए के द्वारा जारी की गयी एमटीपीसी अनिवार्य प्रकृति की नहीं थी एवं प्रचलित क्षेत्रीय स्थितियों के पेटे सीमांत विचलन थे। यह भी कहा गया था कि विद्यमान ट्रांसफार्मर्स को उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स से बदला जा रहा था। द्वितीय ट्रांसफार्मर की स्थापना के मामले में, यह कहा गया था कि प्रथम ट्रांसफार्मर पर भार वृद्धि/दर्ज वृद्धि (लगभग 75 प्रतिशत) के आधार पर, द्वितीय ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा। दो ट्रांसफार्मर्स एक साथ लगाने पर राज्य के विशेषतः दूरस्थ/ग्रामीण/मरुस्थली क्षेत्रों में अनुपयोगी क्षमता के रूप में परिणामित होगी। तथापि, तथ्य यही था कि आरआरवीपीएनएल ने सीईए के द्वारा जारी एमटीपीसी की अनुपालना नहीं की थी।

वोल्टेज प्रबंधन

2.1.17 एमटीपीसी के वाक्यांश 5 में गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करने एवं प्रसारण हानियों में कमी करने हेतु स्तरीय वोल्टेज सीमाओं का नियमित रखरखाव का वर्णन है। साथ ही, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम 2010 (ग्रिड कोड) का वाक्यांश 5.2 भी बताता है कि सभी उपयोगकर्ता यथा आरएलडीसी, एसएलडीसी, एसटीयूज, सीटीयू एवं एनएलडीसी को यह सुनिश्चित करने के लिये कि ग्रिड वोल्टेज सदैव अनुमत्य परिचालन सीमाओं में रहे, सभी संभव उपाय करने चाहिये। विभिन्न श्रेणी के जीएसएस हेतु एमटीपीसी एवं ग्रिड कोड के द्वारा निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर एवं 2007-12 के दौरान जयपुर मण्डल में आरआरवीपीएनएल द्वारा अनुरक्षित अधिकतम वोल्टेज स्तर निम्नानुसार था:

जीएसएस की श्रेणी	एमटीपीसी एवं ग्रिड कोड के द्वारा निर्धारित न्यूनतम/अधिकतम स्तर	प्रमाणित क्षमता वाले जीएसएस की संख्या	जीएसएस की संख्या जहाँ वोल्टेज स्तर अनुरक्षित नहीं रखा गया	ट्रांसफार्मर पर दर्ज किया गया न्यूनतम/अधिकतम वोल्टेज
400 केवी	380/420	2	2	365/440
220 केवी	198/245	29	23	117/250
132 केवी	122/145	125	110	93/148

यह देखा जा सकता है कि 400 केवी जीएसएस के प्रकरण में वोल्टेज का निर्धारित स्तर बनाये रखने में कोई भी ट्रांसफार्मर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत नहीं था जबकि 220 केवी एवं 132 केवी जीएसएस के प्रकरण में क्रमशः 79 प्रतिशत एवं 88 प्रतिशत ट्रांसफार्मर्स ने निर्धारित स्तर अनुरक्षित नहीं किया था। 400 केवी पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर पर विचलन 3.95 एवं 4.76 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जबकि 220 केवी एवं 132 केवी जीएसएस के प्रकरण में यह क्रमशः 40.91 व 2.04 प्रतिशत एवं 23.77 व 2.07 प्रतिशत के मध्य था।

सरकार ने उत्तर दिया कि अनुमानित स्थिति के समक्ष राज्य उत्पादन में विचलन एवं केन्द्रीय उत्पादकों द्वारा आवंटन के कारण, क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल प्रभावित हुई थी एवं जब अभिक्रियाशील विद्युत संतुलन नहीं बनाये रखा गया था तो एसटीएस का वोल्टेज उच्च अथवा

निम्न होगा। जीएसएस पर दर्ज किये गये अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज समय के एक विशेष क्षण पर थे जो कि प्रकृति में सामान्यतः क्षणिक थे एवं तत्काल समायोजित नहीं किये जा सकते थे। चूंकि प्रणाली अल्प अवधि समय में सीमांत विचलन को सहने की क्षमतायें रखती थी वोल्टेज को सामान्य करने हेतु अभिक्रियाशील क्षतिपूर्ति की गयी थी। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरआरवीपीएनएल के विभिन्न जीएसएस पर दर्ज किये गये वास्तविक वोल्टेज में एमटीपीसी/ग्रिड कोड के द्वारा निर्धारित सीमाओं में महत्वपूर्ण विचलन था। इसके अलावा, यदि प्रणाली में अभिक्रियाशील क्षतिपूर्ति की योग्यता हो, जैसा कि सरकार ने कहा है, तो वोल्टेज में कोई भी उच्चावचन नहीं होना चाहिये।

ईएचटी लाईनें

2.1.18 अनुमत्य लाईन भार सीमा कई घटकों यथा वोल्टेज विनियमन, स्थिरता एवं विद्युत प्रवाह क्षमता (तापीय क्षमता) इत्यादि पर निर्भर करती है। एमटीपीसी के अनुसार अनुमत्य लाईन भार सामान्यतः तापीय भार सीमा (टीएलएल) से अधिक नहीं हो सकता है। टीएलएल, क्रियाशील कंडक्टरों द्वारा प्राप्त किये गये ताप को सीमित करता है एवं लाईनों की तनन शक्ति में कमी एवं झोल पड़ने को नियंत्रित करता है। टीएलएल लाईनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करता है। एमटीपीसी के अनुसार 520 वर्ग मिलीमीटर एसीएसआर¹³ मूज, 420 वर्ग मिलीमीटर जेबरा एवं 210 वर्ग मिलीमीटर पेंथर कंडक्टर जो क्रमशः 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी लाईन पर उपयोग लिये जाते हैं का अधिकतम टीएलएल 45° सेल्सियस के परिवेशी तापमान पर क्रमशः 595 एमपेसिटी (ऐम्पियर), 546 ऐम्पियर एवं 366 ऐम्पियर है।

निम्न तालिका जयपुर मण्डल में 2007-12 के दौरान विभिन्न श्रेणी की लाईनों पर भार को दर्शाती है:

कंडक्टर का प्रकार	टीएलएल (ऐम्पियर में)	फीडरों की कुल संख्या	फीडरों की संख्या जहाँ टीएलएल से अधिक ऐम्पियर दर्ज हुआ	अधिकतम दर्ज ऐम्पियर
जेबरा	546	82	45	787
पेंथर	366	303	104	600

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न श्रेणी के कंडक्टर वाले 385 फीडरों में से, 149 (38.70 प्रतिशत) फीडरों पर भार निर्धारित सीमा से अधिक था। विभिन्न फीडरों पर जेबरा एवं पेंथर कंडक्टर का अधिकतम दर्ज किया गया ऐम्पियर निर्धारित सीमा के समक्ष क्रमशः 144 एवं 164 प्रतिशत था। लाईनों पर क्षमता से अधिक भार डालने के कारण वोल्टेज उच्चावचन, अधिक प्रसारण हानियाँ एवं बारम्बार अवरोध/ब्रेकडाऊन होता है।

सरकार ने कहा कि एमटीपीसी मार्गदर्शिका को प्रसारण तंत्र के नियोजन/परिचालन के समय मस्तिष्क में रखा जाना चाहिये किन्तु यह अनिवार्य नहीं है। इसने आगे कहा कि चरम भार निरन्तर नहीं था एवं अल्प अवधि के लिये था। टीएलएल विभिन्न कारकों पर निर्भर था एवं तदनुसार प्रसारण लाईन तंत्र में किसी आकस्मिकता/आउटटेज का अवलोकन किये बिना विशिष्ट अवधि के लिये टीएलएल पर भारित की जा सकी। तथ्य यही रहता है कि फीडर/ लाईनें निर्धारित टीएलएल सीमाओं के उल्लंघन में अत्यधिक अतिभारित थी।

13 एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोरस्ड

बस बार सुरक्षा पैनल (बीबीपीपी)

2.1.19 बस बार एक वैद्युत जीएसएस पर आने वाली एवं जाने वाली प्रसारण लाईनों एवं ट्रांसफार्मर्स को आपस में जोड़ने की विधि के रूप में प्रयुक्त होता है। बीबीपीपी संपूर्ण विद्युत तंत्र पर बस बार त्रुटियों के प्रभाव को सीमित करता है जिससे कि अनावश्यक ट्रिपिंग की रोकथाम होती है एवं उन्हीं ब्रेकर्स को ट्रिप करती है जो कि बस बार त्रुटि को दूर करने के लिये आवश्यक है। ग्रिड मानकों एवं प्रसारण तंत्र सर्वोत्तम कार्यविधियों के अनुसार, सभी 400 केवी एवं 220 केवी उपकेन्द्रों पर ग्रिड व्यवधानों के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने हेतु एवं 400 केवी व 220 केवी बसों पर त्रुटियों का त्वरित समाधान प्रदान करने हेतु बीबीपीपी को सेवा में रखना चाहिये। हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 को यद्यपि सभी नौ 400 केवी जीएसएस पर बीबीपीपी स्थापित की गई थी परन्तु 400 केवी जीएसएस बीकानेर एवं सुरपुरा पर बीबीपीपी क्रमशः अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2011 से स्वराब थी। साथ ही, 400 केवी जीएसएस एवं 220 केवी जीएसएस पर 220 केवी के 89 फीडरों में से, बीबीपीपी केवल 24 फीडरों पर स्थापित थी जिनमें से असंचालन/त्रुटिपूर्ण बे, संप्रेषण योजना में त्रुटि एवं 220 केवी स्विचयार्ड के विस्तार के कारण नौ बीबीपीपी अक्टूबर 2006/फरवरी 2012 से उपयोग नहीं की जा रही थी।

सरकार ने बीबीपीपी स्थापित नहीं किये जाने के तथ्य को स्वीकारते हुए उत्तर दिया कि बीबीपीपी क्रय करने हेतु निविदायें खोली जा चुकी हैं एवं मूल्यांकन के तहत थी। 400 केवी जीएसएस पर त्रुटिपूर्ण बीबीपीपी सही की जा चुकी है एवं यह संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही है। तथ्य यही रहता है कि बीबीपीपी सभी फीडरों पर स्थापित नहीं की गयी थी।

अनुरक्षण

हॉट लाईन खण्ड/उप खण्डों की कार्यप्रणाली

2.1.20 प्रसारण तंत्र के अबाधित परिचालन हेतु इसका नियमित एवं नियतकालिक रखरखाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लाईनों की निर्धारित गश्त के अलावा लाईनों के रखरखाव हेतु देश में प्रसारण की सर्वोत्तम कार्यविधियों को अद्यतन करने हेतु बनी समिति के प्रतिवेदन में निम्नलिखित सात तकनीक निर्धारित की गयी है:

- हॉट लाईन रखरखाव
- हॉट लाईन प्रक्षालन
- इंस्यूलेटर की हॉट लाईन पंचर सोज
- सुवाह्य अर्थिंग हॉट लाईन उपकरणों के उपयोग द्वारा निवारक रखरखाव
- लाईन का कंपन माप
- थर्मो स्केनिंग
- उपकरण की प्रदूषण माप

हॉट लाईन तकनीक (एचएलटी), जीएसएस एवं लाईन को बंद किये बिना रखरखाव के कार्यों यथा हॉट स्पॉट, नट व बोल्ट को कसना, कंडक्टर को हुए नुकसान, इंस्यूलेटर को बदलना इत्यादि को संभालना परिकल्पित करती है। यह सभी जीएसएस एवं लाईनों के निवारक रखरखाव हेतु थर्मो स्केनिंग को शामिल करती है। भारत में एचएलटी 1958 में लागू की गई

थी। हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने मार्च 2012 तक प्रसारण तंत्र के उपर्युक्त वर्णित रखरखाव हेतु कोई भी हॉट लाईन स्वण्ड/उपस्वण्ड नहीं बनाया था।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि आरआरवीपीएनएल भी हॉट लाईन स्वण्ड/उपस्वण्ड स्थापित करने पर विचार कर रहा था।

प्रसारण हानियाँ

2.1.21 जब ऊर्जा को उत्पादन केन्द्र से प्रसारण एवं वितरण (टीएण्डडी) तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है जिसे टीएण्डडी हानियाँ कहते हैं। प्रसारण हानि, उत्पादन केन्द्र/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा तथा डिस्कॉम्स को भेजी गयी ऊर्जा के मध्य अंतर होती है। जबकि सीईए ने प्रसारण हानियों के लिये अधिकतम चार प्रतिशत का मापदण्ड निर्धारित किया है, आरईआरसी ने भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रसारण हानियों के लिये लक्ष्य सीमायें अनुमोदित की हैं। 2007-08 से 2011-12 में सीईए एवं आरईआरसी के मापदण्डों की तुलना में प्रसारण हानियों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रसारण के लिये प्राप्त विद्युत	एमयूज	36716.712	38870.717	44204.831	47210.456	51125.858
शुद्ध पारेषित विद्युत	एमयूज	34519.118	36460.397	41500.721	44580.726	47977.608
वास्तविक प्रसारण हानियाँ	एमयूज	2197.594	2410.320	2704.110	2629.730	3148.250
	प्रतिशत	5.99	6.20	6.12	5.57	6.16
सीईए मानकों के अनुसार लक्षित प्रसारण हानियाँ	प्रतिशत	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
आरईआरसी मानकों के अनुसार लक्षित प्रसारण हानियाँ	प्रतिशत	4.40	4.40	4.40	4.40	4.20
आरईआरसी मानकों से प्रसारण हानियों का आधिक्य (डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई विद्युत की औसत लागत पर मूल्यांकित)	एमयूज	582.059	700.008	759.097	552.470	1000.964
	दर प्रति इकाई (₹ में)	3.28	3.16	3.04	2.98	2.98 ¹⁴
	₹ करोड़ में	190.92	221.20	230.77	164.64	298.29

2007-08 से 2011-12 के दौरान आरआरवीपीएनएल में प्रसारण हानियाँ सदैव सीईए द्वारा निर्धारित मानकों एवं आरईआरसी के द्वारा निश्चित किये गये लक्ष्यों से अधिक रही थी। सीईए के चार प्रतिशत के मानकों के समक्ष प्रसारण हानियाँ 5.57 प्रतिशत (2010-11) एवं 6.20 प्रतिशत (2008-09) के मध्य विचरित रही थी। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आरईआरसी की लक्षित सीमाओं के आधिक्य में प्रसारण हानियों (3594.598 एमयूज) की कीमत ₹ 1105.82 करोड़ थी जो कि आरआरवीपीएनएल की अकुशलता के कारण डिस्कॉम्स द्वारा वहन की गयी थी।

14 2011-12 की विद्युत क्रय की औसत लागत की अनुपस्थिति में, प्रसारण हानियों का मूल्यांकन 2010-11 की लागत पर किया गया है।

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने 2007-12 के दौरान तंत्र सुधार पर ₹ 7286.25 करोड़ का पूँजीगत व्यय गुणवत्ता व विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति एवं प्रसारण हानियों में कमी के उद्देश्य से किया। तथापि, निवेश/निवेश योजनाओं ने हानियों की कमी में प्रभावी योगदान नहीं किया था क्योंकि 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रसारण हानियों में कोई बड़ी कमी नहीं थी। प्रसारण हानियों को आरईआरसी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने में आरआरवीपीएनएल की अकुशलता ने डिस्कॉम्स पर अतिरिक्त भार डाला एवं फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर भार पड़ा।

हमने आगे देखा कि आरईआरसी ने बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) आदेश पारित (अगस्त 2009) करते समय आरआरवीपीएनएल को प्रसारण योजनाओं को पहचानने एवं प्राथमिकता निर्धारण, जिससे संकुलन में कमी/प्रणाली मापदण्डों में सुधार/प्रसारण हानियों में कमी कर सके, हेतु विस्तृत प्रणाली अध्ययन करने एवं इसे 2009-10 की वार्षिक निष्पादन संवीक्षा के समय आरईआरसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तथापि, आरआरवीपीएनएल ने दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की थी एवं प्रसारण हानियों में कमी की वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिये ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया था एवं आरईआरसी को प्रस्तुत नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र के लिये टीएण्डडी हानियों के एकसमान मानक नहीं हो सकते क्योंकि हानियाँ भौगोलिक क्षेत्र, भार केन्द्र/भार प्रतिमान एवं उत्पादन केन्द्र के स्थान के अनुरूप प्रसारण तंत्र पर निर्भर करती हैं। राजस्थान में प्रसारण तंत्र तुलनात्मक रूप से बड़ा था एवं उपर्युक्त तालिका में शामिल हानियों में राज्य के बाहर की हानियाँ शामिल थी जबकि आरईआरसी ने केवल राज्य के भीतर की हानियों के वार्षिक लक्ष्य दिये थे। इसने आगे कहा कि राज्य के भीतर की प्रसारण हानियाँ आरईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कुछ अधिक थी परंतु इनमें गिरावट का रुझान था। तथापि, तथ्य यही रहता है कि प्रसारण हानियाँ सीईए/आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक थी। सरकार ने यह भी कहा कि आरआरवीपीएनएल ने आरईआरसी के निर्देशानुसार विस्तृत प्रणाली अध्ययन पूर्व में ही कर रखा था परंतु इसे आरईआरसी को प्रस्तुत करने का कोई अभिलेख नहीं पाया गया था।

निष्पादन के प्रसारण मानक

2.1.22 आरईआरसी ने विद्युत आपूर्ति का कुशल, विश्वसनीय, समन्वित एवं मितव्ययी तंत्र प्रदान करने एवं आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रसारण करने हेतु 'प्रसारण अनुज्ञाधारक के निष्पादन मानक विनियम 2004' (निष्पादन मानक) जारी किये थे (जुलाई 2004)। निष्पादन मानकों के उद्देश्य थे:-

- यह सुनिश्चित करना कि ग्रिड का निष्पादन जो उपयोगकर्ता की प्रणाली की मांग एवं उपकरणों के उचित तरीके से कार्य करने के लिये आवश्यक है, के न्यूनतम मानकों की पूर्ति करता हो;
- उपयोगकर्ताओं को उनके तंत्र एवं उपकरणों की रूपरेखा, जो विद्युत वातावरण, जिसमें वे परिचालन कर रहे हैं, से मेल खाये, तैयार करने हेतु समर्थ बनाना;
- अल्प अवधि में राष्ट्रीय व राज्य अधिनियमों एवं नियमों के प्राधिकार के तहत वर्णित या स्थापित मानकों की ओर अग्रसर होने एवं दीर्घ अवधि में धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से राज्य प्रसारण तंत्र की गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना;

- पवन-ऊर्जा फार्म एवं अन्य उत्पादन केन्द्रों से निकलने वाली एवं आरआरवीपीएनएल के ईएचवी जीएसएस पर समाप्त होने वाली 33 केवी एवं 11 केवी लाईनों के इन्टरफेस बिन्दु पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करने हेतु।

निष्पादन मानकों को तीन चरणों यथा (i) प्राथमिक चरण— इन मानकों की अनुमति प्राप्त होने के तुरंत बाद का एक वर्ष (ii) संक्रमण चरण- प्राथमिक चरण के पश्चात् दो वर्षों तक विस्तारित समयावधि (iii) अंतिम चरण- संक्रमण चरण की समाप्ति के पश्चात् का समय।

तथापि, अभिलेखों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि आरआरवीपीएनएल का निर्धारित मानकों को प्राप्त करने/अनुपालना करने का निष्पादन आरईआरसी मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं था। हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के ट्रांसफार्मर्स में वोल्टेज असंतुलन सदैव आरईआरसी द्वारा निर्धारित स्तर¹⁵ से अधिक था। 400 केवी के लिये निर्धारित दो प्रतिशत के स्तर के समक्ष, 2007-12 के दौरान वोल्टेज असंतुलन 2.70 एवं 21.69 प्रतिशत के मध्य रहा था। 220 केवी एवं 132 केवी के प्रकरण में वोल्टेज असंतुलन क्रमशः 4.54 व 7.28 प्रतिशत एवं 4.02 व 15.80 प्रतिशत के मध्य रहा था। साथ ही, 33 केवी एवं 11 केवी के प्रकरण में निर्धारित सीमा के समक्ष यह क्रमशः 5.17 प्रतिशत व 35 प्रतिशत एवं 3.37 व 12 प्रतिशत के मध्य रहा।
- निष्पादन मानक निर्धारित करते हैं कि विद्युत प्रवाह असंतुलन तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये एवं यह समूह के रूप में लिये गये उप केन्द्रों से निकलने वाले वोल्टेज श्रेणी के समस्त फीडरों पर लागू होगा। हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने 2010-11 तक फीडरों पर विद्युत प्रवाह असंतुलन की माप नहीं की थी जिसके अभाव में निष्पादन नहीं मापा जा सका था। 2011-12 के दौरान विभिन्न फीडरों पर विद्युत प्रवाह असंतुलन निम्नानुसार था:

फीडर	400 केवी	220 केवी	132 केवी	33 केवी	11 केवी
विद्युत प्रवाह असंतुलन (प्रतिशतता)	13.09	12.24	17.44	16.94	14.94

- सुसंगतता, तंत्र के संचालन एवं उपकरणों के जीवनकाल को प्रभावित करती है। निष्पादन मानक निर्धारित करते हैं कि अंतिम चरण में ईएचवी प्रणाली के अन्तः सम्बद्ध बिन्दु पर कुल सुसंगत विकार (टीएचडी) एक प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। माप 10 मिनट के अंतराल पर लिये जाने थे एवं एक स्थान पर एक सप्ताह तक लिये जाने चाहिये। यह भी निर्धारित किया गया था कि जहां भी टीएचडी सीमा से अधिक हो या व्यक्तिगत सुसंगतता 0.5 प्रतिशत से अधिक हो, आरआरवीपीएनएल को इसकी उत्पत्ति जानने हेतु सुसंगतता की माप भार सहित/भार रहित उत्पादन केन्द्रों पर करनी चाहिये। तथापि, हमने पाया कि मार्च 2011 तक आरआरवीपीएनएल ने सुसंगतता दर्ज करने का प्रावधान रखने वाले उपकरणों की स्थापना नहीं की थी एवं इसके अभाव में उपकरणों के जीवनकाल पर सुसंगतता के प्रभावों पर टिप्पणी नहीं की जा सकी। 2011-12 के दौरान, टीएचडी 4.70 प्रतिशत था।

15 220 केवी एवं अधिक – दो प्रतिशत एवं 220 केवी से नीचे – तीन प्रतिशत।

सरकार ने कहा कि वोल्टेज असंतुलन डिस्कॉम्स के अन्तः सम्बद्ध बिन्दु पर भार के असंतुलन के कारण था। आरआरवीपीएनएल विनियमन की इस आवश्यकता का पालन करने में समर्थ नहीं था। इसने आगे कहा कि इसने उपकरणों की पहचान करने की कोशिश की थी जो आयोग के चाहे अनुसार माप कर सकें। तथापि, टीएचडी संमकों को संग्रहित करने हेतु बहु-कार्य मीटरों की स्थापना की जा रही थी।

वोल्टेज विचरण सूचकांक (वीवीआई)

2.1.23 वीवीआई एक विशिष्ट समयावधि में नाममात्र सीमा से वोल्टेज विचरण की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आरईआरसी ने निर्धारित किया कि 220 केवी, 132 केवी एवं 66 केवी के वोल्टेज स्तरों हेतु वार्षिक आधार पर वीवीआई एक प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये एवं 400 केवी नाममात्र वोल्टेज के सम्बन्ध में वीवीआई 1.125 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। इनके समक्ष आरआरवीपीएनएल का निष्पादन निम्नानुसार था:

(आंकड़े प्रतिशत में)

नाममात्र वोल्टेज (केवी)	लक्ष्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		उच्च वोल्टेज	निम्न वोल्टेज	उच्च वोल्टेज	निम्न वोल्टेज	उच्च वोल्टेज	निम्न वोल्टेज	उच्च वोल्टेज	निम्न वोल्टेज	उच्च वोल्टेज	निम्न वोल्टेज
400	±1.125	3.06	1.42	2.29	0.94	1.71	1.24	2.36	1.74	3.35	0.65
220	±1	3.20	1.83	3.75	1.76	1.83	1.08	3.55	2.79	3.27	1.92
132	±1	1.52	3.21	3.29	3.48	1.16	1.41	1.91	2.51	1.59	2.26
33	±1	2.6	2.37	3.49	2.85	1.38	1.30	1.93	2.09	1.72	1.92
11	±1	2.12	2.20	3.27	2.23	1.22	1.08	1.91	1.56	1.50	1.48

यह देखा जा सकता है कि आरईआरसी के वीवीआई मानकों की अनुपालना के पेटे आरआरवीपीएनएल का निष्पादन निम्नतर था।

मानक निष्पादन विनियम के वाक्यांश 11 के अनुसार, आरआरवीपीएनएल को एक वार्षिक समीक्षा समिति का गठन करना था एवं इसकी सिफारिशें आरईआरसी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनी थी। हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने आरईआरसी द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक निष्पादन की समीक्षा हेतु समिति का गठन नहीं किया था।

सरकार ने उत्तर दिया कि 400/220/132/33/11 केवी तंत्र में वोल्टेज विचरण को नियंत्रित नहीं किया जा सका क्योंकि यह क्षेत्रीय ग्रिड से आपस में संबंधित एवं जुड़े हुए थे। इसने आगे कहा कि आरईजीसी के तहत् गठित सुरक्षा शाखा/संरक्षण समिति द्वारा प्रत्येक माह निष्पादन की समीक्षा की गयी थी। तथापि, समिति के गठन एवं आरईआरसी द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार वार्षिक समीक्षा के बारे में अभिलेख पर कुछ भी नहीं पाया गया था।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का रखरखाव एवं एसएलडीसी का निष्पादन

2.1.24 डिस्कॉम्स/उपभोक्ता के लिये उत्पादन केन्द्रों से निर्बाध विद्युत निष्क्रमण हेतु प्रसारण एवं ग्रिड प्रबंधन अत्यावश्यक कार्य है। ग्रिड प्रबंधन विद्युत तंत्र की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता एवं दक्षता का ध्यान रखने हेतु अन्तः सम्बद्ध विद्युत तंत्र में हर पल विद्युत संतुलन

सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबंधन सीईए के द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिये गये मानकों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राज्य में विद्युत के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य भार प्रेषण केन्द्र (आरएसएलडीसी), हीरापुरा-जयपुर, उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी), नई दिल्ली का एक संघटक, अस्तित्व में आया (दिसम्बर 2004)। आरएसएलडीसी के संचालनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन आरआरवीपीएनएल के द्वारा किया जाता है। समंक प्राप्त/हस्तान्तरित करने एवं 400/132 केवी जीएसएस उपकरणों का पर्यवेक्षी नियंत्रण हेतु आरएसएलडीसी की सहायताार्थ चार¹⁶ उप/क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (सब-एलडीसी/एएलडीसी) हैं। आरएसएलडीसी उत्पादन कम्पनियों एवं विद्युत के अन्तर्राज्यीय प्रसारण में संलिप्त अनुज्ञाधारियों पर ऐसे शुल्क एवं प्रभार, लगाता है एवं वसूल करता है, जैसे कि आरईआरसी ने निर्दिष्ट किये हैं।

भार निगरानी हेतु ढांचा

2.1.25 सभी जीएसएस के लिये ग्रिड मानकों के अनुसार भार प्रेषण केन्द्रों में आपात स्थिति के दौरान प्रसारण तंत्र की दक्षता एवं भार की निगरानी हेतु दूरस्थ टर्मिनल इकाईयाँ/उपकेन्द्र प्रबंधन प्रणाली (आरटीयू/एसएमएस) अत्यावश्यक है। हमने देखा कि मार्च 2012 तक 400/220/132 केवी के 418 जीएसएस एवं 11 उत्पादकों में से केवल 71 जीएसएस (17 प्रतिशत) एवं आठ उत्पादकों (73 प्रतिशत) को दक्ष ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिये स्थावर समय समंक दर्ज करने हेतु आरटीयू उपलब्ध करवाये गये थे। साथ ही, यद्यपि उप भार प्रेषण केन्द्र एवं आरएसएलडीसी आपस में एकीकृत थे परंतु चार उपप्रेषण केन्द्रों में से किसी के पास भी समकों के संग्रहण या बैक-अप की सुविधायें नहीं थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि आरआरवीपीएनएल ने 70 आरटीयूज के प्रापण, स्थापना एवं चालू करने का आदेश दिया था एवं कार्य प्रगति पर था। इसने आगे कहा कि चार उप भार प्रेषण केन्द्र एसएलडीसी, हीरापुरा से अन्तःसम्बद्ध थे एवं चार उपभार प्रेषण केन्द्रों के समकों को उप भार प्रेषण केन्द्रों के साथ-साथ एसएलडीसी, हीरापुरा पर रखा जा रहा था। तथ्य यही रहता है कि 70 आरटीयू के नये आदेश के पश्चात् भी सभी जीएसएस एवं उत्पादक आरटीयू के बिना रहेंगे। उप भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर समंक भण्डारण सुविधा के सम्बन्ध में उत्तर अधीक्षण अभियंता (स्काडा) के द्वारा दिये गये उत्तर के अनुरूप नहीं था जिसमें कहा गया कि समंक भण्डारण/बैक-अप सुविधाओं के लिये प्रावधान वर्ष 2013 के अंत तक नियत पूर्णता वाले यूएलडीसी चरण-II में शामिल किया गया था।

आवृत्ति प्रबंधन द्वारा ग्रिड अनुशासन

2.1.26 भारतीय विद्युत ग्रिड कोड निर्धारित करता है कि ग्रिड का दक्ष संचालन सुनिश्चित करने एवं इसके अकस्मात् विफल हो जाने को रोकने हेतु ग्रिड आवृत्ति हमेशा 49.5-50.2 हर्टज बैंड के मध्य रखने के लिये एसएलडीसी को सभी संभव उपाय करने चाहिये। ग्रिड की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, आरईआरसी ने भी ग्रिड कोड जारी किया (मई 2008) जिसका वाक्यांश 11.3 में यह प्रावधान है कि ग्रिड के सभी संघटक सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे प्रणाली आवृत्ति 49 एवं 50.5 हर्टज के मध्य बनाकर रखेंगे। तथापि, विभिन्न कारणों यथा उत्पादन क्षमताओं में कमी, उच्च मांग, भार उत्पादन संतुलन को बनाये रखने में ग्रिड अनुशासन

16 हीरापुरा, रतनगढ़, भीलवाड़ा एवं कोटा

का अभाव, अपर्याप्त भार निगरानी एवं प्रबंधन, से ग्रिड आवृत्ति अनुमत्य आवृत्ति स्तरों से नीचे या ऊपर चली जाती है। ग्रिड अनुशासन की पालना हेतु एनआरएलडीसी तीन (ए,बी,सी) प्रकार के उल्लंघन संदेश जारी करता है। 'ए' प्रकार के संदेश उस समय जारी किये जाते हैं जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम हो एवं ओवरड्राअल 50 मेगावाट से अधिक या निर्धारण का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो जबकि 'बी' प्रकार के संदेश उस समय जारी किये जाते हैं जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम हो एवं ओवरड्राअल 50 एवं 200 मेगावाट के मध्य 10 मिनट से ज्यादा हो या 200 मेगावाट पाँच मिनट से अधिक हो एवं 'सी' प्रकार के संदेश गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा 'बी' प्रकार के संदेश जारी करने के 15 मिनट के पश्चात् जारी किये जाते हैं जब आवृत्ति लगातार 49.2 हर्टज से कम बनी रहती है एवं ओवरड्राअल 100 मेगावाट से अधिक या निर्धारण का दस प्रतिशत हो, जो भी कम हो।

हमने पाया कि एनआरएलडीसी ने जुलाई 2009 से मार्च 2012 के दौरान आरआरवीपीएनएल को 65 'सी' प्रकार के संदेश जारी किये थे। जुलाई 2009 से पहले उल्लंघन संदेशों को दर्ज करने की कोई प्रणाली नहीं थी। आरआरवीपीएनएल द्वारा ग्रिड अनुशासन बनाये रखने में विफलता के कारण सीईआरसी द्वारा मई 2009 में ₹ 6 लाख की शास्ति लगाई गई थी।

सरकार ने कहा कि निर्धारण के अनुसार भार के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञाधारकों की थी एवं जैसे ही एनआरएलडीसी से संदेश प्राप्त हुआ था, एनएलडीसी ने तुरंत कार्यवाही की एवं वितरण अनुज्ञाधारकों को आहरण निर्धारण के अनुसार सीमित करने का दिशा-निर्देश दिया। इसने आगे कहा कि एपीटीईएल में एक याचिका दायर की गयी थी जिसमें ₹ 6 लाख की शास्ति के समक्ष सीईआरसी के ₹ 5 लाख शास्ति लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

विद्युत प्रापण करने हेतु नियोजन

2.1.27 आरआरवीपीएनएल अनुबंधित उत्पादन क्षमता, केन्द्रीय क्षेत्र से आवंटन एवं भावी वचनबद्ध परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि आपूर्ति योजना बनाता है एवं डिस्कॉम्स की सलाह अनुसार विद्युत की शुद्ध अतिरिक्त आवश्यकता ज्ञात करता है। यह अपनी दिन-प्रतिदिन की विद्युत आवश्यकताओं के आंकलन हेतु एक दिन पूर्व भी योजना की रूपरेखा बनाता है। 2007-08 से 2011-12 तक पाँच वर्षों के लिये राज्य की कुल आवश्यकता, कुल आपूरित विद्युत एवं विद्युत की कमी नीचे दी गई है:

(आंकड़े एमयूज में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	विद्युत की कुल आवश्यकता	37386	38453	44542	46592	51900
2.	कुल आपूरित विद्युत ¹⁷	34519	36460	41501	44581	47978
3.	विद्युत की कम आपूर्ति	2867	1993	3041	2011	3922
4.	कमी का प्रतिशतता	7.67	5.18	6.83	4.32	7.56

राज्य की कुल विद्युत आवश्यकताओं के समक्ष वास्तविक आपूर्ति 92.33 प्रतिशत एवं 95.68 प्रतिशत के मध्य थी। आपूर्ति में कमी यद्यपि 2008-09 एवं 2010-11 में क्रमशः 5.18 प्रतिशत

17 उत्पादन, लघु व दीर्घावधि क्रयों एवं केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आहरण को शामिल करते हुए।

एवं 4.32 प्रतिशत तक कम हुई लेकिन 2011-12 में यह पुनः 7.56 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो कि लगभग 2007-08 के स्तर के बराबर थी।

मांग व आपूर्ति में अंतर की स्थिति वास्तविक उत्पादन/या वास्तविक आहरण एवं निर्धारित उत्पादन या निर्धारित आहरण के मध्य विचरण के कारण है जिसे कि अनियोजित अन्तर-परिवर्तन (यूआई), आरएसएलडीसी के द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के खण्ड के लिये गणना किये गये, प्रभारों के द्वारा लेखांकित किया जाता है। यूआई प्रभारों को पूर्व वचनबद्ध दैनिक निर्धारण से विद्युत की आपूर्ति एवं उपभोग के विचरण हेतु लगाया जाता है। यह प्रभार आपूर्ति/उपभोग के समय प्रचलित तंत्र आवृत्ति के साथ विपरीत रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिये यह आपूर्ति के समय ऊर्जा के सीमांत मूल्य को प्रतिबिंबित करता है। यूआई प्रभार को लगाना न्यून आवृत्ति परिस्थितियों के दौरान केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) से अधिक आहरण को नियंत्रित करने में वाणिज्यिक निवारक के रूप में कार्य करता है।

2007-08 से फरवरी 2012 के दौरान, आरआरवीपीएनएल ने ₹ 3624.02 करोड़¹⁸ के यूआई प्रभारों का भुगतान किया था। इस अवधि में यूआई आहरण ₹ 9.20 प्रति इकाई तक उच्च थे।

सरकार ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआई प्रभारों का वित्तीय दायित्व वितरण अनुज्ञाधारकों पर पड़ता है।

आपदा प्रबंधन योजना

2.1.28 आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) का लक्ष्य प्रसारण तंत्र में बड़े ब्रेकडाऊन के प्रभाव को कम करने एवं न्यूनतम संभव समय में इसका पुनःस्थापन करना है। देश में प्रसारण तंत्र में उत्तम कार्यविधि पर बनी समिति के प्रतिवेदन (2002) के अनुसार, बड़ी विफलता की स्थिति में प्रसारण तंत्र को तुरंत शुरू करने हेतु सभी विद्युत उपक्रमों के द्वारा डीएमपी की स्थापना की जानी थी। डीएमपी आपातकालीन मरम्मत प्रणाली के परिनियोजन, डीजी सेट, वाहनों, अग्निशमन उपकरणों, कुशल एवं विशेषज्ञ मानवशक्ति के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ब्लैक स्टार्ट¹⁹ के दौरान उत्पादन केन्द्रों के परिचालन प्रारम्भ करने हेतु अभ्यास करना है। आपदा प्रबंधन केन्द्र, एनएलडीसी, नई दिल्ली आपदाओं की स्थिति में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, आरआरवीपीएनएल संकट/आपदा की परिस्थितियों का सामना करने हेतु जीएसएस पर त्रैमासिक अभ्यास करता है।

हमने पाया कि राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की समन्वय समिति ने डीएमपी अनुमोदित किया (मई 2009), जिसमें अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए आपदा एवं संकट के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु रोधात्मक/शमन उपायों के रूप में आवश्यक विभिन्न कार्यों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखा था।

2.1.29 हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने व्यापक रूप से डीएमपी को लागू नहीं किया था क्योंकि राहत प्रदान करने हेतु मानवशक्ति एवं सामग्री को तुरंत गतिमान करने के लिये एवं

18 2007-08- ₹ 725.53 करोड़, 2008-09 - ₹ 720.24 करोड़, 2009-10- ₹ 468.73 करोड़, 2010-11- ₹ 898.01 करोड़ एवं 2011-12 में फरवरी तक ₹ 811.51 करोड़।

19 आंशिक या पूर्ण ब्लैक-आउट से निकलने हेतु आवश्यक प्रक्रिया।

पानी निकालने के पंप की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चलित डीजी सेट, सिनक्रोनोस्कोप एवं अच्छी हालत में वाहन, केन्द्रीय स्थल पर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, उच्चतर जोखिम वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की भी पहचान नहीं की गई थी। इनके अलावा, ना तो अग्नि चेतावनी यंत्र एवं अग्नि-शमन प्रणाली सभी स्थानों पर स्थापित की गयी थी ना ही क्षमताओं के परीक्षण हेतु पूरे राज्य में व्यापक आवधिक कवायद की गयी थी।

सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन योजना लागू की जा रही थी। आरआरवीपीएनएल ने कुछ महत्वपूर्ण उप-केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थायें की हैं। तथ्य यही रहा कि आरआरवीपीएनएल के द्वारा अनुमोदित (मई 2009) आपदा प्रबंधन योजना अभी भी पूर्ण रूप से लागू की जानी थी (सितम्बर 2012)।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

2.1.30 ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा प्रसारण हानियों के मूल्यांकन एवं कमी की तरफ एक आवश्यक एवं निर्णायक कदम है। प्रसारण हानियों की गणना मीटर पठन उपकरण (एमआरआई) द्वारा उत्पादन से प्रसारण (जीटी) एवं प्रसारण से वितरण (टीडी) सीमा मीटरिंग बिन्दुओं से प्राप्त पठन से की जाती है। मार्च 2012 को, जीटी (155) एवं टीडी (494) के मध्य 649 अंतरापृष्ठ सीमा मीटरिंग बिन्दु थे। यह पाया गया था कि आरईआरसी (मीटरिंग) विनियम 2007 के तहत अंतरापृष्ठ व ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्टीकरण के रूप में निर्धारित मीटर की 0.2_{एस} श्रेणी परिशुद्धता के समक्ष केवल 71 जीटी बिन्दुओं पर 0.2_{एस} श्रेणी मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 57 एवं 14 जीटी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी मीटर उपलब्ध करवाये गये थे। साथ ही, 494 टीडी बिन्दुओं में से केवल 176 बिन्दुओं पर 0.2_{एस} श्रेणी मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 266 एवं 39 टीडी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे। शेष 13 जीटी एवं 13 टीडी बिन्दुओं पर किसी भी प्रकार के मीटर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे।

टीसीसी-1 के वार्षिक सांख्यिकी विवरणों का आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि मार्च 2012 को 25 जीएसएस में से, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः तीन, दो एवं 11 जीएसएस पर कोई मीटर उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसके अलावा, 2009-10 एवं 2010-11 में आठ जीएसएस पर मीटर खराब थे एवं 100 प्रतिशत हानियाँ दर्शा रहे थे। 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान मीटरीकृत जीएसएस पर दर्ज प्रसारण हानियाँ क्रमशः 0.07 व 3.47 प्रतिशत, 0.04 व 7.51 प्रतिशत एवं 0.17 व 3.30 प्रतिशत के मध्य थी।

इस प्रकार, आरआरवीपीएनएल की प्रसारण हानियों के माप के पेटे प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि सभी जीटी एवं टीडी बिन्दुओं पर मीटर/निर्धारित परिशुद्धता श्रेणी के मीटर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। साथ ही, खराब मीटरों का परिवर्तन न करने एवं इनपुट व आउटपुट बिन्दुओं पर भिन्न परिशुद्धता श्रेणी के मीटरों का प्रयोग करने के कारण जीएसएस पर प्रसारण हानियाँ अवास्तविक दर्ज हुईं। इसके अलावा, आरआरवीपीएनएल के पास मासिक आधार पर फीडरवार हानियाँ दर्ज करने एवं इसे उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रणाली नहीं थी।

सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ बिन्दुओं पर या तो मीटर स्थापित नहीं थे या 0.2 एस श्रेणी के अलावा अन्य मीटर स्थापित किये गये थे। ऐसे प्रकरणों में ऊर्जा पठन, समानान्तर में संचालित ट्रांसफार्मर्स पर स्थापित मीटरों से प्राप्त की गयी थी। इसने आगे कहा कि मीटरों का क्रय/बीओटी आधार पर मीटरों से ऊर्जा संमक प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर था। तथापि, तथ्य यही रहा कि सभी मीटरिंग बिन्दुओं पर 0.2_{एस} श्रेणी मीटर्स की स्थापना नहीं किये जाने से एवं खराब मीटरों को नहीं बदलने से, आरआरवीपीएनएल के द्वारा दर्ज की गयी ऊर्जा विशुद्ध नहीं कही जा सकती थी।

वित्त प्रबन्धन

2.1.31 राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक विद्युत क्षेत्र का वित्तीय कायापलट एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था। वर्ष 2000 में तात्कालिक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पुर्नसंरचना से ही आरआरवीपीएनएल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुर्नसंरचना योजना के अनुसार वर्ष 2007-08 तक वित्तीय लेखे 'न लाभ न हानि' आधार पर तैयार कर रहा था। 'न लाभ न हानि' आधारित प्रणाली आरआरवीपीएनएल की सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाती थी एवं परिणामस्वरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आरआरवीपीएनएल के वर्ष 2007-08 के लेखों पर 'सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति नहीं' प्रमाण पत्र दिया। तत्पश्चात, आरआरवीपीएनएल ने वर्ष 2008-09 से लेखों को 'सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत' (जीएएपी) के अनुसार संधारित करना प्रारम्भ कर दिया।

मार्च 2011 को समाप्त चार²⁰ वर्षों के दौरान आरआरवीपीएनएल की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
अ. दायित्व				
प्रदत्त पूँजी	939.00	1104.00	1344.00	1744.00
संचय एवं अधिशेष (पूँजी अनुदानों को शामिल करते हुए)	132.71	208.10	197.45	210.14
उधारियाँ (ऋण कोष)	3502.68	4569.76	5228.64	6037.84
चालू दायित्व एवं प्रावधान (सीएल)	994.79	1969.55	2766.14	3293.43
कुल दायित्व	5569.18	7851.41	9536.23	11285.41
ब. संपत्तियाँ				
सकल ब्लाक	4482.22	5326.75	6396.32	8285.71
घटायें- मूल्य ह्रास	1677.69	1786.01	1923.88	2150.73
शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ (एनएफए)	2804.53	3540.74	4472.44	6134.98
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)	656.46	1317.72	1552.07	1314.90
निवेश	0.66	0.34	0.25	0.35
चालू संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (सीए)	2089.56	2121.21	1828.36	2196.43
विविध व्यय	17.97	10.63	6.40	4.18
संचित हानियाँ	-	860.77	1676.71	1634.57
कुल संपत्तियाँ	5569.18	7851.41	9536.23	11285.41

20 वर्ष 2011-12 के लिये अंतिम लेखों को निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

ऋण समता अनुपात ²¹	3.73:1	4.14:1	3.89:1	3.46:1
कर पूर्व लाभ	0.80	(859.91)	(815.94)	42.15
ब्याज (आइडीसी ²² पूँजीकरण घटाने के पश्चात्)	203.13	307.68	344.57	421.02
कर व ब्याज पूर्व लाभ	203.93	(552.23)	(471.37)	463.17
नियोजित पूँजी ²³	4556.00	5065.81	5193.87	6511.21
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत) ²⁴	4.48	(10.90)	(9.08)	7.11

यह देखा जा सकता है कि 2008-09 से वित्तीय विवरणों को जीएएपी के आधार पर तैयार किये जाने के पश्चात् आरआरवीपीएनएल ने 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान हानि वहन की जो कि मार्च 2011 की समाप्ति तक ₹ 1634.57 करोड़ की संचित हो गयी। साथ ही, 2010-11 में दर्शाया गया ₹ 42.15 करोड़ का लाभ भी पूर्व अवधि की मद (कर्मचारी लागत ₹ 208.26 करोड़) के समायोजन का परिणाम था। आरआरवीपीएनएल की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण से निम्न प्रकट हुआ:

- यद्यपि, ऋण-समता अनुपात 2007-08 में 3.73:1 से घटकर 2010-11 में 3.46:1 हुआ परन्तु यह 2008-09 (4.14:1) एवं 2009-10 (3.89:1) में उच्चतर था जो कि उधार कोषों पर आरआरवीपीएनएल की बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है जो 2007-11 के दौरान ₹ 3502.68 करोड़ से ₹ 6037.84 करोड़ तक बढ़ (172.38 प्रतिशत) गये।
- 2007-11 के दौरान नियोजित पूँजी में 42.92 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई परन्तु 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्याय नकारात्मक था। यह मुख्यतः 2008-09 में कर्मचारी दायित्व की पहचान एवं छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण था।
- समीक्षा अवधि के दौरान स्थायी सम्पत्तियों एवं निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों में परिवर्धन राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी एवं दीर्घावधि उधारियों से अधिक थी। यह दर्शाता है कि अल्पावधि उधारियों का उपयोग पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण में किया गया जो अविवेकपूर्ण वित्त प्रबन्धन को इंगित करता है एवं आरईआरसी ने भी एआरआर/ट्रयूइंग अप में पूँजीगत संपत्तियों में उपयोग की गयी अल्पावधि उधारियों पर ब्याज के पूँजीकरण को अस्वीकृत कर दिया था।

कार्यशील परिणामों जैसे राजस्व वसूली, शुद्ध आधिक्य/हानि एवं अर्जन तथा प्रति इकाई प्रसारण लागत का विवरण नीचे दिया गया है:

21	उधारियाँ (ऋण कोष)/प्रदत्त पूँजी
22	निर्माण के दौरान ब्याज
23	शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ + निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य + चालू संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम – चालू दायित्व एवं प्रावधान + ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान
24	ब्याज पूर्व लाभ/नियोजित पूँजी × 100

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	आय				
1.1	विद्युत के विक्रय से राजस्व	153.38	179.94	229.56	248.59
1.2	राजस्व (प्रसारण एवं एसएलडीसी प्रभार)	723.26	840.68	1107.34	1387.46
1.3	अन्य आय, ब्याज/अर्थ-साहाय्य, टर्नकी अनुबन्ध एवं पूर्व अवधि की आय को शामिल करते हुए	44.61	349.30	88.89	298.69
कुल आय		921.25	1369.92	1425.79	1934.74
2	व्यय				
क	स्थायी लागत				
क (1)	कर्मचारी लागत	323.44	1458.45	1358.20	911.29
क (2)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	87.04	69.75	92.01	71.93
क (3)	मूल्य ह्रास	120.00	133.59	166.21	222.35
क (4)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (पूँजीकरण के पश्चात् शुद्ध)	206.72	311.22	349.18	428.26
कुल स्थायी लागत (क)		737.20	1973.01	1965.60	1633.83
ख	परिवर्तनशील लागत				
ख (1)	एसएलडीसी प्रभार	12.85	17.91	14.42	13.55
ख (2)	विद्युत का उत्पादन (पूर्व अवधि के व्ययों को शामिल करते हुए)	104.79	165.31	181.54	150.07
ख (3)	मरम्मत एवं रखरखाव	66.41	74.47	80.17	95.14
कुल परिवर्तनशील लागत (ख)		184.05	257.69	276.13	258.76
कुल लागत (क+ख)		921.25	2230.70	2241.73	1892.59
3	प्रसारण				
3.1	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	6420.68	7019.48	8076.51	9188.22
3.2	उत्पादन इकाइयों से प्राप्त विद्युत (एमयूज) ²⁵	3509.889	2879.005	2090.093	2607.469
3.3	विद्युत क्रय (एमयूज)	33206.823	35991.712	42114.738	44602.987
कुल (ग)		36716.712	38870.717	44204.831	47210.456
प्रसारण में हानि (एमयूज) (घ)		2197.594	2410.320	2704.110	2629.730
शुद्ध पारेषित की गई विद्युत (एमयूज) (ग)-(घ)		34519.118	36460.397	41500.721	44580.726
4.	वसूली (₹ प्रति इकाई) ²⁶	0.267	0.376	0.344	0.434
5.	स्थायी लागत (₹ प्रति इकाई) ²⁶	0.214	0.541	0.474	0.366
6.	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति इकाई) ²⁶	0.053	0.071	0.066	0.058
7.	कुल लागत (₹ प्रति इकाई) (5+6) ²⁶	0.267	0.612	0.540	0.424
8.	अंशदान(₹ प्रति इकाई)(4-6) ²⁶	0.214	0.305	0.278	0.376
9.	लाभ (+)/हानि (-)(₹ प्रति इकाई) (4-7)²⁶	0.000	-0.236	-0.196	0.010

यह देखा गया था कि वर्ष 2007-08 के लिये प्रति इकाई वसूली एवं प्रति इकाई कुल लागत समान थी। यह पूर्व अनुच्छेद में वर्णित 'न लाभ न हानि' आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करने के कारण था। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान आरआरवीपीएनएल की वित्तीय क्षमता


25 निजी उत्पादन को शामिल करते हुए।

26 पंक्ति 4-9 में प्रति इकाई लागत की गणना में अन्य आय को भी ध्यान में रखा गया है।

में अवनति हुई क्योंकि प्रति इकाई कुल लागत प्रति इकाई वसूली से अधिक थी। आरआरवीपीएनएल ने यद्यपि 2008-11 के दौरान प्रति इकाई योगदान में ₹ 0.305 से ₹ 0.376 तक की वृद्धि दर्ज की परन्तु 2008-10 के दौरान प्रति इकाई आधिक्य स्थायी लागत ने बचत को मिटा दिया क्योंकि कर्मचारी लागत के पेटे स्थायी लागत में 2007-08 के ₹ 323.44 करोड़ से 2008-09 में ₹1458.45 करोड़ तक की महत्वपूर्ण वृद्धि (350.92 प्रतिशत) हुई। बढ़ी हुई कर्मचारी लागत के परिणामी प्रभाव ने आर्थिक स्थिति को 2010-11 तक प्रभावित किया जब 2009-10 की तुलना में प्रति इकाई स्थायी लागत ₹ 0.108 से कम हुई एवं प्रति इकाई योगदान ₹ 0.098 से बढ़ा इससे प्रति इकाई कुल लागत कम हुई एवं 2010-11 में आंशिक लाभ हुआ। साथ ही, ब्याज लागत, जो कि 2007-08 से 2010-11 के दौरान 107.17 प्रतिशत तक बढ़ी, ने भी आरआरवीपीएनएल की लाभदायकता को प्रभावित किया।

संचालन लागत की वसूली


2.1.32 2007-08 से 2010-11 के दौरान प्रति इकाई वसूली, प्रति इकाई लागत एवं प्रति इकाई लाभ/हानि नीचे बार ग्राफ में दी गयी है:



उपरोक्त ग्राफ इंगित करता है कि आरआरवीपीएनएल 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान संचालन लागत की वसूली नहीं कर सका। संचालन लागत की वसूली नहीं किये जाने के कारणों पर पिछले अनुच्छेद में चर्चा की जा चुकी है।


लागत के तत्व

2.1.33 वर्ष 2010-11 के लिये लागत के प्रमुख तत्वों की प्रतिशतता विभाजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:



राजस्व के तत्व

2.1.34 प्रसारण प्रभार राजस्व का मुख्य तत्व है। 2010-11 के दौरान राजस्व की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे पाई-चार्ट में दिया गया है:



टैरिफ निर्धारण

2.1.35 आरआरवीपीएनएल की वित्तीय व्यवहार्यता विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवहारों को अपनाकर इसकी संचालन आवश्यकताओं एवं भावी पूँजीगत विस्तार कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु संचालन से अधिशेष सृजन (उचित प्रतिदान शामिल करते हुए) पर निर्भर करती है। कोषों के सृजन का मुख्य स्रोत राजस्व संग्रहण है। टैरिफ से संबंधित मुद्दों की यहाँ पर चर्चा की गयी है।

आरआरवीपीएनएल का टैरिफ ढांचा इसके द्वारा नियत अवधि में दायर एआरआर याचिका के समक्ष प्राप्त आपत्तियों; यदि कोई हो, के पश्चात् आरईआरसी द्वारा अनुमोदित संशोधन के अधीन होता है। आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के नियम एवं शर्तें) विनियम 2004 एवं 2009 के वाक्यांश क्रमशः 13 एवं 8 के अनुसार, आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु एआरआर, वार्षिक निष्पादन विवरण एवं अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित वित्तीय विवरणों के साथ 30

नवम्बर तक दायर की जानी आवश्यक थी। विनियम के अनुसार गणना किया गया टैरिफ अगले वर्ष की 1 अप्रैल से वसूलनीय था।

नीचे दी गयी तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये एआरआर दायर करने की देय तिथि, दायर किये जाने की वास्तविक दिनांक, टैरिफ याचिका अनुमत्य किये जाने की दिनांक एवं संशोधित टैरिफ की प्रभावी तिथि को दर्शाती है:

वर्ष	दायर किये जाने की देय तिथि	दायर किये जाने की वास्तविक तिथि	विलम्ब दिनों में	आरईआरसी द्वारा एआरआर/टैरिफ आदेश अनुमत्य किये जाने की तिथि	टैरिफ आदेश की प्रभावी तिथि	प्रभावी तिथि एवं अनुमोदन तिथि के मध्य समय अन्तराल
2007-08	30 नवम्बर 2006	30 दिसम्बर 2006	30	7 मार्च 2007	1 अप्रैल 2007	-
2008-09	30 नवम्बर 2007	29 दिसम्बर 2007	29	31 मार्च 2008	1 अप्रैल 2008	-
2009-10	30 नवम्बर 2008	26 मार्च 2009	116	1 अगस्त 2009	1 अप्रैल 2009	4 महीने
2010-11	30 नवम्बर 2009	27 जनवरी 2010	58	16 सितम्बर 2010	1 अप्रैल 2010	5 महीने एवं 16 दिन
2011-12	30 नवम्बर 2010	14 मार्च 2011	104	23 दिसम्बर 2011	1 अप्रैल 2011	8 महीने एवं 23 दिन

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान आरईआरसी के पास एआरआर कभी भी दायर किये जाने की देय तिथि के भीतर दायर नहीं की एवं देरी 29 दिनों व 116 दिनों के मध्य विचरित थी जिसके परिणामस्वरूप आरईआरसी द्वारा अनुमोदन में देरी हुई। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आरआरवीपीएनएल ने समय पर एआरआर दायर करने हेतु 2009-10 से 2011-12 के दौरान परामर्शदाताओं को नियुक्त किया परन्तु फिर भी दायर करने की लक्षित तिथि की पालना नहीं की जा सकी एवं देरी 2007-08 एवं 2008-09 की तुलना में बढ़ गयी। साथ ही, आरईआरसी द्वारा अनुमत्य किये जाने में चार माह एवं आठ माह 23 दिन के मध्य विचरित देरी से भी टैरिफ आदेश को लागू करने में विलम्ब हुआ। एआरआर के दायर किये जाने में विलम्ब के अलावा आरईआरसी से अनुमोदन में विलम्ब आरईआरसी की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में देरी, सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के अनुवर्तन में देरी इत्यादी के कारण था।

आरईआरसी टैरिफ आदेश के क्रियान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रसारण प्रभारों की वसूली या तो पिछले वर्ष की दर पर या संबंधित वर्ष के लिये आरईआरसी द्वारा आदेशित अनन्तिम दर पर की गई। इस कारण 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान एआरआर दायर करने में देरी के लिये ₹ 85.57 करोड़ एवं ₹ 94.20 करोड़ के प्रसारण प्रभारों की वसूली में देरी के कारण ₹ 4.22 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने कहा कि आरईआरसी द्वारा नये प्रपत्र प्रस्तावित करने के कारण वर्ष 2009-10 के लिये एआरआर देरी से दायर की गई एवं 2010-11 के मामले में इसमें योजना आयोग द्वारा योजनागत सीमांत को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण विलम्ब हुआ था। उत्तर सहमति कारक नहीं था क्योंकि आरआरवीपीएनएल ने नये प्रपत्रों को ध्यान में रखते हुए 2009-10 एवं

2010-11 के लिये परामर्शदाता नियुक्त किया था। तब भी एआरआर देरी से दायर की गयी थी एवं आरआरवीपीएनएल द्वारा अनुवर्ती ब्याज की हानि वहन की गयी।

वित्त प्रबन्धन के अन्य मुद्दे

निक्षेप कार्य

2.1.36 आरआरवीपीएनएल समय-समय पर जारी की गयी नीति/परिपत्रों के अनुसार अनुमानित व्यय के अग्रिम संग्रहण के पश्चात् निजी पक्षकारों/सरकारी विभागों/संस्थाओं की मांग पर निक्षेप कार्यों का निष्पादन करता है। नीति/परिपत्रों के अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् पक्षकार द्वारा अग्रिम राशि एक किश्त में जमा की जानी होती है। साथ ही, अंतिम लेखे के अनुसार वसूली/वापसी सुनिश्चित करने के लिये निक्षेप कार्य का लेखा निक्षेप कार्य पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर तैयार किया जाना था।

हमने पाया कि निक्षेप कार्यों के लेखांकन हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं थी जिसके कारण आरआरवीपीएनएल निक्षेप कार्यों पर निष्पादन के दौरान किये गये/किये जा रहे वास्तविक व्यय से अवगत नहीं था। साथ ही, निक्षेप कार्यों के अंतिम लेखों को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 को पक्षकारों से ₹ 5.52 करोड़ की वसूली लम्बित थी। निक्षेप कार्यों के अभिलेखों की हमारी जांच से निम्न प्रकट हुआ:

(i) निक्षेप कार्य नीति (अप्रैल 2004) के अनुसार आरआरवीपीएनएल को 132 केवी या उच्चतर वोल्टेज की एकल/दोहरी सर्किट लाईन के शट-डाउन के लिये ब्लॉक प्रभारों की वसूली पक्षकारों से की जानी थी। हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल कृषि उपज मंडी समिति, जयपुर (केयूएमएस) से टर्मिनल मार्केट, मुहाना से गुजर रही 220 केवी दोहरी सर्किट लाईन के स्थानान्तरण कार्य, जो कि दिसम्बर 2007 में निष्पादित किया गया, के लिये ₹ 22.60 लाख के ब्लॉक प्रभार वसूल नहीं कर सका। हमने पाया कि प्रारंभिक अनुमान (मार्च 2005) दो बार संशोधित (अगस्त 2006 एवं अप्रैल 2007) किये गये थे एवं यह केयूएमएस द्वारा जमा कराये गये थे। आरआरवीपीएनएल ने, तथापि, मात्रा-बीजक को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् (दिसम्बर 2007) ब्लॉक प्रभार के पेटे ₹ 22.60 लाख की अतिरिक्त मांग उठायी परन्तु केयूएमएस ने यह राशि इस दावे के साथ जमा नहीं कराई थी कि देरी आरआरवीपीएनएल की ओर से की गयी थी एवं ब्लॉक प्रभार माफ किये जाने का निवेदन किया। प्रबन्धन ने ब्लॉक प्रभार माफ करने से इन्कार कर दिया (मई 2010) परन्तु केयूएमएस के उत्तरवर्ती निवेदन (अक्टूबर 2010) पर पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) ने इस आधार पर अधित्याग का अनुमोदन (जनवरी 2011) किया कि आरआरवीपीएनएल को लाईन के शट-डाउन के कारण राजस्व की कोई हानि वहन नहीं करनी पड़ी क्योंकि शट-डाउन की पूर्ण अवधि के दौरान आपूर्ति प्रणाली ने वैकल्पिक माध्यम से कार्य किया था।

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल तीनों बार शट-डाउन अवधि के गलत अनुमान लगाने के कारण ब्लॉक प्रभारों की वसूली नहीं कर सका एवं साथ ही, डब्ल्यूटीडी का निर्णय स्थापित नीति का उल्लंघन था। इस कारण ₹ 22.60 लाख के राजस्व की हानि हुई जो कि वसूल की जा सकती थी यदि अनुमानों को समुचित शट-डाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता।

सरकार ने उत्तर दिया कि ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया था एवं शेष कार्य विभागीय श्रम-शक्ति से पूरा करवाया गया था जो कार्य को तय समय में पूरा नहीं कर सके। इसने आगे कहा कि विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं हुआ था इसलिए आरआरवीपीएनएल को कोई राजस्व हानि नहीं हुई एवं निर्दिष्ट नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था एवं इसलिये डब्ल्यूटीडी ने केयूएमएस को एक सरकारी संगठन मानते हुए ब्लॉक प्रभारों का अधित्याग किया। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि शट-डाउन वास्तव में हुआ एवं निक्षेप कार्य नीति (अप्रैल 2004) के अनुसार प्रभारों को वसूल किया जाना था जो सभी तीनों अनुमानों में शामिल नहीं किये गये थे एवं अन्ततः अंतिम बिल में शामिल करने के पश्चात् केयूएमएस के अभिवेदन पर परित्याग करने पड़े थे।

(ii) उत्तर पश्चिम रेल्वे (एनडब्ल्यूआर) एवं रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के निवेदन पर 'मदार-पुष्कर नई लाईन के मध्य ईएचटी ट्रेक क्रॉसिंग' एवं 'रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-अजमेर स्वण्ड के गेज परिवर्तन' के निक्षेप कार्यों को आरआरवीपीएनएल द्वारा किया गया था। तकनीकी अनुमानों को तैयार करते समय (जून 2006) संशोधित नीति (मार्च 2006) के अनुसार वसूल किये जाने वाले ब्लॉक प्रभार की राशि क्रमशः ₹ 2.26 करोड़ एवं ₹ 1.76 करोड़ को शामिल नहीं किया गया था। ब्लॉक प्रभारों को बाद में अन्तिम बिल (एनडब्ल्यूआर-मई 2009 एवं आरवीएनएल) में शामिल किया गया था परन्तु वसूल नहीं किया जा सका (मई 2012) क्योंकि एनडब्ल्यूआर एवं आरवीएनएल का मत था कि लगाया गया ब्लॉक प्रभार युक्तिसंगत नहीं था एवं वास्तविक कार्य घंटों के अनुरूप नहीं था।

हमने देखा कि अनुमानों को तैयार करने में की गयी लापरवाही के कारण ₹ 4.02 करोड़ के ब्लॉक प्रभारों की वसूली नहीं हुई। यदि प्रभारों को अनुमानों में ही शामिल कर लिया जाता तब अनुमानित राशि के पूर्णरूपेण जमा होने के पश्चात् ही कार्य लिया गया होता।

सरकार ने उत्तर दिया कि सम्बन्धित एजेन्सी से वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

आरईआरसी के अनुमोदन से आधिक्य व्यय एवं पूँजी की हानि

2.1.37 आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 में दिया गया है कि एआरआर/टैरिफ निर्धारण हेतु किसी भी निवेश पर विचार नहीं होगा जब तक कि यह आयोग द्वारा वार्षिक निवेश योजना के तहत अनुमोदन नहीं किया गया हो। यह आगे प्रदान करता है कि निवेश आरईआरसी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये एवं यदि किसी वर्ष में पूँजीगत व्यय आरईआरसी द्वारा अनुमोदित निवेश योजना के अनुसार नहीं किया जाता है तब ट्रुइंग अप के समय टैरिफ में से मूल्य-ह्रास, ब्याज एवं वित्तीय प्रभार एवं संचालन एवं रखरखाव प्रभारों से आनुपातिक कटौती की जायेगी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिये आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रस्तुत की गई निवेश योजना/संशोधित योजना, आरईआरसी द्वारा अनुमोदित योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित व्यय एवं वास्तविक व्यय निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरईआरसी को प्रस्तुत निवेश योजना	आरईआरसी द्वारा अनुमोदित योजना	आरईआरसी को प्रस्तुत संशोधित निवेश योजना	राज्य सरकार द्वारा व्यय (संशोधित)	वास्तविक व्यय
2007-08	622.00	639.18	-	622.00	712.92
2008-09	825.00	825.00	1048.52	825.00	1518.04
2009-10	1233.00	1233.00	1550.00	1233.00	1382.70
2010-11	2550.00	2280.00	2000.00	2000.00	1657.64
2011-12	2820.00	2470.00	2000.00	2000.00	2014.95
योग	8050.00	7447.18		6680.00	7286.25

उपरोक्त के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

- आरआरवीपीएनएल ने 2007-10 के दौरान ₹ 916.48 करोड़ का पूँजीगत व्यय आरईआरसी के अनुमोदन से अधिक किया। परिणामस्वरूप, आरईआरसी ने 2008-09 की एआरआर के ट्रुइंग अप के समय ब्याज प्रभार के पेटे ₹ 53.20 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया। एआरआर 2009-10 के ट्रुइंग अप आदेश आरईआरसी द्वारा अभी तक जारी नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2012)।
- आरआरवीपीएनएल ने 2010-11 को छोड़कर 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत निवेश से ₹ 948.61 करोड़ का अधिक व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल को अतिरिक्त व्यय के 20 प्रतिशत समता भाग ₹ 195.72 करोड़ से वंचित होना पड़ा था एवं समता भाग की व्यवस्था, उधारियों द्वारा करनी पड़ी जिसके कारण ₹ 55.92 करोड़ का न्यूनतम अतिरिक्त ब्याज का भार पड़ा।

सरकार ने कहा कि आरआरवीपीएनएल ने प्रयास किये जिससे अधिक पूँजीगत व्यय नहीं हों परन्तु उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना से मिलान हेतु प्रसारण तंत्र तैयार करने एवं कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये योजना कोष से बाहर अधिक व्यय किया गया था जिसको टाला नहीं जा सकता था। इसने आगे कहा कि यदि अतिरिक्त व्यय को टालने के लिये प्रसारण योजनाओं के कार्य को बीच में रोकने से योजनाएं विलम्बित हो सकती थी एवं बाद में मूल्य-विचलन का भुगतान सरकार से अपेक्षित अंश-पूँजी भाग की तुलना में अधिक हो सकता था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि अनुमोदित योजना से अधिक व्यय को उचित नियोजन एवं योजनाओं के कोष आंकलन के द्वारा टाला जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप उधार लिये गये कोषों पर ब्याज का भुगतान जो अन्यथा समता पूँजी के द्वारा वित्तपोषित किये जाने के साथ ही आरईआरसी द्वारा ब्याज की अस्वीकृति हुई।

प्रसारण तंत्र की उच्चतर उपलब्धता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन

2.1.38 आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के नियम एवं शर्तें) विनियम 2004 एवं 2009 के क्रमशः वाक्यांश 82 एवं 105 में प्रसारण अनुज्ञाधारी को 98 प्रतिशत से अधिक प्रसारण तंत्र की उपलब्धता प्राप्त करने पर निर्धारित फॉर्मूला²⁷ के अनुसार वार्षिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। उक्त विनियम में आगे प्रावधान है कि 99.75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता होने पर कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

27 प्रोत्साहन=वार्षिक प्रसारण प्रभार × (वार्षिक अर्जित उपलब्धता-लक्षित उपलब्धता)/लक्षित उपलब्धता

हमने पाया कि 2007-08 से 2009-10 के दौरान 132 केवी पर प्रसारण तंत्र की वास्तविक उपलब्धता 98 प्रतिशत से अधिक थी परन्तु इन वर्षों की एआरआर के टुइंग अप के दौरान आरआरवीपीएनएल ने प्रोत्साहन हेतु दावा नहीं किया था। साथ ही, यह भी पाया गया कि आरईआरसी ने स्वतः संज्ञान से वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 6.63 करोड़ का प्रोत्साहन यह कहते हुए स्वीकृत (अगस्त 2009) किया कि एक उपक्रम के अच्छे निष्पादन को तब और भी महत्व देना चाहिए जब पूँजी पर प्रत्याय के बिना प्रक्षेपित एआरआर को महत्वपूर्ण राशि से कम कर दिया जाता है।

एआरआर 2008-09 एवं एआरआर 2009-10 को टुइंग अप प्रोत्साहन दावे के बिना क्रमशः मार्च 2011 एवं नवम्बर 2011 में दायर किया गया। एआरआर 2008-09 के लिये आरईआरसी आदेश बिना कोई प्रोत्साहन अनुमत्य किये दिसम्बर 2011 में जारी हुआ था एवं 2009-10 के लिये आदेश लम्बित था (अक्टूबर 2012)। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार 2008-09 व 2009-10 के लिये गणना किया गया प्रोत्साहन क्रमशः ₹ 13.22 करोड़ व ₹ 16.98 करोड़ था।

सरकार ने कहा कि वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (एफआरपी) 2005 के अनुसार आरआरवीपीएनएल को संक्रमण काल के दौरान पूँजी पर प्रत्याय का दावा नहीं करना था। इसने आगे कहा कि आरआरवीपीएनएल ने एफआरपी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लक्षित उपलब्धता से अधिक बढ़ाई गई तंत्र उपलब्धता पर अतिरिक्त प्रत्याय के रूप में प्रोत्साहन का दावा नहीं किया था। उत्तर इस तथ्य को देखते हुए संतोषजनक नहीं था कि प्रोत्साहन का अर्थ अतिरिक्त प्रत्याय के रूप में करना गलत था एवं आरईआरसी के प्रोत्साहन हेतु दावा प्रस्तुत करने के आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन में था जिसका आरआरवीपीएनएल द्वारा दावा नहीं किया गया था।

उच्चतर ब्याज वाले ऋणों का उपयोग

2.1.39 पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने आरआरवीपीएनएल की अल्पावधि ऋणों की अवसीमा को ₹ 120 करोड़²⁸ से ₹ 300 करोड़ तक बढ़ाया (अगस्त 2004) जिसे पुनः बढ़ाकर (फरवरी 2010) ₹ 500 करोड़ कर दिया गया था। पीएफसी की नीति के अनुसार प्रारंभ में अल्पावधि ऋण सरकारी गारन्टी/संपत्तियों के बंधक के आधार पर 180 दिनों के लिये प्राप्त किया जा सकता था एवं तत्पश्चात अतिरिक्त 180 दिनों के लिये आगे बढ़ाया जा सकता था। नीति में फरवरी 2010 में परिवर्तन किया गया एवं ऋण 30 दिनों के गुणक में अधिकतम 360 दिनों तक आगे बढ़ाने के विकल्प या एक बार में ही पूरे एक वर्ष के लिये प्राप्त किया जा सकता था।

हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने मई 2009 एवं अगस्त 2009 के मध्य कई बैंकों से सरकारी गारन्टी पर 10 एवं 10.5 प्रतिशत के मध्य विचरित ब्याज दर पर ₹ 150 करोड़ के अल्पावधि ऋण प्राप्त किये यद्यपि पीएफसी से अल्पावधि ऋण 8 एवं 8.75 प्रतिशत के मध्य विचरित दर पर उपलब्ध था। साथ ही, आरआरवीपीएनएल ने पीएफसी द्वारा अवसीमा बढ़ाये

28 अगस्त 2004 से पूर्व आरवीयूएनएल, आरआरवीपीएनएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल की एकीकृत स्वीकृत सीमा ₹ 600 करोड़ थी।

जाने से पूर्व लिये गये उच्चतर ब्याज वाले ऋण ₹ 200 करोड़ को भी रोल-ओवर नहीं किया था।

इसके परिणामस्वरूप, बैंकों को ₹ 6.57 करोड़ राशि के टालनीय उच्च ब्याज दर एवं गारन्टी कमीशन का भुगतान किया गया जो कि अन्यथा बचाया जा सकता था यदि अल्पावधि ऋण पीएफसी से बिना गारण्टी कमीशन के निम्न ब्याज दरों पर उधार लिया जाता एवं उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को पुर्नसंरचित किया गया होता।

सरकार ने उत्तर दिया कि पीएफसी की दरें अप्रैल 2009 के अंत में कम हुई थी एवं अल्पावधि ऋण स्वीकृत करने के लिये पीएफसी को एक प्रस्ताव भेजा गया था (मई 2009)। स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने एवं अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर ऋण जुलाई से सितम्बर 2009 के मध्य किशतों में प्राप्त किया गया था। तथ्य यही रहता है कि पीएफसी की बजाय अन्य संस्थाओं से उच्चतर ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ब्याज का भार उठाना पड़ा जिसको उचित समय प्रबन्धन एवं वित्तीय नियोजन से टाला जा सकता था।

उच्च दरों पर ठेका प्रदान करना

2.1.40 आरआरवीपीएनएल ने विभिन्न स्थलों पर विद्यमान 400 केवी जीएसएस पर 400 केवी एवं 220 केवी बे की निर्माण लागत में मितव्ययिता एवं एकरूपता लाने के उद्देश्य से टर्नकी ठेके (टीएन-292 एवं टीएन-294) के तहत न्यूनतम बोलीदाता (एल-1 बोलीदाता) को मदवार न्यूनतम उद्धृत लागत के आधार पर इसके उद्घरणों को संशोधित करने के लिये प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2010)। प्रस्ताव एल-1 बोलीदाता द्वारा स्वीकार किया गया था एवं आरआरवीपीएनएल इस अनुबन्ध में ₹ 1.40 करोड़ की बचत करने में सफल हुआ।

हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल ने यह सिद्धान्त 765/400 केवी जीएसएस फागी एवं 400/765 केवी जीएसएस अन्ता के निर्माण में लागू नहीं किया था। जिनकी मूल्य निविदा टर्नकी प्रणाली के तहत खोली गयी (फरवरी 2011) एवं एल-1 बोलीदाता वही पक्षकार (अरेवा) था। एल-1 बोलीदाता को निर्माण हेतु कोई भी एक जीएसएस चुनने का विकल्प दिया गया (सितम्बर 2011) क्योंकि पूर्णकालीन निदेशकों का मत था कि दोनों जीएसएस का कार्य तय समय में पूरा कर पाना बोलीदाता के लिये संभव नहीं होगा। एल-1 बोलीदाता ने 400/765 केवी जीएसएस अन्ता का चुनाव किया जिसके लिये उसने जीएसएस फागी की तुलना में उच्चतर दरें उद्धृत की थी। जीएसएस फागी का कार्य एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों में ट्रांसफॉर्मर हानियों के पूँजीकरण का समायोजन करने के पश्चात् एल-2 बोलीदाता को प्रदान किया गया था।

हमने देखा कि जीएसएस अन्ता के लिये एल-1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत मदवार दरें उन्हीं मदों के लिये जीएसएस फागी के लिये उद्धृत दरों से अधिक थी एवं दरों के मिलान किये बिना एल-1 बोलीदाता को ठेका प्रदान किये जाने के पूर्णकालिक निदेशकों के निर्णय के कारण ठेका ₹ 9.07 करोड़²⁹ से उच्चतर मूल्यों पर प्रदान किया गया।

सरकार ने कहा कि टर्नकी परियोजनाओं में मदवार तुलना सम्भव नहीं थी। इसने आगे कहा कि अरेवा ने केवल एक परियोजना यथा, टीएन-2 का चुनाव किया था इसलिए टीएन-1, जो कि

29 राशि के अन्तर की गणना के लिये सात मुख्य मदों की मदवार लागत को ही ध्यान में रखा गया था।

अन्य फर्म को प्रदान किया गया था, की व्यक्तिगत मद की लागत से तुलना करने पर जोर नहीं दिया जा सका। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरआरवीपीएनएल ने टर्नकी ठेके में मदवार लागत की तुलना की थी जहां समान कार्य निहित था एवं वही एल-1 फर्म थी एवं इस तरह बचत की थी। साथ ही, आरआरवीपीएनएल ने टीएन-1 का कार्य अन्य फर्म को अरेवा द्वारा उद्धृत समग्र मूल्य पर प्रदान किया था अतः यह निष्कर्ष निकालना कि राशि तुलनीय नहीं थी, उचित नहीं था।

जोखिम एवं लागत के पेटे वसूली का अभाव

2.1.41 आरआरवीपीएनएल ने (i) सरधना जीएसएस से पुष्कर रोड तक 132 केवी एससी लाईन, (ii) एमडीएस विश्वविद्यालय जीएसएस से कोटरा जीएसएस तक 132 केवी एससी लाईन एवं (iii) चित्तौड़-हमीरगढ़ लाईन से रश्मि तक 132 केवी डीसी लीलो लाईन के निर्माण के लिये आदेश प्रदान किये (मई 2009)। तीनों लाईनों को नवम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना नियत था। यह पाया गया था कि ठेकेदार तय समय में कार्य पूर्ण नहीं कर सका परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल ने प्रथम दो लाईनों का कार्य "जहाँ है जैसे है" आधार पर वापस लेने एवं शेष कार्य को उसकी जोखिम एवं लागत पर कराने का निर्णय लिया (मई 2010)। तत्पश्चात्, ठेकेदार की कार्यादेश पुनःस्थापन करने के निवेदन (जून 2010) पर आरआरवीपीएनएल ने द्वितीय लाईन का कार्य पुनःस्थापित कर दिया (जून 2010) जबकि प्रथम लाईन का कार्यादेश अन्य ठेकेदार को प्रदान किया (जून 2010)। सीएमडी स्तरीय समिति ने तथापि यह निर्णय लिया कि दोषी ठेकेदार को भुगतान, वापस ली गयी लाईन के लिये जोखिम व लागत की राशि की वसूली के पश्चात् किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि वापस लिये गये कार्य की जोखिम व लागत राशि के समक्ष पर्याप्त वित्तीय धारण सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही अनुप्रयुक्त सामग्री को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

तथापि, हमारी जांच से यह प्रकट हुआ कि टीएलपीसी³⁰ ने जोखिम व लागत राशि को अंतिम रूप नहीं दिया था लेकिन केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (सीपीसी) ने सीएमडी स्तरीय समिति के निर्णय के उल्लंघन में ₹ 65.77 लाख का भुगतान कर दिया (जुलाई 2010 से मार्च 2011)। साथ ही, टीएलपीसी ने जोखिम एवं लागत के पेटे ₹ 73.04 लाख की अंतरिम वसूली की गणना की (अक्टूबर 2012) परन्तु यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु लम्बित थी (नवम्बर 2012)।

नवम्बर 2012 तक आरआरवीपीएनएल के पास दोषी ठेकेदार के समक्ष ₹ 1.59 करोड़ का वित्तीय धारण था परन्तु इसका उपयोग वसूली के लिये नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त राशि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जब्ती के तहत थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि टीएलपीसी शाखा द्वारा जोखिम व लागत वाक्यांश के पेटे ₹ 73.04 लाख की अंतरिम वसूली की गणना की गयी थी। तथ्य फिर भी यही रहता है कि टीएलपीसी द्वारा गणना की गयी अंतरिम वसूली राशि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु लम्बित थी एवं न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रोकी गयी राशि का वसूली के लिये उपयोग नहीं किया जा सका।

सामग्री प्रबन्धन

2.1.42 सामग्री प्रबन्धन में मुख्य कार्य स्कन्ध नियंत्रण नीति का निर्धारण, आदेशों का समयोचित स्थापन व सामग्री का मितव्ययिता से प्रापण एवं अप्रचलित सामग्री का निस्तारण करना है। एक उचित सामग्री नियंत्रण में विभिन्न तकनीकों यथा, अधिकतम एवं न्यूनतम स्कन्ध स्तर का निर्धारण, सुरक्षा स्कन्ध का निर्धारण, मद विशेष का मूल्य एवं कुल मात्रा में इसके भाग के आधार पर एबीसी विश्लेषण, का प्रयोग आवश्यक है।

आरआरवीपीएनएल तीन भण्डारगृह, प्रत्येक मण्डल में एक, हीरापुरा, ब्यावर एवं जोधपुर में संधारित करता है। प्रत्येक मण्डल में मण्डल मुख्य अभियन्ता वर्ष के दौरान विभिन्न वृत्तों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का आंकलन करता है एवं भण्डारगृहों में उपलब्ध सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्रय की जाने वाली सामग्री की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण करता है। उप-केन्द्रों से संबंधित सामग्री की आवश्यकता को एसएसपीसी एवं लाईन से संबंधित आवश्यकता को टीएलपीसी को सूचित किया जाता है। एसएसपीसी एवं टीएलपीसी निविदायें आमंत्रित करते हैं एवं प्रापण की हुई सामग्री को या तो भण्डारगृह में जमा कर दिया जाता है या आवश्यकता अनुसार सीधे कार्यस्थल पर सुपुर्दगी दी जाती है।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान तीनों भण्डारगृहों के लिये वार्षिक/मासिक स्कन्ध उपभोग, शुद्ध अंतिम स्कन्ध एवं उपभोग माह के रूप में अंतिम स्कन्ध से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोग (प्रतिवर्ष)	उपभोग (प्रतिमाह)	शुद्ध अंतिम स्कन्ध	उपभोग माह के रूप में अंतिम स्कन्ध
2007-08	73.71	6.14	77.84	12.68
2008-09	140.85	11.74	86.19	7.34
2009-10	116.63	9.72	121.85	12.54
2010-11	165.14	13.76	158.77	11.54
2011-12	148.58	12.38	78.67	6.35

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आरआरवीपीएनएल के भण्डारगृहों ने 2007-12 के दौरान 6.35 माह के उपभोग एवं 12.68 माह के उपभोग के मध्य विचरित स्कन्ध स्तर अनुरक्षित किया। हमने देखा कि यद्यपि 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 में भण्डारगृहों द्वारा उपभोग माह के रूप में उच्चतर अंतिम स्कन्ध संधारित किया लेकिन इसने ना तो कभी एबीसी विश्लेषण किया ना ही सामग्री आवश्यकता के लिये कोई मानक न्यूनतम स्तर/पुर्नआदेश स्तर निश्चित किया। स्कन्ध का उच्चतर स्तर रखना अनुचित नियोजन व निष्पादन एवं क्रय के मध्य समन्वय का अभाव दर्शाता है।

सामग्री प्रबन्धन प्रणाली की समीक्षा से निम्न प्रकट हुआ:

- मार्च 2012 को हीरापुरा भण्डारगृह में ₹ 51.57 लाख मूल्य की अगतिमान सामग्री पड़ी थी। हमने पाया कि यह सामग्री 1994 से 2005 के मध्य क्रय की गयी थी परन्तु रूपरेखा/विशेष विवरण (स्पेसिफिकेशन) में परिवर्तन के कारण उपयोग नहीं की जा सकी। यह दर्शाता है कि ये मदें अधिकता में या बिना आवश्यकता के क्रय की गयी थी।

इन मदों का निस्तारण नहीं करने के परिणामस्वरूप समय व्यतीत होने के साथ इनके वसूली मूल्य में कमी हुई तथा धारण करने की लागत वहन की गयी।

- 2000 से 2006 के दौरान क्षेत्र कार्यालयों द्वारा भण्डारगृह में जमा कराए गये तीन पावर ट्रांसफॉर्मर्स मरम्मत या निस्तारण संबंधी निर्णय के अभाव में पड़े थे। इसी प्रकार तीन ट्रांसफॉर्मर्स सहायक अभियन्ता- प्रथम (सीएण्डएम 400 केवी), हीरापुरा के पास 2005 से 2009 के वर्ष से निस्तारण हेतु पड़े थे। यह भी देखा गया था कि दो मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर्स भी इसी कार्यालय में मई 2008/नवम्बर 2010 से पड़े थे परन्तु स्थापित नहीं किये गये थे (मई 2012)।
- 132 केवी एससी गंगापुर सिटी (220 केवी)- श्री महावीरजी लाईन एवं 220 केवी डीसी हिण्डौन-गंगापुर सिटी लाईन के निर्माण के लिये कार्यादेश नवम्बर 2010 में अगस्त 2011 एवं अक्टूबर 2011 के दौरान नियत पूर्णता तिथि के साथ प्रदान किये थे। हमने पाया कि आरआरवीपीएनएल दोनों मामलों में आपूर्तिकर्ताओं की असमर्थता के कारण टॉवर सामग्री प्राप्त करने में विफल रहा परन्तु डिस्क इन्सुलेटर एवं कन्डक्टर की आपूर्ति को स्वीकार करना जारी रखा। जनवरी 2011 एवं मार्च 2011 के मध्य क्रय किये गये ₹ 3.49 करोड़ के डिस्क इन्सुलेटर एवं कन्डक्टर भण्डारगृह/कार्यस्थल पर पड़े थे (मार्च 2012)।

सरकार ने कहा कि योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये जाने वाले एवं अगले वित्त वर्ष में पूर्णता के लक्ष्य वाले कार्यों के लिये सामग्री की आवश्यकता को अंतिम रूप दिया गया था। इसने आगे कहा कि अनुरक्षण कार्यों तथा आपात/आकस्मिक स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक सामग्री तैयार स्कन्ध के रूप में रखनी पड़ती है। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि छः महिने से अधिक का स्कन्ध स्तर न्यायोचित नहीं था एवं उचित सामग्री प्रबन्धन के द्वारा कम किया जा सकता था। सामग्री के उच्चतर स्तर से कोष अवरुद्ध हुए तथा गुणवत्ता में कमी के साथ-साथ रूपरेखा/विशेष विवरण में परिवर्तन के कारण अप्रचलन की जोखिम भी रही। साथ ही, सरकार का उत्तर अगतिशील/मन्द गतिशील मदों तथा ट्रांसफार्मर्स के अनुपयोग/निस्तारण से संबंधित अन्य मुद्दों पर मौन था।

टॉवर सामग्री के प्रापण से पूर्व डिस्क इन्सुलेटर तथा कन्डक्टर के क्रय के सम्बंध में सरकार ने उत्तर दिया कि टॉवर सामग्री की आपूर्ति के लिये आदेश नवम्बर/दिसम्बर 2010 तथा पुनः जून/जुलाई 2011 में दिये गये थे परन्तु आपूर्तिकर्ता सामग्री की सुपुर्दगी करने में विफल रहे।

बे का उपयोग नहीं किया जाना

2.1.43 33 केवी बे, वितरण प्रणाली को इस प्रकार सुदृढ़ करती है कि या तो वितरण हानियाँ कम होती है या विशिष्ट वितरण जीएसएस के भार को कम/अतिभार से सुरक्षा करने हेतु मोड़ा जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी नये 220/132 केवी जीएसएस के साथ 33 केवी बे का निर्माण किया जाता है तथा बाद में अतिरिक्त बे का निर्माण डिस्कॉम्स के प्रस्ताव/आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि आरआरवीपीएनएल द्वारा बड़ी संख्या में निर्मित 33 केवी बे का उनके निर्माण से ही उपयोग नहीं किया गया था। मार्च 2009 को अनुपयोगी बे की

संख्या 96 थी जो कि बढ़कर मार्च 2012 के अंत तक 214 हो गयी जिनका मूल्य ₹ 31.84 करोड़ था। अनुपयोगी बे की संख्या में वृद्धि का रुझान इंगित करता है कि परियोजना मूल्यांकन/डिस्कॉम्स के प्रस्तावों का विश्लेषण उचित तरीके से नहीं किया गया था। बे का उपयोग नहीं होने से वितरण प्रणाली की सुदृढ़ता का यथार्थ उद्देश्य निष्फल हुआ तथा कोष भी अवरूद्ध हुए।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स के प्राधिकारियों द्वारा समयोचित अन्तर-सम्बद्धता प्रदान करने के लिये नियमित रूप से निवेदन किया जा रहा था। तथापि, स्थिति यह थी कि अनुपयोगी बे की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही थी।

ट्रांसफॉर्मर्स का अनावश्यक क्रय

2.1.44 आरआरवीपीएनएल की सीएमडी स्तरीय समिति ने टीएन-2859 के तहत 20/25 एमवीए, 132/33 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की (जनवरी 2011) एवं विश्लेषण किया कि मार्च 2011 तक नियत 35 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के समक्ष केवल 30 ट्रांसफॉर्मर्स की सुपुर्दगी ही अपेक्षित थी। उक्त क्रयादेश के तहत एक आपूर्तिकर्ता की मार्च 2011 तक पाँच ट्रांसफॉर्मर्स आपूर्ति करने में असमर्थता पर विचार करते हुए समिति ने उसी निविदा के अन्य आपूर्तिकर्ता को उन्हीं कीमतों पर आपूर्ति का आवर्ती आदेश दे दिया (जनवरी 2011)। इन पाँच ट्रांसफॉर्मर्स की सुपुर्दगी 22 मार्च 2011 तथा 29 मार्च 2011 के मध्य प्राप्त हुई थी। ट्रांसफॉर्मर्स की अंतःस्थापना/उपयोग से प्रकट हुआ कि जून 2011 तक 22 ट्रांसफॉर्मर्स ही उपयोग किये जा सके एवं तत्पश्चात 10 ट्रांसफॉर्मर अक्टूबर 2011 तक उपयोग किये गये थे जबकि तीन ट्रांसफॉर्मर्स सिविल कार्यों/लाईनों के पूर्ण नहीं होने/आरओडब्ल्यू समस्याओं के चलते जीएसएस की अपूर्णता के कारण कार्यस्थल पर अनुपयोगी पड़े थे (मई 2012)।

हमने पाया कि ट्रांसफॉर्मर्स की कीमतों में गिरावट का रुझान था एवं अन्य क्षमता के ट्रांसफॉर्मर्स की अगस्त 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान खोली गयी मूल्य निविदाओं में निम्न मूल्य (पिछली निविदा की तुलना में 7.70 प्रतिशत एवं 20.60 प्रतिशत के मध्य विचरित) प्राप्त हुए थे। यह भी पाया गया था कि उसी क्षमता, जो टीएन-2859 की थी, के 42 ट्रांसफॉर्मर्स के लिये अन्य निविदा (टीएन-2920) अक्टूबर 2010 के दौरान निकाली गई थी एवं जिसकी तकनीकी बोली नवम्बर 2010 के दौरान खोली गयी थी, जुलाई 2011 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित थी। टीएन-2920 के लिये क्रयादेश टीएन-2859 के अद्यतन मूल्यों की तुलना में 22.06 प्रतिशत निम्न मूल्यों पर जुलाई 2011 में जारी किये गये थे।

हमने देखा कि आरआरवीपीएनएल ने निविदा खोलने की तिथि के 120 दिनों के भीतर इसे अंतिम रूप दिये जाने के क्रय मैनुअल के दिशा-निर्देशों के विपरीत टीएन-2920 को अंतिम रूप देने में देरी की एवं टीएन-2859 के तहत पाँच ट्रांसफॉर्मर्स का आवर्ती आदेश उच्चतर मूल्यों पर दिया। यदि क्रय मैनुअल के दिशा-निर्देशों के अनुसार टीएन-2920 को मार्च 2011 तक अंतिम रूप दिया गया होता, तो पाँच ट्रांसफॉर्मर्स की सुपुर्दगी जून 2011 तक प्राप्त की जा सकती थी।

इस प्रकार, टीएन-2920 को अंतिम रूप दिये जाने में देरी ने कार्यस्थल पर वास्तविक आवश्यकता के बिना पाँच ट्रांसफॉर्मर्स का टीएन-2859 के तहत उच्चतर मूल्यों पर आवर्ती

आदेश देकर आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ पहुँचाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये जनवरी 2011 में टीएन-2859 के तहत आवर्ती आदेश दिया गया था। आवर्ती आदेश के समक्ष आपूर्ति किये गये ट्रांसफॉर्मर्स का त्वरित उपयोग अप्रैल/मई 2011 (लाईन की आरओडब्ल्यू समस्या के कारण सरना डुंगर पर सिवाय एक ट्रांसफॉर्मर के) में कर लिया गया था। इसने आगे कहा कि कोई अतिरिक्त व्यय नहीं वहन करना पड़ा था क्योंकि टीएन-2859 के तहत देरी से आपूर्ति पाँच ट्रांसफॉर्मर्स को टीएन-2920 की निम्न कीमतों पर लिया गया। तथ्य यही था कि जून 2011 तक केवल 22 ट्रांसफॉर्मर्स का ही उपयोग किया गया जो इंगित करता है कि पाँच ट्रांसफॉर्मर्स के आवर्ती आदेश की आवश्यकता नहीं थी। यदि टीएन-2920 को क्रय मैन्युअल के दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्च 2011 तक अंतिम रूप दे दिया जाता तो पाँच ट्रांसफॉर्मर्स, जून 2011 तक कम कीमत पर प्राप्त किये जा सकते थे। साथ ही, टीएन-2920 की कीमतों पर टीएन-2859 के तहत विलम्बित पाँच ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति प्राप्त करना, आवर्ती आदेश के कारण वहन किये गये अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति नहीं थी।

कन्डक्टर का अग्रिम क्रय

2.1.45 प्रारंभिक गतिविधियों के अभाव के कारण छबड़ा-हिण्डौन लाईन एवं छबड़ा-भीलवाड़ा लाईन के क्रमशः 16 एवं 21 महिने की देरी से पूर्ण होने की चर्चा अनुच्छेद 2.1.11 में की गयी है। इन लाईनों के लिये कन्डक्टर प्रापण हेतु क्रयादेश दिसम्बर 2007 में नवम्बर/दिसम्बर 2008 तक नियत सुपुर्दगी के साथ, जो लाईनों के कार्यादेशों की नियत पूर्णता के अनुसार थी, प्रदान किये गये थे। कन्डक्टर की आपूर्ति दो लॉट में 2558 किमी (लॉट-1 छबड़ा-भीलवाड़ा) एवं 1953 किमी (लॉट-2 छबड़ा-हिण्डौन) फरवरी 2008 से क्रमशः 350 किमी एवं 250 किमी प्रतिमाह के पैकेज में सितम्बर 2008 तक की जानी थी जबकि शेष आपूर्ति क्रमशः दिसम्बर एवं नवम्बर 2008 में की जानी थी।

हमने पाया कि सीएमडी ने छबड़ा चरण-1 से विद्युत निष्क्रमण तंत्र की तैयारी को देखते हुए छबड़ा-दहरा लाईन (छबड़ा-भीलवाड़ा लाईन का भाग) को मार्च 2008 तक पूरा करने के लिये कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये (दिसम्बर 2007)। तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता (एसई 400 केवी डिजाइन) ने आपूर्तिकर्ता को दोनों लाईनों की समग्र सुपुर्दगी जून 2008 तक पूरी करने के निर्देश दिये, जो जुलाई 2008 में पूर्ण कर दी गयी थी।

हमने देखा कि एसई 400 केवी डिजाइन ने सीएमडी के दिशा-निर्देशों का गलत निर्वचन किया तथा केवल छबड़ा-दहरा भाग के लिये 1581 किमी कन्डक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर लॉट-1 व लॉट-2 की समग्र सुपुर्दगी सारणी को पूर्व में कर दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लाईन के दहरा-भीलवाड़ा भाग में तार चढ़ाने का कार्य दिसम्बर 2008 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका था। तार चढ़ाने के कार्य की प्रगति में देरी के कारण जुलाई 2008 तक कुल प्रापण किये गये 4509.50 किमी कन्डक्टर में से केवल 1879.95 किमी कन्डक्टर का ही उपयोग किया जा सका था।

इस प्रकार, कार्य की वास्तविक प्रगति के अनुरूप क्रयादेश के वाक्यांश 8.3³¹ के अनुसार आपूर्ति को स्थगित करने की बजाय लॉट-1 एवं लॉट-2 की समस्त कन्डक्टर प्रापण के निर्णय के परिणामस्वरूप 2629.55 किमी कन्डक्टर का अग्रिम प्रापण हुआ जिसका उपयोग अगस्त 2008 से सितम्बर 2010 के दौरान किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 72.05 करोड़ का कोष सारभूत अवधि के लिये अवरूद्ध रहा।

सरकार ने कहा कि छबड़ा टीपीएस के सितम्बर/अक्टूबर 2008 तक स्थापित होने के पुर्वाभास में कन्डक्टर की आपूर्ति में परिवर्तन किया गया था। इसने आगे कहा कि यदि कन्डक्टर की आपूर्ति नियत सुपुर्दगी सारणी के अनुसार ली जाती तो आरआरवीपीएनएल को मूल्य विचलन के पेटे ₹ 4.94 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। सरकार का उत्तर सही नहीं था क्योंकि कन्डक्टर सुपुर्दगी सारणी से पूर्व बिना आवश्यकता के, यहाँ तक कि दहरा-भीलवाड़ा लाईन के टॉवर कार्य की पूर्णता तथा तार चढ़ाने के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही प्रापण किया गया था। यह, दिशा-निर्देशों का गलत निर्वचन एवं लाईन कार्य की पूर्णता में आरआरवीपीएनएल में समग्र नियोजन के अभाव को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। मूल्य विचलन के रूप में ₹ 4.94 करोड़ की बचत के संबंध में तथ्य यह है कि यह बाद का विचार था एवं स्कन्ध धारण करने की लागत बचत से कहीं अधिक थी।

निगरानी एवं नियंत्रण

2.1.46 400/220/132 केवी के जीएसएस एवं लाईनों का निष्पादन विभिन्न मापदण्डों जैसे अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर, ब्रेकडाउन तथा वोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड कोड मानक के अनुसार अभिलेखित/अनुरक्षित किया जाना चाहिए। आरआरवीपीएनएल के वृत्त कार्यालय टीसीसी के साथ-साथ स्थापित उपकरणों के निष्पादन को इंगित करते हुए वार्षिक (एमआईएस) प्रतिवेदन संकलित करते हैं एवं निगम कार्यालय को अग्रेषित करते हैं। तथापि, सूचना एमआईएस शाखा द्वारा संकलित नहीं की गयी थी। साथ ही, वृत्तों के एमआईएस प्रतिवेदनों के सत्यापन से प्रकट हुआ कि उपकरणों जैसे सर्किट ब्रेकर्स (सीबी) की कार्यक्रमित मरम्मत, तेल परिवर्तन की देय तिथियाँ, भार पर टेप परिवर्तन परिचालन, अनुरक्षण कार्यों की तिथियाँ, जीएसएस बैटरियों का निष्पादन, रिले का निष्पादन, फीडर ब्रेकडाउन के कारण-वार विश्लेषण इत्यादी का विवरण संकलित/अनुरक्षित नहीं की गयी थी।

सरकार ने कहा कि तेल परिवर्तन की देय तिथि को छोड़कर विभिन्न प्रतिवेदन जैसे अधिकतम/न्यूनतम वोल्टेज स्तर, ब्रेकडाउन्स, वोल्टेज प्रोफाइल का अनुरक्षण व अभिलेख, उपकरणों की मरम्मत/जाँच वृत्त स्तर पर ओएमएस मॉड्यूल में अभिलेखित किये गये थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि ये प्रतिवेदन न तो वृत्त कार्यालयों द्वारा बनाये गये थे एवं न ही आगे संकलन तथा प्रणाली में सुधार हेतु निर्णय लेने के लिये उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु निगम स्तर पर एमआईएस शाखा को भेजे जा रहे थे।

31 क्रेता कार्यस्थल पर तार चढ़ाने के कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर आपूर्ति कार्यक्रम में परिवर्तन (पीछे स्थिसकाना/स्थगन) का अधिकार सुरक्षित रखता है।

टीएण्डडी योजनाओं के परिकल्पित लाभों की समीक्षा

2.1.47 आरआरवीपीएनएल ने समीक्षा अवधि के दौरान 115 ईएचटी जीएसएस निष्पादित एवं स्थापित किये तथा कुल 7308.33 सीकेएम की कुल लम्बाई की ईएचटी लाइनों का निर्माण किया। टीएण्डडी योजनाओं को अनुमोदित करते समय आरआरवीपीएनएल ने नयी योजनाओं के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लाभों, लाइन हानियों में कमी, वोल्टेज स्तरों में सुधार एवं भार वृद्धि के रूप में परिकल्पित किया। तथापि, यह देखा गया था कि योजनाओं के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति/अप्राप्ति को मापने के लिये कोई प्रणाली नहीं थी। बहुत से मामलों में जीएसएस एवं लाइनें नियत पूर्णता अवधि के समक्ष देरी से पूर्ण/स्थापित हुई थी परन्तु पूँजीगत व्यय पर प्रत्याय को आंकलित करने के लिये इनकी कभी समीक्षा/माप नहीं किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि एकीकृत प्रणाली में योजनावार लाभों की गणना करने के लिये कोई पद्धति नहीं थी। इसने आगे कहा था कि इस प्रणाली के समग्र तकनीकी मापदण्डों की निगरानी की जा रही थी।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.48 आंतरिक नियंत्रण, कार्य संचालन की दक्षता हेतु उचित आश्वासन प्रदान करने, वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता एवं लागू कानून व संविधि, जो कि उचित कार्य संचालन के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता तथा गलती व कपट की पहचान सुनिश्चित करने के लिये बनाए गये हैं, की पालना हेतु एक रूपरेखित प्रक्रिया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र में सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा चिह्नित की गयी एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियाँ

2.1.49 सांविधिक अंकेक्षकों ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में निम्न मुख्य कमियाँ इंगित की:

- आरआरवीपीएनएल की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं थी एवं इसे अधिक प्रभावी तथा व्यापक एवं अत्यावश्यक जाँच बिन्दुओं हेतु परिणामोन्मुख बनाने के लिये अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक स्थायी संपत्तियों के पूँजीकरण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन, स्थायी संपत्ति, निक्षेप कार्यों की असमान प्रक्रिया, विभिन्न शीर्षों का गलत वर्गीकरण आदि से सम्बंधित महत्वपूर्ण आक्षेपों को पहचान पाने में असमर्थ थे। ऐसा, प्रबन्धन का आंतरिक नियंत्रण की प्रमुख कमजोरियों को सुधार पाने में निरन्तर विफलता के कारण था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि लेखापरीक्षा का कार्य पर्याप्त कर्मचारियों के बिना किया जा रहा था एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये सर्वोत्तम प्रयास किये जा रहे थे। सरकार द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि वर्ष 2011-12 के वाणिज्यिक लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये एक कार्यादेश प्रदान किया जा चुका है।

हमारा निष्कर्ष

2.1.50 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र में हमारे द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये कार्य की प्रमात्रा, मानव-शक्ति के चयन एवं मानव-शक्ति नियुक्त करने हेतु कोई मापदण्ड तय नहीं किये गये थे जो कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के अवैज्ञानिक प्रबन्धन को दर्शाता है क्योंकि 2011-12 के दौरान चयनित 34 इकाइयों में से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा केवल 22 इकाइयों की लेखापरीक्षा ही कर पाई। साथ ही, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान केवल ₹ 0.39 लाख एवं ₹ 0.71 लाख के मध्य विचरित अल्प वसूलियाँ ही इंगित की।
2. आंतरिक लेखापरीक्षा आक्षेपों को अल्प महत्व ही दिया गया था जैसा कि मार्च 2012 को कुल बकाया 677 अनुच्छेदों में से 100 अनुच्छेद 2003-06 की अवधि से संबंधित थे।

सरकार ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये कार्य की प्रमात्रा, मानव-शक्ति के चयन एवं नियुक्त किये जाने हेतु मापदण्ड तय किये गये थे एवं दो आंतरिक लेखापरीक्षा दल 34 इकाइयों के व्ययों की तथा एक दल वाणिज्यिक लेखों की लेखापरीक्षा कर रहा था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि कार्य की प्रमात्रा के अनुसार मानव-शक्ति के चयन एवं नियुक्ति से संबंधित कुछ भी अभिलेखों पर पाया नहीं गया था। साथ ही, अपर्याप्त मानव शक्ति नियुक्त किये जाने से संबंधित तथ्य को उपरोक्त में प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किया गया है। बकाया अनुच्छेदों के संबंध में यह कहा गया था कि बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु निगम स्तर पर सशक्त प्रयास किये जा रहे थे।

निष्कर्ष

- क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजनाएँ चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गयी थी एवं इसलिए, अतिरिक्त/कार्यहीन प्रसारण क्षमता वर्ष दर वर्ष बढ़ गयी;
- आरआरवीपीएनएल प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना नहीं कर सका;
- आरआरवीपीएनएल दोषपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय पर पूर्ण नहीं कर सका;
- प्रसारण हानियाँ सीईए/आरईआरसी द्वारा निर्धारित किये गये स्तर से अधिक थीं। समीक्षा अवधि के दौरान पूँजी निवेश ने प्रसारण हानियों में प्रभावी कमी में

योगदान नहीं किया था एवं हानियाँ सीईए व आरईआरसी के मानकों क्रमशः 4 एवं 4.2 प्रतिशत के समक्ष 6.20 प्रतिशत रही;

- उत्पादन परियोजनाओं के साथ प्रसारण परियोजनाओं के चालू होने में असंगति थी;
- आरआरवीपीएनएल ने ग्रिड उप-केन्द्रों पर आपदा प्रबन्धन योजना लागू नहीं की थी। उच्चतम जोखिम वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की पहचान नहीं की गयी थी तथा क्षमताओं की जाँच के लिये कभी व्यापक राज्य-व्यापी कवायद नहीं की गयी थी;
- आरआरवीपीएनएल नियत समय में एआरआर दायर नहीं कर सका तथा प्रसारण तंत्र की लक्षित से अधिक बढ़ाई गई उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का दावा नहीं किया गया था। पूँजीगत व्यय आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमत्य राशि से अधिक किये गये; एवं
- अनुचित सामग्री प्रबन्धन के मामले दृष्टव्य थे जैसे कि स्कन्ध का उच्च स्तर रखा गया था, सामग्री आवश्यकता से पूर्व प्रापण की गई थी एवं बे महत्वपूर्ण समयावधि के लिये निष्क्रिय रही।

सिफारिशें

आरआरवीपीएनएल को चाहिये कि:

- क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजना चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार करे;
- परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना करें एवं प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाए;
- प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करे;
- उत्पादन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के साथ प्रसारण तंत्र की पूर्णता सुनिश्चित करे;
- आपदा प्रबन्धन योजना को व्यापकता से लागू करना सुनिश्चित करे;
- आरईआरसी को एआरआर के समयोचित प्रस्तुतीकरण हेतु तंत्र विकसित करे। पूँजीगत व्ययों को आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार रखना चाहिए;
- स्कन्ध स्तर का विश्लेषण एवं निगरानी करे।

2.2 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) मुख्यतया तीन प्रकार के कार्यों (i) निविदा कार्य (ii) सेन्टेज/निक्षेप कार्य (iii) बीओटी परियोजनाओं का निष्पादन करता है।

कार्य निष्पादन

कार्यों को पूर्ण करने की गति अत्यन्त धीमी थी जैसा कि 2006-07 के प्रारम्भ में निष्पादन हेतु लम्बित 208 कार्यों एवं 2006-12 के दौरान प्राप्त किये गये 286 कार्यों (₹ 3814.66 करोड़) के समक्ष केवल 267 कार्य (₹ 891.06 करोड़) ही पूर्ण एवं ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किये जा सके थे। लगभग 82 प्रतिशत (186 कार्य) कार्य 18 माह तक के विलम्ब के साथ पूर्ण हुये थे जबकि 18 प्रतिशत मामलों (42 कार्य) में विलम्ब 18 माह से अधिक था। कार्यों का अधिकतम निष्पादन 66 माह का था। पूर्णता में विलम्ब, कार्य प्रदान करने व ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने, ग्राहक विभाग द्वारा आरेखण का देरी से अनुमोदन, ठेकेदार द्वारा पूर्ण करने, कम्पनी द्वारा स्टील व सीमेण्ट की आपूर्ति करने, कार्यों की खराब निगरानी व पर्यवेक्षण एवं ग्राहक विभाग द्वारा कोष जारी करने की वजह से था। इससे कम्पनी की विश्वसनीयता में कमी, जहाँ ग्राहक विभाग द्वारा कार्य वापस लिये गये, के अलावा इसे सेन्टेज की समयोचित वसूली से एवं राज्य को सामाजिक- आर्थिक लाभों से वंचित किया।

निक्षेप/सेन्टेज कार्य

राजस्थान सरकार ने सेन्टेज की दरें बहुत पहले 1996 में निर्धारित की थी परन्तु कम्पनी ने वास्तविक किये गये प्रशासनिक उपरिव्ययों की पूर्ति के पेटे सेन्टेज की पर्याप्तता की कभी समीक्षा नहीं की थी। राजस्थान सरकार के वास्तविक लागत पर नौ प्रतिशत सेन्टेज की वसूली के दिशा-निर्देशों के समक्ष एवं 8.06 व 11.48 प्रतिशत के मध्य सीमा के वास्तविक

उपरिव्ययों के समक्ष प्रभावी वसूली 7.24 व 8.15 प्रतिशत के मध्य रही, इससे 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान ₹ 21.10 करोड़ का अन्तर रहा। इसके अलावा, कम्पनी ने कुल लागत की गणना में ब्याज एवं वित्त प्रभारों को शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप भी 2010-12 के दौरान निष्पादित की गई परियोजनाओं पर ₹ 2.65 करोड़ के सेन्टेज की कम वसूली हुई। साथ ही, निवेश पर 15 प्रतिशत लाभ, जैसा कि राजस्थान सड़क विकास नियम, 2002 के तहत अनुमत्य किया गया, प्रभारित करने के बजाय कम्पनी ने सात प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा 2009-10 के दौरान सुर्पुद की गई 13 सड़कों पर ₹ 17.96 करोड़ के लाभ की कम वसूली हुई।

निविदा कार्य

राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी का व्यवसाय प्रापण प्रकोष्ठ निविदा व्यवसाय की 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में वृहद रूप से विफल रहा। 2006-12 के दौरान भाग ली गई कुल 195 निविदाओं में से कम्पनी केवल ₹ 65.08 करोड़ मूल्य की तीन निविदायें ही प्राप्त कर सकी। 2006-12 के दौरान पूर्ण किये गये आठ निविदा कार्यों में कम्पनी ने छः कार्यों पर ₹ 2.26 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं दो कार्यों पर ₹ 0.80 करोड़ की हानि वहन की। इन कार्यों पर लाभ प्रशासनिक लागत को विभाजित किये बिना था जिसे ध्यान में रखने के पश्चात् निविदा कार्य ₹ 4.63 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जायेंगे। पूर्ण की गई परियोजनाओं के अंतिम बिल ग्राहक विभागों को प्रस्तुत करने में तीन व 31 माह के मध्य सीमा में सारभूत विलम्ब था एवं मार्च 2012 को ₹ 2.94 करोड़ के भुगतान वसूली हेतु लम्बित थे।

बीओटी परियोजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा सुर्पुद की गई बीओटी परियोजनाओं के गलत लेखांकन के कारण कम्पनी ने 2006-12 के दौरान लाभों को ₹ 17.70 करोड़ से अधिक लेखित किया। कम्पनी ने राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं राज्य सरकार के साथ एमओयू के प्रावधानों के विपरीत ब्याज सहित निवेश की वास्तविक वसूली से अधिक ₹ 16.82 करोड़ का टोल संग्रहण किया।

संविदा प्रबन्धन

कम्पनी ने मानक बोली प्रलेख में जोखिम व लागत वाक्यांश को सम्मिलित किये बिना निविदायें आमंत्रित की। दोषी ठेकेदारों द्वारा निष्पादित नहीं किये गये कार्यों पर पुनः बोली आमंत्रित किये जाने के कारण ₹ 15.47 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। कार्यों के निष्पादन में इकाईयों के मध्य समन्वय एवं एकरूपता की कमी थी जैसा कि समान प्रकृति के कार्य विभिन्न इकाईयों द्वारा मुख्य निविदा के साथ जोड़कर अथवा पृथक ठेकों द्वारा निष्पादित किये गये थे एवं समान मदों हेतु बीएसआर की भिन्न-भिन्न दरों को प्रयोग करने के कारण ₹ 48.84 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यान्त्रिक इकाई

यान्त्रिक इकाई का समग्र निष्पादन संतोषजनक नहीं था एवं इसने कम्पनी के लाभों में ऋणात्मक रूप से योगदान किया था। वर्ष 2009-10 को छोड़कर सभी वर्षों में किराया प्रभार प्रत्यक्ष लागत की पूर्ति करने में भी पर्याप्त नहीं था। कम्पनी ने निक्षेप कार्यों पर भारित की जाने वाली लागत का निर्धारण करते समय मशीनरी पर नियोजित श्रम लागत के तत्व को किराया प्रभार में शामिल नहीं किया था एवं परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के श्रम प्रभार कम वसूल हुये थे। मार्च 2012 को मशीनरी का समग्र उपयोग एमओएसटी द्वारा अनुशंसा किये गये वार्षिक मानक घंटों के समक्ष मात्र 41.41 प्रतिशत था एवं पृथक-पृथक उपयोग

22.24 एवं 79.38 प्रतिशत के मध्य सीमा में था।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

कम्पनी ने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना तैयार नहीं की थी एवं पूर्णरूप से राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा सुर्पुद किये गये कार्यों पर ही निर्भर थी। इसके स्वयं के द्वारा प्राप्त किये गये कार्य लगभग नगण्य थे। मैनुअल के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी एवं बजट में विचरणों के विश्लेषण नहीं किये गये थे। अनुचित नियोजन एवं अपर्याप्त संविदा प्रबंधन, परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब का कारण रहा। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान सरकार के साथ एमओयू के प्रावधानों के उल्लंघन में अधिक टोल संग्रहण किया गया था। परियोजना का सूत्रीकरण नियमानुसार नहीं था जिसके कारण लाभ की कम वसूली हुई एवं साथ ही सेन्टेज प्रभार भी प्रशासकीय लागत पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे। कम्पनी ने अव्यवहार्य सड़क परियोजनाएँ निष्पादित की एवं निविदाओं का अनुचित मूल्यांकन, लागत व जोखिम वाक्यांश का अभाव एवं इकाईयों के मध्य समन्वय का अभाव के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। संयंत्र व मशीनरी का भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुशंसा किये गये मानक घंटों के समक्ष कम उपयोग हुआ था। संवीक्षा में पाँच सिफारिशें जिसमें सुर्पुद किये गये कार्यों पर निर्भरता को न्यूनतम करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना व वार्षिक योजना तैयार करना; मैनुअल, नियमों, व प्रक्रियाओं की अनुपालना; कार्यों के निष्पादन में विलम्ब को टालने हेतु उचित नियोजन, प्रभावी निगरानी एवं ठेकेदारों के साथ-साथ ग्राहकों से समन्वय; लाभदायिकता बनाये रखने हेतु परियोजनाओं की व्यवहार्यता व सेन्टेज प्रभारों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना; एवं संयंत्र व मशीनरी का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

प्रस्तावना

2.2.1 राज्य एवं देश में सीमित संख्या में उपलब्ध विशिष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने वाली ऐजेंसियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जिससे कि पुल, सड़क एवं भवन निर्माण में लगने वाली लागत/समय में कमी की जा सके राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में फरवरी 1979 में समामेलित की गई थी। आरएसबीसीसीएल का पुनः नामकरण (18 जनवरी 2001) निज वित्तपोषित आधारभूत परियोजना का निर्माण मुख्यतः राजमार्गों, पुलों एवं रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) इत्यादि का निर्माण जन-निज भागीदारी (पीपीपी)/निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर करने हेतु 'राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड' (कम्पनी) के रूप में किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), राजस्थान सरकार (जीओआर) के मंत्री कम्पनी के अध्यक्ष हैं एवं इनकी सहायता प्रबंध निदेशक, कम्पनी सचिव, वित्तीय सलाहकार एवं महाप्रबंधक द्वारा की जाती है। मार्च 2011 को कम्पनी के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा सात निदेशक थे।

कम्पनी मुख्य रूप से तीन प्रकार के कार्यों¹ का निष्पादन करती है (i) निविदा कार्य यथा सम्पूर्ण देश में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा आमंत्रित प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेकर प्राप्त कार्य/ठेके, (ii) सेन्टेज/निक्षेप कार्य यथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों द्वारा लागत जमा आधार पर सुपुर्द किये गये कार्य/ठेके तथा (iii) बीओटी परियोजनाएँ। कम्पनी अपनी परियोजनाओं का निष्पादन इकाई कार्यालयों द्वारा करती है जिसके प्रमुख परियोजना निदेशक (पीडी) होते हैं एवं जिनकी सहायता हेतु परियोजना अधिकारी (पीओ) होते हैं। इकाई कार्यालय अस्थायी प्रकृति के होते हैं, तथा कार्य की मात्रा के आवश्यकतानुसार बनाये जाते हैं। इकाई कार्यालय परियोजनाओं के समाप्त होने के पश्चात् बंद कर दिये जाते हैं या अन्य इकाई कार्यालय के साथ विलय कर दिये जाते हैं। 2007-08 से 2011-12 के दौरान, सेवा इकाईयों (अभियांत्रिकी एवं इलैक्ट्रीकल इकाईयों) को छोड़कर इकाईयों की स्थिति निम्न प्रकार थी:


वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
इकाईयों की संख्या	17	17	17	28	28

राजस्व के स्रोत

2.2.2 राजस्व के विभिन्न स्रोतों में बीओटी परियोजना, सेन्टेज/निक्षेप कार्य, निविदा कार्य, मशीनों के किराये से आय तथा अन्य आय यथा ब्याज से आय, निविदाओं की विक्री इत्यादि शामिल हैं। मार्च 2012 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन स्रोतों से कम्पनी ने ₹ 286.28 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

1 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कार्यों की स्थिति अनुच्छेद 2.2.9 में सन्दर्भित है।

विभिन्न स्रोतों से राजस्व नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।



लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.3 कम्पनी की 'निर्माण गतिविधियों' पर एक विस्तृत निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल किये गये थे। सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा समीक्षा पर चर्चा की गई थी (मई 2007) एवं समिति का सिफारिश प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में 26 अगस्त 2011 को प्रस्तुत किया गया था। समिति की मुख्य सिफारिशों में (i) समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं का निष्पादन (ii) प्रभावी संविदा प्रबंधन सुनिश्चित करना (iii) अधिक लागत को नियंत्रित करना (iv) गुणवत्ता बनाये रखना तथा (v) प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना था।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान कार्यान्वित निक्षेप कार्यों, बीओटी परियोजनाएँ एवं निविदा कार्यों में कम्पनी का निष्पादन समाहित करती है। वर्ष 2011-12 के कार्यशील आँकड़े भी निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किये गये हैं। लेखापरीक्षा जाँच में, प्रधान कार्यालय, चार सेवा इकाईयाँ (एक अभियांत्रिकी एवं तीन इलैक्ट्रीकल) गुडगाँव इकाई एवं तीन अन्य इकाईयों (उदयपुर-I, जोधपुर-I एवं जयपुर-II) के मार्च 2011 को समाप्त पाँच वर्ष के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित है। इकाईयों का चयन कुल उच्चतम टर्नओवर² व निविदा कार्यों के क्रियान्वयन की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया था। इसके अलावा कुल टर्नओवर का 12.34 प्रतिशत टर्नओवर रखने वाली तीन इकाईयों (उदयपुर-II, जोधपुर-II एवं चित्तौड़गढ़-I) का भी चयन किया गया था क्योंकि यह चयनित इकाईयों के सामीप्य में पड़ती थी। इस प्रकार नमूने का आकार 2006-07 से 2010-11 के

2 2006-07 से 2010-11 के दौरान कम्पनी का कुल टर्नओवर ₹ 1216.68 करोड़ था। 2006-07 से 2010-11 के दौरान तीन चयनित इकाईयों का कुल टर्नओवर जयपुर-II (₹ 75.56 करोड़), जोधपुर-I (₹ 114.15 करोड़) व उदयपुर-I (₹ 90.08 करोड़) था एवं कुल टर्नओवर का 22.96 प्रतिशत चयन था। कुल नमूना 39.28 प्रतिशत (गुडगाँव इकाई की 3.98 प्रतिशत टर्नओवर को शामिल करते हुये) था।

दौरान इकाईयों के कुल टर्नओवर का 39.28 प्रतिशत था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 234.33 करोड़ का टर्नओवर रखने वाले 102 सेन्टेज कार्यों, ₹ 562.46 करोड़ का टर्नओवर रखने वाले 7 सड़क कार्य तथा ₹ 129.08 करोड़ के टर्नओवर के साथ 11 निविदा कार्य ₹ 20 लाख से अधिक मूल्य के आधार पर चयनित किये गये थे।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.4 कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई थी कि क्या:

- राज्य की आधारभूत आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए कार्यवाही योजना थी एवं परियोजनाओं का कार्यान्वयन पर्याप्त नियोजन, सर्वेक्षण, जाँच तथा अनुमान के पश्चात् किया गया था; एवं
- संविदा के करार एवं शर्तों के अनुसार संविदा प्रलेखन, बोली व कार्य प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रणाली थी।

लेखापरीक्षा के मापदण्ड

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड के लिए निम्न स्रोत थे;

- निदेशक मण्डल व कार्यकारी समितियों (ईसी) की बैठकों का एजेण्डा व कार्यवाही वृत्त;
- राज्य सरकार/कम्पनी द्वारा जारी किये गये निर्देश/मार्गदर्शिका;
- सड़क यातायात जनगणना के संमक एवं परामर्श प्रतिवेदन;
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी दरों की मौलिक सूची (बीएसआर);
- टोल परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन;
- सामान्य एवं विशिष्ट नियमों व शर्तों को रखने वाले मानक बोली प्रलेख;
- राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं नियम;
- बजट व वित्तीय अनुमान/विवरण-पत्र;
- कार्य स्थल पर सामग्री खाते, माप पुस्तिका, जोब कार्य बिल, मासिक रनिंग खाता एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन; एवं
- कम्पनी का प्रापण एवं परिचालन मैनुअल।

लेखापरीक्षा की कार्यविधि एवं निष्कर्ष

2.2.6 हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मापदण्ड, लेखापरीक्षा कार्यविधि एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र की व्याख्या प्रबन्धन को प्रविष्टि सभा (मार्च 2012) में की। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किये गये थे (अगस्त 2012) तथा समापन सभा (नवम्बर 2012), जिसमें उप सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे, में चर्चा की गई। प्रबन्धन द्वारा व्यक्त (नवम्बर 2012) किये गये विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया/सम्मिलित किया गया है।

नियोजन

2.2.7 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी ने दीर्घावधि कार्य योजना तैयार नहीं की थी। कम्पनी मुख्यतः राज्य सरकार/विभागों/पीएसयूज द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यों पर निर्भर करती थी। इसके स्वयं के द्वारा अर्जित कार्य लगभग नगण्य थे। कार्य निष्पादन पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

बजटीय विश्लेषण

बजटीय विश्लेषण

2.2.8 कम्पनी वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय बजट तैयार करती है। बजट मैनुअल में प्रावधान है कि बजट पिछले वर्ष के फरवरी माह में तैयार एवं संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जाने चाहिए। इसमें आगे प्रावधान है कि विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ नौ माह का वास्तविक व्यय एवं तीन माह के अनुमानों को पृथक दर्शाते हुये चालू वर्ष हेतु संशोधित अनुमान भी तैयार किये जाने चाहिये।

हमने पाया कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये बजट अनुमान संचालक मण्डल ने देरी से क्रमशः जून 2007 एवं जून 2008 में अनुमोदित किये थे। 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 हेतु भी बजट अनुमान संचालक मण्डल को पिछले वित्तीय वर्ष की 30 मार्च को प्रस्तुत किये गये थे। तथापि, सिवाय 2007-08 के, कम्पनी ने भौतिक बजट में अनुमानित टर्नओवर का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया था। टर्नओवर की उपलब्धि में कमी 3.92 एवं 39.06 प्रतिशत के मध्य रही। अनुमानित राजस्व एवं वास्तविक राजस्व में विचलन प्रतिशतता 93 से 202 प्रतिशत के मध्य थी जबकि अनुमानित व्यय एवं वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में यह 82.76 से 235 प्रतिशत के मध्य थी (अनुबन्ध-9)।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि बजट अनुमानों को समय सारणी अनुसार संचालक मण्डल के समक्ष रखे जाने के सभी प्रयास किये जा रहे थे। इसने आगे कहा कि बजट प्रावधान वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्यों की प्रमात्रा का महज अनुमान है तथा बजट में इंगित कार्यों की सूची की ठोस रूप से पालना नहीं की जा सकी थी। नियंत्रणीय व्ययों की ठोस निगरानी की गई थी एवं पिछले पाँच वर्षों के दौरान निर्धारित सीमा में रखे गये थे। तथ्य यही रहा कि बजट अनुमान में व्यापक विचलन के कारणों का कभी विश्लेषण नहीं किया गया था एवं संचालक मण्डल को प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि कम्पनी के मैनुअल के अनुसार आवश्यक है। साथ ही, प्रशासनिक व्यय भी, बजट के 93 से 160 प्रतिशत के मध्य रहे जो व्यय पर नियंत्रण के अभाव को इंगित करते थे।

हाथ में लिये गये कार्यों की स्थिति

2.2.9 वर्ष 2006-07 से 2011-12 को दौरान, वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वयन हेतु लम्बित, वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निष्पादित कार्य तथा वर्ष के अन्त में कार्यान्वयन हेतु लम्बित विभिन्न

कार्यों का विवरण (संख्या एवं मूल्य में) निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कार्य		वर्ष के दौरान प्राप्त कार्य		वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य		वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये एवं ग्राहक विभाग को हस्तांतरित कार्य		वर्ष के अन्त में लम्बित कार्य	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
2006-07	208	255.93	55	265.02	263	141.84	84	119.96	179	277.81
2007-08	179	277.81	55	332.21	234	170.10	29	112.54	205	335.37
2008-09	205	335.37	34	199.48	239	289.73	31	135.75	208	489.35
2009-10	208	489.35	58	2656.99	266	221.50	45	167.13	221	543.72
2010-11	221	543.72	48	249.95	269	394.48	61	185.25	208	752.95
2011-12	208	752.95	36	111.01	244	873.57	17	170.43	227	1456.09

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कार्यों को पूर्ण करने की गति बहुत धीमी थी। 2006-07 के प्रारम्भ में कार्यान्वयन हेतु लम्बित 208 कार्यों एवं 2006-12 के दौरान प्राप्त किये ₹ 3814.66 करोड़ मूल्य के 286 कार्यों के समक्ष, ₹ 891.06 करोड़ मूल्य के केवल 267 कार्य (54.05 प्रतिशत) ही पूर्ण किये जा सके एवं ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किये जा सके थे। साथ ही, 2006-07 के प्रारम्भ में कार्यान्वयन हेतु लम्बित कुल 208 कार्यों में से ₹ 179.43 करोड़ (70.11 प्रतिशत) मूल्य के 176 कार्य राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा आवंटित थे। इसी प्रकार, 2006-12 के दौरान प्राप्त किये 286 कार्यों में से, ₹ 3749.58 करोड़ (98.95 प्रतिशत) मूल्य के 283 कार्य, राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों से सम्बन्धित थे एवं ₹ 65.08 करोड़ (1.05 प्रतिशत) मूल्य के शेष तीन कार्य ही निविदाओं द्वारा प्राप्त किये जा सके थे।

वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित किये गये निक्षेप कार्यों के साथ निविदा कार्यों की तुलना निम्न प्रकार है:

वर्ष	निक्षेप कार्य		निविदा कार्य		कुल योग	
	संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
2006-07	231	110.98	32	30.86	263	141.84
2007-08	208	148.89	26	21.21	234	170.10
2008-09	218	263.97	21	25.76	239	289.73
2009-10	253	200.08	13	21.42	266	221.50
2010-11	264	388.91	5	5.57	269	394.48
2011-12	240	870.24	4	3.33	244	873.57

वर्ष 2006-12 के दौरान, निक्षेप कार्यों की तुलना में निविदा कार्यों का निष्पादन, खुली निविदाओं में कम भागीदारी, पेशेवर निपुणता का अभाव व बोली में भाग लेने में असमर्थता के साथ ही राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा कम्पनी को आवंटित निक्षेप कार्यों/बीओटी परियोजनाओं में वृद्धि के कारण सारभूत रूप से कम हुआ था।

इस प्रकार, कम्पनी की निर्भरता निक्षेप कार्यों पर थी एवं राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा आवंटित कार्यों से अर्जित राजस्व एक समयावधि तक कम्पनी की जीवन रेखा थी। कार्यों की पूर्णता में धीमी गति के कारणों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

प्रबन्धन ने कहा कि किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यों का लम्बित होना अपरिहार्य था क्योंकि अधिकतर कार्यों की पूर्णता अवधि या तो दो वर्ष अथवा उससे भी अधिक थी। इसने आगे कहा

कि निक्षेप कार्यों की तुलना में निविदा कार्यों के निष्पादन में कमी इन वर्षों के दौरान टर्नओवर में अत्यधिक वृद्धि एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिरिक्त स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति पर सहमति नहीं होने के कारण थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि 82 प्रतिशत कार्यों में नियत पूर्णता तिथि से विलम्ब था। तथापि, कम्पनी खुली निविदाओं में भागीदारी द्वारा कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि अनुच्छेद 2.2.14 में विवेचन किया गया है।

कार्यों की पूर्णता में विलम्ब

2.2.10 वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान पूर्ण किये गये एवं ग्राहक विभाग को हस्तांतरित किये गये 267 कार्यों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि केवल 39 कार्य नियत अवधि में पूर्ण हुये थे। 228 कार्यों के निष्पादन में विलम्ब विस्तार का विवरण नीचे दिया गया है:

(संख्या में)

वर्ष	विलम्ब माह में							योग ³
	1-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36	36 से अधिक	
2006-07	26	21	4	5	3	-	-	59
2007-08	10	15	11	7	3	1	1	48
2008-09	13	7	5	2	1	1	-	29
2009-10	20	13	6	5	1	3	2	50
2010-11	13	12	2	1	-	-	1	29
2011-12	-	2	6	1	2	2	-	13
योग	82	70	34	21	10	7	4	228

यह देखा जा सकता है कि कार्यों का लगभग 82 प्रतिशत (186 कार्य) 18 माह तक के विलम्ब से पूर्ण हुआ जबकि 18 प्रतिशत प्रकरणों (42 कार्य) में, विलम्ब 18 माह से अधिक था। कार्यों के निष्पादन में अधिकतम विलम्ब 66 माह का देखा गया था यथा 2006-07 से पूर्व प्रारम्भ किये गये कार्यों के मामले में। कार्य पूर्णता में विलम्ब, कार्य प्रदान किये जाने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने में देरी, ग्राहक विभाग द्वारा आरेखण का देरी से अनुमोदन, ठेकेदार द्वारा पूर्णता में देरी, कम्पनी द्वारा सीमेन्ट व स्टील की आपूर्ति में देरी, कार्यों की स्वराब निगरानी व पर्यवेक्षण एवं ग्राहक विभाग द्वारा कोष जारी करने में देरी की वजह से था। कुछ प्रमुख कार्यों में निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब व उसके कारणों को **अनुबन्ध-10** में दिया गया है।

हमने यह भी देखा कि स्टील व सीमेन्ट की अनुपलब्धता/अपर्याप्त आपूर्ति भी कार्यों के निष्पादन में विलम्ब का महत्वपूर्ण कारण था। कम्पनी का प्रधान कार्यालय, इकाई कार्यालयों से त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर सीमेन्ट व स्टील का प्रापण करता है। 2006-07 से 2011-12 के

3 उपर दिये गये आंकड़े पिछली तालिका से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि इकाई कार्यालयों एवं लेखा शाखा ने पूर्ण किये गये व ग्राहक विभाग को हस्तांतरित किये जाने के निर्णय हेतु भिन्न पद्धति अपनाई है।

दौरान स्टील की आदेशित मात्रा एवं वास्तविक आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

(एमटी में)

वर्ष	आदेशित मात्रा	वास्तविक आपूर्ति	कम आपूर्ति
2006-07	8509.20	8020.26	488.94
2007-08	5670.00	4672.66	997.34
2008-09	13512.50	10430.10	3082.40
2009-10	4558.50	4473.90	84.60
2010-11	2773.10	2767.57	5.53
2011-12	11827.00	10142.34	1684.66

स्टील की कम आपूर्ति एक ही बोलीदाता को आदेश प्रदान करने के कारण थी, जो कि इकाईयों की आवश्यकतानुसार समयोचित आपूर्ति नहीं दे सका एवं परियोजनाएँ विलम्बित हुईं। 2011-12 से कम्पनी ने बोली आमंत्रित करने के स्थान पर भारतीय स्टील प्राधिकरण से सम्पूर्ण स्टील का प्रापण प्रारम्भ कर दिया था।

कार्यों की पूर्णता में देरी ने कम्पनी की विश्वसनीयता में कमी के अलावा इसे सेन्टेज प्रभारों की समयोचित वसूली से एवं राज्य को सामाजिक-आर्थिक लाभों से वंचित किया।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी एवं कार्य के हित में विलम्ब अपरिहार्य था। साथ ही, विश्वसनीयता की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि यह विभाग अभी भी कम्पनी से कार्य करवा रहे थे। उत्तर सीमेन्ट व स्टील की विलम्बित एवं अपर्याप्त आपूर्ति के मुद्दे पर मौन था। विश्वसनीयता की कमी के सम्बन्ध में, कोटा सुपर तापीय विद्युत केन्द्र ने कम्पनी के स्वराब कार्य निष्पादन का वर्णन किया एवं कम्पनी से कार्य करवाये जाने का अनिच्छुक था।

निक्षेप/सेन्टेज कार्य

2.2.11 निक्षेप/सेन्टेज कार्य वह कार्य हैं जो कम्पनी द्वारा वास्तविक लागत में कुछ निश्चित उपरिव्यय को जोड़कर निष्पादित किये जाते हैं। पीडब्ल्यूडी (जीओआर) ने राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों को बड़े सिविल अभियांत्रिकी कार्य सीधे कम्पनी (तात्कालिक आरएसबीसीसीएल) को वास्तविक लागत में 15 प्रतिशत या 10 प्रतिशत उपरिव्यय⁴ जोड़कर सुपुर्द किये जाने के लिए अधिकृत किया (अक्टूबर 1979)। कम्पनी के व्यवसाय में निरन्तरता बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस परिपत्र (1979) को समय-समय पर बढ़ाया/संशोधित किया गया था। तथापि, कम्पनी द्वारा प्रभारित किये जानी वाली स्थायी उपरिव्यय दरें संशोधित की गई थी (जनवरी 1996) जो कम्पनी द्वारा रूपरेखा व आरेखण तैयार किये जाने के प्रकरण में यह 12.50 प्रतिशत थीं; जबकि ग्राहक विभाग द्वारा इनकी पूर्ति किये जाने के प्रकरण में यह 10 प्रतिशत थी। यह दरें पुनः संशोधित (अगस्त 1996) कर क्रमशः नौ प्रतिशत तथा साढ़े सात प्रतिशत कर दी गई थीं। यह दरें अभी तक लागू है (मार्च 2012)।

4 15 प्रतिशत अधिभार यदि कम्पनी कार्य विभागीय कार्य के रूप में निष्पादित करती है जबकि कम्पनी द्वारा ठेकेदार से कार्य निष्पादित किये जाने के मामले में यह 10 प्रतिशत है।

सेन्टेज प्रभारों की पर्याप्तता

2.2.12 तात्कालिक आरएसबीसीसीएल के संचालक मण्डल ने आरएसबीसीसीएल का प्रशासनिक ढाँचा प्रस्तावित करने हेतु चार⁵ सदस्यों की एक समिति गठित की (सितम्बर 1979)। समिति का प्रतिवेदन संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था (मार्च 1980)। समिति की सिफारिशों के अनुसार, कार्यस्थल पर लगे हुये कर्मचारियों के पेटे चार प्रतिशत, मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों के पेटे छः प्रतिशत, ऋण एवं ब्याज भुगतान के लिए तीन प्रतिशत एवं संचय/लाभ के रूप में दो प्रतिशत का विनियोग का निर्णय लिया गया था। साथ ही, राजस्थान सरकार ने परिपत्र (1979) की अवधि बढ़ाते समय (दिसम्बर 1981) दोहराया कि कार्य से सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक प्रभार यथा कार्यालय कर्मचारियों व कनिष्ठ अभियंता स्तर के फील्ड पर्यवेक्षण कर्मचारियों के स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय एवं पर्यवेक्षण उद्देश्य से उपयोग किये गये वाहनों को चलाने का रखरखाव व्यय, उपरिव्ययों में शामिल किये जायेंगे।

हमने देखा कि कम्पनी ने निक्षेप कार्यों के निष्पादन पर व्यय की गई वास्तविक प्रशासनिक लागत की पूर्ति हेतु सेन्टेज प्रभारों की पर्याप्तता की कभी समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति एवं दो वेतन संशोधनों के कारण प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सेन्टेज प्रभारों की वसूली में 15 प्रतिशत (1979) से 1996 में 9 प्रतिशत तक की कमी के प्रभाव की भी समीक्षा नहीं की गई थी।

2006-07 से 2011-12 के दौरान निक्षेप कार्यों पर व्यय की गई वास्तविक प्रशासनिक लागत एवं अर्जित सेन्टेज प्रभारों की स्थिति **अनुबन्ध-11** में दी गई है।

अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि अर्जित सेन्टेज प्रभार वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 को छोड़कर निक्षेप कार्यों के निष्पादन पर व्यय किये गये वास्तविक प्रशासनिक व्यय/उपरिव्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे। राज्य सरकार के वास्तविक लागत पर नौ प्रतिशत सेन्टेज प्रभारों की वसूली के दिशा-निर्देशों के समक्ष एवं 8.06 प्रतिशत से 11.48 प्रतिशत के मध्य सीमा के वास्तविक उपरिव्ययों के समक्ष प्रभावी वसूली 7.24 प्रतिशत से 8.15 प्रतिशत के मध्य रही। इससे 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान ब्याज व वित्त प्रभारों एवं मशीनरी पर हास इत्यादि को शामिल किये बिना ₹ 21.10 करोड़ का अन्तर रहा।

हमने यह भी पाया कि कम्पनी ने कुछ परियोजनाओं⁶ पर सेन्टेज या तो प्रभारित ही नहीं किया था अथवा प्रभारित दर राज्य सरकार द्वारा निश्चित दर से कम थी। कुछ मामलों⁷ में स्वयं सरकार ने इसके द्वारा दर से कम दर भारित करने के निर्देश दिये। हमने आगे पाया कि कम्पनी ने सरकार से विशिष्ट निर्देशों के बिना, बीओटी परियोजनाओं पर सेन्टेज, राजस्थान सड़क विकास नियम 2002 के तहत अनुमत्य 15 प्रतिशत के समक्ष तीन से नौ प्रतिशत मध्य सीमा में भारित किया।

5 आरएसबीसीसीएल के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी), मुख्य अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) एवं राजस्थान सरकार के उप सचिवा

6 गोविन्द देव जी मन्दिर (शून्य), सेटेलार्ड अस्पताल (शून्य) एवं आईआईटी-आर का निर्माण (सात प्रतिशत)।

7 उच्च न्यायालय भवन जोधपुर (6.5 प्रतिशत), मेडीकल कॉलेज झालावाड़ का निर्माण (5.5 प्रतिशत) एवं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का निर्माण (6.5 प्रतिशत)।

राज्य सरकार द्वारा सेन्टेज प्रभार बहुत पहले 1996 में निर्धारित किये गये थे एवं तत्पश्चात उपरिव्यय कई गुणा से बढ़ गये जैसे कि ऊपर टिप्पणी की गई है। इसके बावजूद, कम्पनी ने सेन्टेज प्रभार में परिवर्तन हेतु सरकार से कभी संपर्क नहीं किया। साथ ही, बीओटी परियोजनाओं में निर्धारित सीमा से कम वसूली ने भी व्यय किये गये वास्तविक उपरिव्ययों की कम पूर्ति में योगदान दिया।

प्रबंधन ने कहा कि गणना करते समय उपरिव्ययों को केवल निक्षेप कार्यों पर लगाया गया जबकि वही मानव-शक्ति व मशीनरी निविदा कार्यों के निष्पादन पर भी लगाई गई थी। सेन्टेज की समग्र वसूली कर्मचारियों के पेंशन कोष के पेटे की कमी की पूर्ति हेतु किये गये भुगतान को ध्यान में रखते हुये 5.24 प्रतिशत से 8.96 प्रतिशत के मध्य सीमा में थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि गणना, उपरिव्ययों को निक्षेप एवं निविदा कार्यों के मध्य उनसे सम्बन्धित टर्नओवर के अनुपात में विभाजित की गई थी। साथ ही, निक्षेप कार्यों का टर्नओवर सेन्टेज प्रभारों को कम करके लिया गया था। कर्मचारियों के पेंशन कोष के पेटे प्रावधानों के सम्बन्ध में लेख है कि पिछले वर्षों से सम्बन्धित कमी को भी आगामी वर्षों में वसूल करना था।

ब्याज एवं लाभों पर सेन्टेज की वसूली का अभाव

2.2.13 राजस्थान सड़क विकास नियम 2002 के अनुबन्ध 'अ' में वर्णित परियोजना तैयार करने के मानकों में दिया गया है कि परियोजना की लागत में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज को शामिल किया जाना चाहिये। राज्य सरकार के परिपत्र 1981 में वर्णित 'वास्तविक लागत' की व्याख्या इंगित करती है कि कोई लागत, जो कि कार्यों के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, उसे वास्तविक लागत में शामिल किया जाना चाहिए। निर्माण के दौरान ब्याज लागत को, प्रत्यक्ष लागत होने के कारण, सेन्टेज प्रभारों की गणना करते समय वास्तविक लागत में शामिल किया जाना चाहिये। सेन्टेज को प्रभारित करने की प्रणाली की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने कुल लागत की गणना में ब्याज एवं वित्त प्रभारों को शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-12 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं पर ₹ 2.65 करोड़⁸ के सेन्टेज की कम वसूली हुई।

'राजस्थान सड़क विकास नियम, 2002' (नियम) का अनुबन्ध 'अ' व्यक्ति/उद्यमी को, जिसके साथ राज्य सरकार ने उसके निवेश पर सड़क विकास के लिये अनुबंध किया हो, 15 प्रतिशत लाभ अनुमत्य करता है। कम्पनी ने निवेश पर 15 प्रतिशत लाभ लगाने के बजाय सात प्रतिशत की दर से सेन्टेज के रूप में प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा 2009-10 के दौरान सुपुर्द की गई 13 सड़कों पर ₹ 17.96 करोड़ के लाभ की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार के साथ बीओटी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एमओयू ने केवल सात प्रतिशत की दर अनुमत्य की थी। इसने आगे कहा कि सात प्रतिशत प्रभारों के साथ निवेश की वसूली लगभग 20 वर्ष की अवधि लेती है एवं 15 प्रतिशत सेन्टेज प्रभारों को लिया जाना विवेकपूर्ण नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि एमओयू में सेन्टेज वसूली की दर हेतु प्रावधान नहीं था एवं अपितु परियोजना तैयार करने हेतु मानकों के अनुसार 15 प्रतिशत लाभ अनुमत्य किये थे।

8 2010-12 के दौरान पूंजीगत किये गये ब्याज (₹ 37.91 करोड़) का सात प्रतिशत।

निविदा कार्य

2.2.14 राज्य सरकार ने राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा वृहद सिविल-अभियांत्रिकी कार्य सीधे कम्पनी को प्रदान करने हेतु परिपत्र की वैद्यता जुलाई 2005 से आगे इस शर्त के साथ बढ़ाई कि कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष निविदा प्रक्रिया से प्राप्त किये जाने वाले कार्यों की मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये। इस प्रभाव का प्रतिवेदन वित्त एवं प्रशासनिक विभागों (राजस्थान सरकार) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को सूचित किया जाना था। ऐसे प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विफलता की परिणति समयपूर्व विस्तार की स्वतः वापसी के रूप में होगी। इससे पूर्व, कम्पनी ने एक 'व्यवसाय प्रापण प्रकोष्ठ' (बीपीसी) का गठन (अप्रैल 2002) बोली प्रक्रिया में भागीदारी के द्वारा निविदायें अर्जित करने हेतु किया था। प्रकोष्ठ, आमंत्रित की गई निविदाओं के नोटिस (एनआईटी) की जाँच, नये निविदा कार्यों एवं तकनीकी बोलियों हेतु प्रस्तावों को तैयार करने एवं अपनी अनुशंसाओं को प्रबंध निदेशक (एमडी), जो कि पूर्व अनुभव एवं कम्पनी की क्षमता के आधार पर निर्णय लेने के सक्षम प्राधिकारी थे, को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी था।

हमने पाया कि बीपीसी, निविदा व्यवसाय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में वृहद रूप से विफल रहा, जैसा कि कम्पनी का निविदा भागीदारी में निष्पादन अपर्याप्त था। इसके अलावा, कम्पनी ने निविदा व्यवसाय का निष्पादन राज्य सरकार को, प्रति वित्तीय वर्ष में ऐसा किये जाने के स्थायी निर्देशों के उपरान्त भी, कभी प्रतिवेदित नहीं किया।

मार्च 2012 को समाप्त छः वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा निविदाओं में भागीदारी एवं उसके समक्ष प्राप्त किये गये वास्तविक ठेकों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	निविदा संख्या जिनमें कम्पनी ने भाग लिया	कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई निविदाओं की संख्या	प्राप्त किये गये कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	भागीदारी में सफलता प्रतिशतता
2006-07	15	0	0	0
2007-08	21	2	56.58	9.52
2008-09	17	1	8.50	5.88
2009-10	138	0	0	0
2010-11	4	0	0	0
2011-12	0	0	0	0
योग	195	3	65.08	1.54

वर्ष 2006-2012 के दौरान कम्पनी, भाग ली गई कुल 195 निविदाओं में से केवल ₹ 65.08 करोड़ मूल्य की तीन निविदायें ही प्राप्त कर सकी। वर्ष 2006-07 एवं 2009-12 के दौरान कम्पनी 157 निविदाओं में भाग लेने पर एक भी निविदा कार्य प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने कहा कि निविदा कार्यों में भाग नहीं लिये जाने का मुख्य कारण इन वित्तीय वर्षों के दौरान टर्नओवर में अत्यधिक वृद्धि एवं अभियंताओं व तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं निष्पादित किये जाने हेतु अत्यधिक कार्य हाथ में थे। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी कार्यों का निष्पादन संविदात्मक आधार पर करती है, जो कि मानव-शक्ति की कमी को प्रभावित नहीं करता था। निष्पेक्ष कार्यों के टर्नओवर में वृद्धि अक्टूबर 2010 के बाद से हुई थी एवं इसके पूर्व कम्पनी 195 निविदाओं में भाग लेने पर भी केवल तीन निविदायें ही प्राप्त कर सकी थी जो

इंगित करता है कि उद्धृत दरें प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं थीं। साथ ही, कम्पनी ने टर्नओवर में पाँच गुना वृद्धि होने के पश्चात् भी कर्मचारियों की लगभग उसी संख्या से व्यवस्था की थी।

अव्यवहारिक मूल्य बोली का निर्धारण

2.2.15 कम्पनी ने कोटा में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस) पर विभिन्न श्रेणियों के 60 आवासीय इकाईयों के निर्माण कार्य हेतु निविदा में भाग लिया (अक्टूबर 2007) एवं ₹ 13.46 करोड़ मूल्य का निविदा कार्य स्वीकार किया (अप्रैल 2008)। ठेके के निष्पादन हेतु कम्पनी ने अप्रैल 2008 एवं जून 2008 के बीच में दो बार निविदायें आमंत्रित की, परन्तु इसे अंतिम रूप नहीं दे सकी क्योंकि प्राप्त दरें उच्च तरफ थीं। अंतिम निविदा (जून 2008) के आधार पर, कम्पनी ने आंकलन किया कि यदि यह कार्य निष्पादित किया जाता है तो ₹ 18.94 लाख की हानि वहन करनी होगी।

कार्य के निष्पादन में संभावित हानि को ध्यान में रखते हुये, कम्पनी ने केएसटीपीएस को कार्य निष्पादित किये जाने से इनकार इस तर्क पर किया (अगस्त 2008) कि कार्य, बोली की वैधता समाप्त (दिसम्बर 2007) हो जाने के पश्चात् प्रदान किया गया था। चूंकि कम्पनी ने कार्य निष्पादित नहीं किया था, केएसटीपीएस ने अन्य ठेकेदार को प्रदान किये कार्य की लागत व जोखिम के पेटे ₹ 22.48 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किया (जुलाई 2009)। केएसटीपीएस द्वारा कार्य की वास्तविक जोखिम एवं लागत का आंकलन नहीं किया गया (सितम्बर 2012)।

प्रबंधन ने कहा कि केएसटीपीएस ने कम्पनी को कार्यादेश बोली वापिस लिये जाने के पश्चात् प्रदान किया था। कम्पनी ने कार्य को निष्पादित करने का निर्णय लिया एवं कार्यादेश के जारी करने में देरी के कारण मूल्य-वृद्धि की माँग की, जो कि वैध एवं न्यायोचित था। उत्तर सही नहीं था, क्योंकि कम्पनी ने बोली की वैधता अवधि का तर्क देकर उद्धृत दरों पर कार्य निष्पादित किये जाने की अपनी असमर्थता को छुपाया है। यदि यह निष्पादन नहीं किये जाने के कारण होता तो कम्पनी के द्वारा दो बार निविदायें आमंत्रित नहीं की गई होती एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आरेखण व रूपरेखा नहीं मांगे जाने (जून 2008) के साथ कार्य शुरू करने का आश्वासन (जुलाई 2008) नहीं दिया जाता। साथ ही, निविदा शर्तों/कार्यादेशों में मूल्य वृद्धि वाक्यांश वर्णित नहीं था।

निविदा कार्यों को क्रियान्वित किये जाने का निष्पादन

2.2.16 2006-07 से 2010-11 के दौरान पूर्ण किये गये एवं मार्च 2012 को प्रगति में निविदा कार्यों की स्थिति अनुबन्ध-12 में दी गई है। अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि:

- 2006-07 से 2011-12 के दौरान पूर्ण किये गये आठ निविदा कार्यों⁹ में से कम्पनी ने छः कार्यों पर ₹ 2.26 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि दो कार्यों पर ₹ 0.80 करोड़ की हानि वहन की थी। इन कार्यों के वास्तविक निवेश/व्यय पर गणना किया गया लाभ (कार्य का प्रमाणित मूल्य घटाये वास्तविक व्यय) 4.02 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। तथापि, हमने देखा कि कम्पनी ने इन कार्यों के निष्पादन पर व्यय की गई प्रशासनिक लागत, जो कि 2006-07 से 2010-11 के दौरान 7.30

9 2006-07 से पूर्व प्राप्त कार्य।

प्रतिशत से 11.48 प्रतिशत के मध्य सीमा में थी, को विभाजित नहीं किया था। इस प्रशासनिक लागत¹⁰ को ध्यान में रखने के पश्चात् इन आठ पूर्ण किये गये कार्यों पर अर्जित ₹ 1.46 करोड़ का लाभ ₹ 4.63 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जायेगा।

- इन कार्यों को पूर्ण करने में निविदाओं में परिकल्पित नियत पूर्णता अवधि से नौ से 41 माह के मध्य सीमा में सारभूत विलम्ब था। हमने देखा कि ग्राहक विभागों ने जगह समय पर उपलब्ध नहीं करवायी, आरेखण व रूपरेखा उपलब्ध करवाने में देरी थी, बिल आदेशित मात्रा (बीओक्यू) का गलत आंकलन किया गया तथा अधिक एवं अतिरिक्त कार्य करवाया गया था। तथापि, कम्पनी ने सीमेंट एवं स्टील उपलब्ध करवाने में देरी की एवं दोषपूर्ण निगरानी इत्यादी की थी।
- पूर्ण की गई परियोजनाओं के अंतिम बिल ग्राहक विभागों को प्रस्तुत करने में तीन माह से 31 माह के मध्य सीमा में सारभूत विलम्ब था। ग्राहक विभागों द्वारा भुगतानों को किये जाने में सात माह तक का विलंब था एवं मार्च 2012 को चार पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का ₹ 2.94 करोड़ का भुगतान प्राप्त होना लंबित था।

प्रबंधन ने कहा कि सात प्रतिशत प्रशासनिक उपरिव्यय की पूर्ति के पश्चात् कम्पनी ने 11 कार्यों पर ₹ 7.12 लाख की आंशिक हानि वहन की। उत्तर सही नहीं था, जैसा कि ऊपर कथित है, कम्पनी ने मार्च 2012 को समाप्त हुये छः वर्षों के दौरान आठ निष्पादित एवं पूर्ण किये गये कार्यों पर हानि वहन की एवं नवीनतम लेखों के अनुसार शेष तीन कार्यों को प्रगति में दर्शाया है। इस प्रकार, इन शेष तीन कार्यों पर लाभ/हानि की स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका। उत्तर परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी, अंतिम बिल को बनाने में देरी एवं ग्राहक विभागों से भुगतान प्राप्त नहीं होने के मुद्दों पर मौन था।

बीओटी परियोजनायें

2.2.17 कम्पनी ने दो प्रकार की बीओटी परियोजनायें निष्पादित की, प्रथम जो कि राज्य सरकार द्वारा रियायत की लोचदार अवधि के साथ सीधे ही आवंटित की गई एवं दूसरी कम्पनी ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा स्थायी रियायती अवधि के साथ प्राप्त की। लोचदार रियायत अवधि के प्रकरण में, कम्पनी को परियोजनाओं पर किये गये निवेश को राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता शुल्क (टोल) लगाकर वसूल किया जाना था। निवेश की पूर्ण वसूली के पश्चात् परियोजना को राज्य सरकार को भार-मुक्त हस्तांतरित किया जाना था। जबकि स्थायी रियायती अवधि के प्रकरण में, कम्पनी को टोल का संग्रहण निविदा में उल्लेखित निर्दिष्ट अवधि के दौरान करना था। इस मामले में निवेश से अधिक या कम संग्रहित किया गया टोल, जैसा भी मामला हो, कम्पनी का लाभ अथवा हानि था।

बीओटी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु राज्य सरकार एवं कम्पनी के मध्य लोचदार रियायत अवधि आधार पर किये गये मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एमओयू) के अनुसार अवधि के दौरान परियोजना के निर्माण की पूँजीगत लागत, पूँजीगत लागत पर ब्याज, संधारण लागत इत्यादि पर किये गये निवेश की वसूली आवश्यक थी एवं टोल संग्रहण के द्वारा वसूल की

10 9.51 प्रतिशत- पाँच वर्षों की प्रशासनिक लागत एवं टर्नओवर का औसत।

जायेगी। एमओयू के वाक्यांश 5 में दिया गया है कि कम्पनी को 'परियोजना' की इन सभी लागतों एवं कुल निवेश की टोल संग्रहण द्वारा वसूली का विस्तृत विवरण देते हुये पृथक लेखा संधारित करना चाहिये। इस लेखे का विवरण प्रतिवर्ष अप्रैल में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। कम्पनी एक निश्चयात्मक परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करती है एवं व्यय होने वाली सभी संभावित लागतों व अपेक्षित टोल राजस्व के आधार पर निवेश की पूर्ति हेतु रियायती अवधि निर्धारित की जाती है।

बीओटी परियोजनाओं की लेखांकन प्रणाली

2.2.18 लोचदार रियायत अवधि वाली बीओटी परियोजनाओं के लेखांकन हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गई प्रणाली के अनुसार सेन्टेज प्रभारों के रूप में लाभ तत्व को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना की पूँजीगत की गई लागत में शामिल किया। परियोजना की पूँजीगत की गई परिशोधन लागत से टोल की अधिक/कम वसूली को उस वर्ष के लाभ/हानि की तरह माना गया था।

हमने देखा कि चूंकि परियोजना की समाप्ति तक लाभ तत्व को निवेश में सम्मिलित किया गया था अतः रियायत अवधि के दौरान परिशोधन की गई राशि से टोल की अधिक/कम वसूली को आय/व्यय के रूप में मानना एमओयू एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। इसके कारण उस वर्ष विशेष के लाभ/हानि में स्फीत/अपस्फीत हुआ। कम्पनी ने 2006-07 से 2011-12 के दौरान लाभों को ₹ 17.70 करोड़ से अधिक लेखित किया।

प्रबन्धन ने कहा कि कम्पनी इस नीति का पालन वित्तीय वर्ष 2002-03 से कर रही थी एवं यह लेखापरीक्षा व आयकर अधिकारियों को स्वीकार्य थी। साथ ही, 2006-11 के दौरान अर्जित किया गया लाभ, मात्र ₹ 9.88 करोड़ था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि परियोजनाओं हेतु एमओयू राज्य सरकार के साथ 2009 में हस्ताक्षरित किये गये थे जिसमें केवल निवेश की वसूली का प्रावधान था। एमओयू से पूर्व सभी परियोजनाओं, चाहे निविदाओं द्वारा प्राप्त की गई हों अथवा राज्य सरकार द्वारा सीधे ही सुपुर्द की गई हों, एक समान मानी जाती थी एवं तदनुसार सुपुर्द की गई परियोजनाओं हेतु लेखांकन को ध्यान में रखा गया था। लाभ के आंकड़े में अन्तर के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने सरकार को समर्पित की गई तीन¹¹ परियोजनाओं को ध्यान में नहीं रखा था। इन तीन समर्पित की गई परियोजनाओं को ध्यान में रखने के पश्चात् लाभ ₹ 17.70 करोड़ का था।

2.2.19 वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान, राज्य सरकार ने कम्पनी को 20¹² सड़क निर्माण कार्य लोचदार रियायती अवधि के साथ बीओटी प्रणाली के तहत निष्पादित करने हेतु आवंटित किये। कम्पनी द्वारा एक सड़क स्थायी रियायत अवधि के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा भी प्राप्त की गई थी। इन 21 सड़कों में से, कम्पनी ने चार¹³ सड़कों का कार्य निष्पादित किया एवं दिसम्बर 2009 से मई 2011 के मध्य टोल संग्रहण आरंभ किया। शेष रही 17

11 बाँसवाड़ा-दाहोद सड़क (4 जून 2002 को समर्पित), मांगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क (3 अगस्त 2010 को समर्पित) एवं सांगानेर मालपुरा सड़क पर मासी ओवरब्रिज (31 मार्च 2011 को समर्पित)।

12 राज्य सरकार द्वारा एक सड़क जून 2008 में आवंटित की गई थी जबकि 19 सड़कें जनवरी 2010 एवं मार्च 2010 में आवंटित की गई थी।

13 बीकानेर बाईपास (दिसम्बर 2009 से टोल संग्रहण प्रारम्भ), चला-नीम का थाना-कोटपूतली सड़क (अक्टूबर 2010 से टोल संग्रहण प्रारम्भ), चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक सड़क (फरवरी 2011 से टोल संग्रहण प्रारम्भ) एवं सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क (मई 2011 से टोल संग्रहण प्रारम्भ)।

आवंटित सड़कों में से, मार्च 2012 को 11 सड़कें निष्पादन के तहत थी एवं दो सड़कों की डीपीआर तैयार की जा रही थी। अन्य चार¹⁴ सड़कें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन किये जाने हेतु वापिस ले ली गई थीं। निष्पादन के तहत सड़कों एवं राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष जमा करवायी गई सीमांत राशि की स्थिति अनुबन्ध-13 में दी गई है।

टोल संग्रहण

2.2.20 वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कम्पनी स्थायी एवं लोचदार रियायत अवधि वाली 12¹⁵ सड़कों पर टोल का संग्रहण कर रही थी। इनमें से स्थायी रियायत अवधि वाली तीन सड़कें एवं लोचदार रियायत अवधि वाली तीन सड़कें राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई थी। मार्च 2012 को कम्पनी छः¹⁶ बीओटी परियोजनाओं पर टोल संग्रहण कर रही थी। समीक्षा अवधि के दौरान टोल संग्रहण में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

टोल का अधिक संग्रहण

2.2.21 राज्य सरकार ने बाँसवाड़ा-दाहोद सड़क, मासी पुल एवं माँगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क के निर्माण का कार्य कम्पनी को टोल वसूल कर निवेश की वसूली के अधिकार के साथ प्रदान किया (फरवरी 2001)। कम्पनी ने बाँसवाड़ा-दाहोद सड़क, मासी पुल एवं माँगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क का कार्य क्रमशः ₹ 2.20 करोड़, ₹ 1.62 करोड़ एवं ₹ 7.84 करोड़ की लागत (ब्याज को छोड़ते हुये) में पूर्ण किया एवं नवम्बर 2001, अप्रैल 2002 व मार्च 2002 से टोल संग्रहण प्रारम्भ किया। कम्पनी को कार्य प्रदान करते समय राज्य सरकार ने टोल वसूली हेतु रियायत अवधि निर्दिष्ट नहीं की थी। राज्य सरकार ने 'राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002' (अधिनियम) अधिसूचित किया (अप्रैल 2002); जिसके वाक्यांश 5 में अन्य बातों के साथ यह दिया गया है कि राज्य सरकार, किसी सड़क के विकास के संबंध में, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थानीय निकाय के साथ, जिसे टोल के पूर्ण अथवा कुछ भाग को संग्रहित करने एवं रखने का हक हो, ऐसी अवधि हेतु जिस पर सहमति हो, निवेशित पूँजी पर ब्याज, निवेश पर यथोचित प्रत्याय एवं यातायात की मात्रा को देखते हुये सड़क के विकास में व्यय एवं टोल संग्रहण के सम्बन्ध में एक करार करेगी। साथ ही, राज्य सरकार के साथ इन कार्यों के लिये एमओयू मार्च-2009 में किया गया। एमओयू के वाक्यांश 7 में दिया गया है कि कम्पनी को लीज पर दी गई सरकारी भूमि अतिशीघ्र उसी दिन वापिस लौटा दिया जाना चाहिये, जब निर्माण, विकास एवं संधारण हेतु कुल निवेश कम्पनी द्वारा पूर्णतया वसूल कर लिया गया हो। तथापि, एमओयू में भी विशिष्ट रियायत अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था।

- 14 (i) प्रतापगढ़-मन्दसौर, (ii) सांडेराव-फालना, (iii) जोधपुर-भोपालगढ़-गोटन-मेड़ता एवं (iv) भरतपुर-रूपवास-धौलपुर।
- 15 2006-12 के दौरान पूर्ण हुई चार सड़कें, जैसा की अनुच्छेद 2.2.19 में वर्णित है एवं 2006-07 से पूर्व पूर्ण हुई आठ सड़कें तथा 2006-07 से आगे के दौरान टोल संग्रहण किया गया था।
- 16 (i) श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, (ii) हनुमानगढ़-सूरतगढ़, (iii) चौमू-अजीतगढ़-शाहपुरा, (iv) बीकानेर बाईपास, (v) चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक तथा (vi) चला-नीम का थाना-कोटपूतली सड़क।

हमने पाया कि कम्पनी ने अधिनियम व एमओयू के प्रावधानों के विपरीत इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को समर्पित¹⁷ किये जाने तक वास्तविक निवेश की राशि की वसूली के पश्चात् भी ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए ₹ 16.82 करोड़ का टोल संग्रहण किया। कम्पनी अधिक टोल संग्रहण से अवगत थी परन्तु कम्पनी के अध्यक्ष ने परियोजना से अत्यंत संग्रहण को देखते हुये टोल संग्रहण जारी रखने को अनुमत्य किया (अक्टूबर 2009)।

प्रबंधन ने कहा कि टोल अनुमोदित डीपीआर में वर्णित वास्तविक रियायत अवधि अथवा बढ़ाई गई रियायत अवधि तक संग्रहित किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि डीपीआर में उल्लेखित अवधि निवेश की वसूली का अनुमान थी जबकि मार्च 2009 में राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में निवेश की पूर्ति तक टोल की वसूली हेतु स्पष्ट प्रावधान था। साथ ही, एमओयू के प्रावधानों ने डीपीआर में वर्णित रियायत अवधि का स्थान ले लिया था।

अनुचित नियोजन

2.2.22 संवेदनशीलता विश्लेषण विशाल पूँजी लागत एवं वृहद भुगतान भार अवधि संबंधित निवेश निर्णयों को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सड़क परियोजनाओं में, परियोजना की व्यवहार्यता के आंकलन हेतु यह पूर्व अपेक्षित है कि विभिन्न कारकों जैसे कि टोल संग्रहण का अनुमान, ब्याज तत्व एवं परियोजना पर समग्र व्यय को उचित मूल्यांकन एवं परियोजना के निवेश पर प्रत्याय के लिये संवेदनशीलता विश्लेषण के अधीन होना चाहिये।

दो पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में हमने देखा कि कम्पनी ने चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक एवं सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुये परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं की थी जबकि यह राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2010) करते समय विशेष रूप से उल्लेखित किया गया था। चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक सड़क के टोल संग्रहण का ठेका डीपीआर के ₹ 38.23 करोड़ के अनुमानों के समक्ष चार बार बोली के आमंत्रण के पश्चात् प्रथम वर्ष हेतु ₹ 20.50 करोड़ में प्रदान किया गया था (मार्च 2012)। साथ ही, सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क का ठेका डीपीआर के ₹ 35.21 करोड़ के अनुमानों के समक्ष चार बार बोली के आमंत्रण के पश्चात् प्रारम्भ में दो वर्षों के लिये ₹ 25.09 करोड़ में प्रदान किया गया था (फरवरी 2012)। इन सड़कों पर मार्च 2012 तक किया गया व्यय क्रमशः ₹ 274.22 करोड़ एवं ₹ 183.15 करोड़ था जिसके और अधिक बढ़ने की संभावना थी क्योंकि दोनों सड़कों पर कुछ मामूली कार्य पूर्णता हेतु लंबित थे। साथ ही, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार, कम्पनी ब्याज सहित सीमांत राशि राज्य सरकार को वापस करने हेतु उत्तरदायी थी। इन दो परियोजनाओं पर राज्य सरकार की सीमांत राशि ₹ 89.57 करोड़ थी एवं वसूल की जाने वाली ब्याज की दर का निर्णय सरकार के पास लंबित था। ये परियोजनायें हुडको से लिये गये ₹ 200.28 करोड़ की उधारियों (अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2012), राज्य सरकार द्वारा दी गई सीमांत राशि एवं शेष स्वयं के कोषों से वित्त पोषित की गई थी।

प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि (राज्य राजमार्गों हेतु राज्य सरकार के छः प्रतिशत के मानक हैं) के साथ वास्तविक टोल संग्रहण के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि इन दोनों

17 (i) 4 जून 2009 को समर्पित बाँसवाड़ा-दाहोद सड़क, ₹ 2.38 करोड़ का अधिक संग्रहण था, (ii) 31 मार्च 2011 को समर्पित मासी पुल, ₹ 4.76 करोड़ का अधिक संग्रहण था एवं (iii) 3 अगस्त 2010 को समर्पित माँगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क, ₹ 9.68 करोड़ का अधिक संग्रहण था।

परियोजनाओं पर आगामी 10 एवं 15 वर्षों में वित्तपोषण की लागत, जो कि 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष विचारित की गई थी (हुडको ऋण की ब्याज दर 1 अप्रैल 2012 को) की पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं थी। तथापि, डीपीआर अनुमानों ने वित्तपोषण की लागत की वसूली प्रथम वर्ष से ही एवं निवेश की वसूली 16 वर्षों में (चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक सड़क) व 20 वर्ष 6 माह में (सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क) उल्लेखित किया। इस प्रकार, ब्याज दर की निवेश परिवर्तनशीलता के कारकों द्वारा संवेदनात्मक विश्लेषण एवं वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण करते समय अनुमानित टोल संग्रहण के अभाव में इन अव्यवहार्य परियोजनाओं को कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था।

प्रबंधन ने सड़कों की कमजोर व्यवहार्यता को स्वीकार किया एवं कहा कि इन सड़कों पर पुलों के पूर्ण होने के पश्चात् टोल निश्चित रूप से बढ़ेगा क्योंकि अधिक यातायात जायेगा। इसने आगे कहा कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं का आवंटन निरंतर स्वरूप आधार पर किया था एवं कम्पनी को कोई हानि नहीं थी। तथ्य यही रहता है कि यह परियोजनायें सरकार ने स्पष्ट निर्देशों के साथ आवंटित की थी कि परियोजनाओं का निष्पादन वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही किया जाये, जो कि कम्पनी द्वारा, तथापि, नहीं किया गया था। यह परियोजनायें सदैव के लिये जारी नहीं रह सकती हैं।

निविदा मूल्यांकन

2.2.23 राज्य सरकार द्वारा प्रदान (जनवरी एवं मार्च 2010) की गई 15 बीओटी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु, कम्पनी ने सड़कों को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया एवं प्रत्येक भाग हेतु पृथक निविदा आमंत्रित की। निविदायें दो भागों, तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली, में आमंत्रित की गई। वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही खोली गई थी जिसके दो¹⁸ भाग थे यथा जी-अनुसूची एवं एच-अनुसूची, तथा निविदाओं को उस बोलीदाता के पक्ष में अंतिम रूप दिया गया जिसकी दर समग्रता में न्यूनतम थी। निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

बीओक्यू का अनुचित मूल्यांकन-एक अध्ययन

2.2.24 परियोजनाओं की निविदाओं में परिकल्पित जी-अनुसूची एवं एच-अनुसूची के बीओक्यू के आधार पर कम्पनी ने न्यूनतम बोलीदाता के पक्ष में कार्यादेश प्रदान किये। चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक सड़क के अभिलेखों की हमारी जाँच में प्रकट हुआ कि निविदा में परिकल्पित बीओक्यू एवं वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य में अत्यधिक विचरण थे। सड़क के विभिन्न भागों की जी-अनुसूची के बीओक्यू में विचरण ऋणात्मक 8.87 एवं ऋणात्मक 20.81 प्रतिशत के मध्य थे जबकि एच-अनुसूची के मामले में यह 5.02 एवं ऋणात्मक 54.62 प्रतिशत (अनुबन्ध-14) के मध्य सीमा में थे। इसने इंगित किया कि तैयार की गई डीपीआर वास्तविक कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी एवं क्षेत्रीय अध्ययन का अभाव था।

18 जी-अनुसूची का अर्थ मर्दों की दर की मौलिक सूची (बीएसआर) एवं एच-अनुसूची का अर्थ गैर-बीएसआर मर्दों।

हमने पाया कि सड़क के 10 भागों में से अप्रैल 2011 के दौरान पूर्ण किये गये तीन भागों¹⁹ में, एच-अनुसूची की दो मदों (i) 0 मीटर से 10 मीटर के मध्य गहराई एवं (ii) 10 मीटर से 20 मीटर के मध्य गहराई तक सम्पोषक छिद्र करना, यद्यपि डीपीआर एवं सभी तीनों भागों की निविदाओं में परिकल्पित किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा आवश्यकता नहीं होने के कारण वास्तविक रूप से निष्पादित नहीं किये गये थे। इनके अलावा, 60-70 किलोमीटर एवं 90-99 किलोमीटर भागों की डीपीआर एवं निविदाओं में परिकल्पित की गई अन्य दो मदें (i) पीएण्डएफ 100 मिलीमीटर एनबीजीआई पाइप रेल एवं (ii) एसएण्डएफ सड़क डिलाईनएटर भी निष्पादित नहीं की गई थी। निविदाओं की एच-अनुसूची की मदों का निष्पादन नहीं किये जाने से 60-70 किलोमीटर एवं 90-99 किलोमीटर के भागों में बोलीदाताओं की समग्र स्थिति को परिवर्तित कर दिया तथा समग्रता में न्यूनतम बोलीदाता (जी-अनुसूची एवं एच-अनुसूची का योग) एच-अनुसूची की निष्पादित नहीं की गई मदों को हटा देने के पश्चात् वास्तविक रूप से न्यूनतम बोलीदाता नहीं था।

चूंकि जी-अनुसूची की मदें आदेश के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा थी, कम्पनी को निविदायें प्रदान करने में मितव्ययिता व पारदर्शिता लाने हेतु, समग्रता में वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करने के स्थान पर जी एवं एच अनुसूचियों हेतु न्यूनतम बोलीदाता का पृथक रूप से निर्णय करना चाहिये एवं तत्पश्चात् जी-अनुसूची के न्यूनतम बोलीदाता को एच-अनुसूची मदों की न्यूनतम दरें प्रस्तावित करनी चाहिये। यह कार्य के निष्पादन पश्चात् बोलीदाताओं की स्थिति में परिवर्तन होने के मामलों को न्यूनतम करेगा।

यदि कम्पनी वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त प्रणाली अपनाती, सभी तीनों भागों की निविदायें प्रदान करने में कम्पनी ₹ 2.13 करोड़ बचा सकती थी।

प्रबन्धन ने कहा कि जी-अनुसूची एवं एच-अनुसूची की मदें एक दूसरे पर निर्भर थी जो कि भिन्न-भिन्न ठेकेदारों को प्रदान नहीं की जा सकती थी। बीओक्यू में ली गई मात्रा एवं वास्तविक रूप से निष्पादित मात्रा में विचरण हो सकता था तथापि, न्यूनतम ही अन्तिम मात्राओं में न्यूनतम रहना चाहिये, सुनिश्चित किया गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि दो भागों को निष्पादित किये जाने के पश्चात् न्यूनतम बोलीदाता की स्थिति बदल गई थी, जैसा ऊपर कहा गया है। हमने यह भी देखा कि कम्पनी ने सड़क के एक ही भाग (60-70 किलोमीटर) में भिन्न-भिन्न ठेकेदारों को जी-अनुसूची तथा एच-अनुसूची की मदों का ठेका प्रदान किया। इस प्रकार दिया गया तर्क कि जी एवं एच अनुसूची की मदें एक दूसरे पर निर्भर थी एवं भिन्न-भिन्न ठेकेदारों को प्रदान नहीं की जा सकी, निराधार था।

संविदा प्रबंधन

2.2.25 संविदा प्रबंधन, संविदाओं का दक्ष एवं मितव्ययी तरीके से प्रबंधन एवं निष्पादन करने की प्रक्रिया है। संविदा करार, वित्तीय हितों को सुरक्षित करने हेतु विविध वाक्यांशों को सम्मिलित करता है यथा निष्पादन सुरक्षा, बैंक गारंटी, जोखिम एवं लागत, सुरक्षा जमा इत्यादि।

19 (i) 60 से 70 किलोमीटर भाग, (ii) 80 से 90 किलोमीटर भाग (iii) 90 से 99 किलोमीटर भाग।

जोखिम एवं लागत वाक्यांश को सम्मिलित नहीं किया जाना

2.2.26 हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित (जनवरी एवं मार्च 2010) 13 सड़कों (अनुबन्ध-13) के निष्पादन हेतु निविदायें आमंत्रित करते समय कम्पनी ने एक नया मानक बोली प्रलेख बनाया जिसमें जोखिम एवं लागत वाक्यांश को सम्मिलित नहीं किया गया था। कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु बोली प्रलेख में पाँच प्रतिशत निष्पादन सुरक्षा के अलावा असंतुलित बोली²⁰ वाक्यांश को शामिल किया गया था।

हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बोलीदाताओं ने अभियन्ता की लागत से कम दरें उद्धृत की एवं कार्यादेश प्राप्त किये परन्तु कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया था। इस कारणवश कम्पनी ने पाँच प्रतिशत निष्पादन सुरक्षा राशि एवं असंतुलित बोली से संबंधित अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने के पश्चात् कार्य को वापिस ले लिया। साथ ही, पुनः आमंत्रित किये जाने पर बोलियाँ, पूर्व में प्रदान किये गये जी-अनुसूची से 15 से 28.54 प्रतिशत के मध्य सीमा में नीचे की तुलना में जी-अनुसूची से 12.88 से 21 प्रतिशत ऊपर अत्यधिक उच्च मूल्यों पर प्राप्त हुई थी।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा वापस लिये गये कार्यादेशों के समक्ष निष्पादन सुरक्षा राशि एवं असंतुलित बोली की राशि निविदाओं के पुनः आमंत्रण पर अतिरिक्त वित्तीय भार की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी। साथ ही, एक²¹ अन्य प्रकरण में यद्यपि कम्पनी ने अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा के समक्ष ₹ 8.36 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाया परन्तु मुकदमेबाजी के कारण इसे मूर्त रूप नहीं दे सकी। यदि कम्पनी ने जोखिम एवं लागत वाक्यांश को संविदा करारों में शामिल किया होता, तो निष्पादित नहीं किये गये कार्यों का अतिरिक्त वित्तीय भार दोषी ठेकेदारों से वसूला जा सकता था।

ठेकेदारों द्वारा निष्पादन नहीं किये जाने के कारण कम्पनी द्वारा वापस लिये गये कार्यों एवं बोलियों को पुनः आमंत्रित करने के कारण ₹ 15.47 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय भार का विवरण अनुबन्ध-15 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ठेकेदारों ने बोली निर्धारित शर्तों पर दी एवं पूर्व में बोली लगाये गये कार्यों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, तथापि, आगामी निविदाओं में प्रबन्धन इसका ध्यान रखेगा। इसने यह भी कहा कि इस हेतु आज तक कोई वित्तीय भार उत्पन्न नहीं हुआ। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि नई बोलियों में उल्लेखित मात्राओं व दरों के आधार पर गणना की गई अतिरिक्त लागत पिछली बोलियों से उच्च दरों पर कार्य प्रदान किये जाने के कारण वित्तीय धारिता से अधिक होगी। हमने यह भी देखा कि बीकानेर बाईपास की पिछली निविदा प्रलेखों में कम्पनी ने जोखिम एवं लागत वाक्यांश को सम्मिलित किया था।

कार्य का दोषपूर्ण निष्पादन

2.2.27 कम्पनी ने सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़क का कार्य (विद्यमान दो लेन से चार लेन) ₹ 183.15 करोड़ के व्यय पर निष्पादित किया (सितम्बर 2010 से मई 2011)। इस सड़क

20 यदि सफल बोलीदाता की बोली राशि संविदा के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्य की अभियन्ता की लागत से कम होगी, तो बोली 'असंतुलित बोली' मानी जायेगी एवं बोली राशि घटायें अभियन्ता की लागत को असंतुलित राशि माना जायेगा।

21 जोधपुर-औसियां-फलौदी सड़क।

पर टोल संग्रहण 5 मई 2011 से प्रारंभ किया गया था। तथापि, सड़क को नुकसान पहुँचने एवं कुछ भागों का कार्य अपूर्ण होने के कारण टोल संग्रहण प्रक्रिया को रोक दिया गया था (11 सितम्बर 2011)।

हमने पाया कि पीडब्ल्यूडी एवं राज्य सरकार ने सड़क की क्षति/विफलता के कारणों को चिन्हित/जाँच करने हेतु, उत्तरदायित्व का निर्धारण करने हेतु एवं दोषों को दूर करने की लागत निर्धारण हेतु तीन समितियों²² का गठन किया (25 अगस्त 2011 एवं 8 फरवरी 2012 के मध्य)। पीडब्ल्यूडी द्वारा गठित समिति (17 नवम्बर 2011) को सात दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था जबकि राज्य सरकार द्वारा गठित (8 फरवरी 2012) समिति को 29 फरवरी 2012 तक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना था। समितियों के निष्कर्षों को गोपनीय मानते हुये कम्पनी ने उपलब्ध नहीं करवाये थे। आगे यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने कम्पनी के नौ अभियंताओं को निलंबित (जुलाई 2012) किया एवं उस समय के प्रबंध निदेशक को आरोप-पत्र भी जारी किया।

तथापि, पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण टिप्पणियों से प्रकट हुआ कि क्षति, भारी वर्षा एवं बारिश का पानी सड़क के मध्य से बहने के कारण उत्पन्न हुई। आगे यह भी पाया गया कि कम्पनी ने आरोप लगाये कि ठेकेदारों द्वारा कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की विशिष्टताओं के अनुसार निष्पादित नहीं किया था जबकि ठेकेदारों ने कम्पनी पर आरोप लगाये कि डीपीआर तैयार करने हेतु नियुक्त सलाहकार में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी थी एवं तैयार की गई डीपीआर दोषपूर्ण थी। ठेकेदार ने आगे आरोप लगाया कि सड़क के निष्पादन के दौरान कम्पनी के अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता मुद्दों पर कोई शिकायत नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि जाँच पहले से ही शुरू की जा चुकी थी एवं गुणवत्ता कार्य की सुनिश्चितता हेतु सभी संभव प्रयास किये गये थे। यह भी कहा गया था कि करार में दोष उत्तरदायित्व/अनुरक्षण गारंटी वाक्यांश समाहित है एवं तदनुसार फर्म को अगले छः वर्षों तक अनुरक्षण एवं दोषों का निवारण करना है। उत्तर में तथापि, यह उल्लेखित नहीं है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा सड़क के सार-बिल यह कहते हुये प्रमाणित किये गये थे कि कार्य पीडब्ल्यूडी की विशिष्टताओं के अनुरूप किया गया है।

इकाईयों के मध्य अनुचित समन्वय

2.2.28 कम्पनी की विभिन्न इकाईयों के मध्य समन्वय अनिवार्य है जब एक ही सड़क के विभिन्न भागों का निष्पादन विभिन्न इकाईयों द्वारा किया जा रहा हो। डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़ सड़क को तीन इकाईयों के मध्य दस भागों में विभाजित किया गया था। तीन भाग (0-10, 10-20 एवं 30-40) उदयपुर-I के अधीन थे, दो भाग (20-30 एवं 40-50) उदयपुर-II के अधीन थे एवं शेष पाँच भाग (50-60, 60-70, 70-80, 80-90 एवं 90-99) चित्तौड़गढ़-I इकाई के अधीन थे। इन तीन इकाईयों द्वारा विभिन्न निविदाओं के अंतर्गत सात पूर्ण किये गये भागों के विभिन्न कार्यों के निष्पादन की समीक्षा में निम्न कमियाँ पायी गईं।

22 अधीक्षण अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी) के अन्तर्गत पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रथम समिति अगस्त 2011 में, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी) मण्डल-1, जयपुर की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी द्वारा द्वितीय समिति नवम्बर 2011 में एवं राज्य सरकार द्वारा तृतीय समिति फरवरी 2012 में सलाहकार (इन्फ्रा) आरएसआरडीसीसी के अन्तर्गत।

(अ) हमने पाया कि चित्तौड़गढ़ इकाई ने ट्री-गार्ड का कार्य मुख्य कार्यादेश में ही शामिल किया एवं जी-अनुसूची की दर में से निविदा छूट घटाने के पश्चात् ₹ 513.42 प्रति ट्री-गार्ड की दर पर निष्पादित करवा लिया। तथापि, इकाई-I एवं इकाई-II ने इसी कार्य के लिये पृथक ठेके क्रमशः ₹ 1550 एवं ₹ 2000 प्रति ट्री गार्ड की लागत पर प्रदान किये। हमने देखा कि सभी तीनों इकाईयों में ट्री-गार्ड के कार्य के निष्पादन में समन्वय एवं समरूपता का अभाव था जैसे कि चित्तौड़गढ़ इकाई ने लोहे के ट्री गार्ड लगवाये जबकि उदयपुर-I एवं II ने आरसीसी के ट्री गार्ड लगवाये।

इस प्रकार इकाईयों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के ट्री गार्ड लगवाने से ₹ 40.57 लाख²³ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंध ने कहा कि विभिन्न भागों के कार्यों को विभिन्न इकाईयों द्वारा किया गया था परन्तु डीपीआर एक ही सलाहकार द्वारा बनायी गई थी। अतः बड़ी मदों में विचरण नहीं था एवं भाग की विशेष आवश्यकता के पेटे वहाँ मामूली विचरण रह सकते हैं, जो कि अतिरिक्त व्यय के रूप में विचारित नहीं किये जा सकते हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि ट्री गार्ड भाग विशेष मद नहीं था एवं डीपीआर के अनुसार एकरूपता बनायी रखी जानी थी।

(ब) उदयपुर-II ने विभिन्न भागों पर केन्द्रीय पट्टी में कृषि मिट्टी भरवाने का कार्य बीएसआर (सड़क आर-3 हेतु मिट्टी कार्य) के अध्याय की मद संख्या-8 के द्वारा जी-अनुसूची की दर में से निविदा छूट घटाने के पश्चात् ₹ 66.50 प्रति घन मीटर एवं ₹ 66.97 प्रति घन मीटर की लागत पर निष्पादित करवाया। तथापि, उदयपुर-I इकाई ने कार्य को जी-अनुसूची में शामिल नहीं किया था एवं इसे एच-अनुसूची में सम्मिलित कर निविदायें आमंत्रित की, जोकि सभी तीनों भागों हेतु ₹ 125 प्रति घन मीटर पर प्रदान किया गया था। हमने देखा कि कार्य की प्रकृति के साथ दृढ़ता से जाकर लागू बीएसआर के अन्तर्गत यह बागवानी अध्याय (आर-10) की तीन मदों²⁴ (संख्या 3, 8 एवं 9) को संयुक्त करके निष्पादित किया जा सकता था जिसकी संयुक्त लागत ₹ 109 प्रति घन मीटर थी। निविदा छूट का प्रभाव देने के पश्चात् कम्पनी को पड़ने वाली लागत ₹ 84.46 से ₹ 85.91 प्रति घन मीटर की सीमा में थी।

समान कार्य के निष्पादन में असमानता, उप महाप्रबन्धक एवं मुख्यालय, जिनसे प्रत्येक इकाई के परियोजना निदेशकों द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रलेखों की जाँच किया जाना अपेक्षित था, के स्तर पर अनुचित निगरानी/पर्यवेक्षण के कारण थी।

इस प्रकार समान कार्य में समरूपता का पालन नहीं किये जाने के कारण ₹ 8.27 लाख²⁵ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा कि किसी कार्य हेतु दरों को उद्धृत करते समय ठेकेदार उस कार्य के निष्पादन में शामिल मदों पर विचार करता है। मद को परिवर्तित करने पर प्राप्त हुई दरें भिन्न होंगी। साथ

23 (₹ 1550- ₹ 513.42) X 2001+ (₹ 2000- ₹ 513.42) X 1334 (ट्री गार्डों की संख्या)।

24 मद संख्या 3 - कार्य स्थल/भण्डार पर रखे हुये गारे की आपूर्ति (₹ 73 प्रति घन मीटर), मद संख्या 8 - स्लज फार्म यार्ड स्वाद को फैलाना अथवा/एवं आवश्यक मोटाई की अच्छी मिट्टी (स्लज का मूल्य फार्म यार्ड स्वाद अथवा/एवं अच्छी मिट्टी का पृथक रूप से भुगतान किया जाना) (₹ 32 प्रति घन मीटर) एवं मद संख्या 9 - निर्दिष्ट अथवा निर्देशित मात्रा में मिट्टी एवं स्लज अथवा फार्म यार्ड स्वाद का मिश्रण (₹ 4 प्रति घन मीटर)।

25 (दर जिस पर कार्य प्रदान किया गया - जी-अनुसूची के अनुसार दर) X निष्पादित किये गये कार्य की मात्रा यथा [(₹ 125- ₹ 84.46) X 7000 घन मीटर + (₹ 125 - ₹ 85.91) X 7000 घन मीटर + (₹ 125 - ₹ 85.04) X 6740.91 घन मीटर]

ही, विभिन्न मदों के समूह को उसी दर पर अनुमानित करना एवं अतिरिक्त व्यय अथवा हानि की गणना करना व्यावहारिक नहीं था। उत्तर का मुद्दे के साथ सामंजस्य नहीं था क्योंकि कम्पनी से समान कार्यों के निष्पादन में मितव्ययता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निविदाओं की जी-अनुसूची की मदों में समानता की जाँच करना एवं बनाये रखना अपेक्षित था।

ग्राहक द्वारा कार्य वापिस लिया जाना

2.2.29 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) ने 2×250 मेगावाट छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना के आधारभूत सिविल-कार्य, कम्पनी को ₹ 4.33 करोड़ की वास्तविक लागत (बाद में ₹ 8.16 करोड़ से संशोधित) एवं 7.5 प्रतिशत सेन्टेज प्रभार जोड़कर कार्यस्थल सुपुर्द किये जाने की दिनांक से नौ माह के भीतर नियत पूर्णता तिथि के साथ आवंटित किया (फरवरी 2006)। कार्यस्थल कम्पनी को फरवरी 2006 में सुपुर्द किया गया था एवं कम्पनी ने अपने कर्मचारी मार्च 2006 से कार्यस्थल पर लगा दिये।

हमने पाया कि यद्यपि कम्पनी ने कार्य को विभाजित²⁶ किया एवं छः ठेकेदारों को प्रदान किया (मार्च 2006) परन्तु सभी कार्यों का एक साथ प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित नहीं किया था क्योंकि मार्च एवं अप्रैल 2006 के दौरान केवल तीन²⁷ कार्य प्रारंभ किये जा सके। आरआरवीयूएनएल द्वारा मई एवं जुलाई 2006 के मध्य कई बार कम्पनी को कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने व कार्य की धीमी प्रगति के बारे में अवगत कराया गया था। आरआरवीयूएनएल ने कार्यस्थल पर ठेकेदारों के कार्य की निगरानी हेतु पर्यवेक्षण कर्मचारियों की अनुपलब्धता के बारे में भी शिकायत की थी। तथापि, आरआरवीयूएनएल के कई स्मरण पत्रों के बावजूद भी कम्पनी, कार्य को आरआरवीयूएनएल के वांछित सन्तुष्टि स्तर तक गति प्रदान नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, आरआरवीयूएनएल ने 30 नवम्बर 2006 से कार्य रोक देने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2006), तब तक कम्पनी द्वारा ₹ 2.16 करोड़ के कार्य निष्पादित किये गये थे।

इस प्रकार, पर्यवेक्षण एवं कम्पनी व ठेकेदारों के मध्य समन्वय के अभाव की परिणति आरआरवीयूएनएल द्वारा कार्य वापिस लिये जाने के रूप में हुई एवं निष्पादित नहीं किये गये कार्यों पर सेन्टेज प्रभार के पेटे ₹ 45 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा कि आरआरवीयूएनएल द्वारा कार्य विशिष्टताओं एवं आरेखण में परिवर्तन के कारण कार्य रोकना पड़ा। उत्तर सही नहीं था क्योंकि छः माह समाप्त हो जाने के पश्चात् भी तीन कार्य प्रारंभ नहीं किये गये थे एवं एक कार्य ठेकेदार की धीमी प्रगति की वजह से वापिस लिया गया था।

सज्जनगढ़ में जैविक उद्यान का कार्य

2.2.30 वन्यजीव विभाग उदयपुर ने कम्पनी को सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में विभिन्न भवनों एवं चारदीवारी के निर्माण का कार्य वास्तविक लागत में नौ प्रतिशत सेन्टेज प्रभार जोड़कर आवंटित किया (अक्टूबर 2008)। सम्पूर्ण परियोजना हेतु ₹ 14.75 करोड़ की अनुमानित लागत में से अगस्त 2010 तक प्रथम चरण में ₹ 5.30 करोड़ के कार्य निष्पादित किये जाने थे।

26 (i) चारदीवारी भाग-अ, (ii) चारदीवारी भाग-ब, (iii) फील्ड छात्रावास, (iv) कार्यालय व भण्डार शेड, (v) सड़क एवं (vi) तारबन्दी कार्य।

27 (i) चारदीवारी भाग-अ, (ii) कार्यालय व भण्डार शेड एवं (iii) तारबन्दी कार्य।

हमने पाया कि कम्पनी, नियोजन के अभाव एवं विभिन्न परियोजना गतिविधियों के मध्य अनुचित समन्वय के कारण मई 2012 तक ₹ 4.33 करोड़ के प्रथम चरण परियोजना कार्य ही पूर्ण कर सकी। कम्पनी ने सीमेन्ट एवं स्टील को छोड़ते हुये एवं परियोजना की रूपरेखा तैयार करने हेतु वास्तुशिल्पीय सलाहकार को लगाये बिना, निर्माण कार्य अगस्त 2010 तक नियत पूर्णता के साथ ₹ 2.74 करोड़ में प्रदान किया (अगस्त 2009)। वास्तुशिल्पीय सलाहकार अत्यधिक विलंब से फरवरी 2010 में नियुक्त किया गया था।

हमने आगे पाया कि रूपरेखा/आरेखण/विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिये बिना निर्माण कार्य प्रदान किये जाने के कारण, कम्पनी एवं ठेकेदार के मध्य मतभेद उत्पन्न हुये। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार ने जी-अनुसूची से परिवर्तित विशिष्टताओं के अनुसार कार्य करने से मना कर दिया एवं इसलिये कम्पनी ने ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर ठेका निरस्त कर दिया (सितम्बर 2010)। कम्पनी ने पूर्व में दोषी फर्म को कार्य अगस्त 2011 तक की नियत पूर्णता अवधि के साथ पुनः प्रदान किया (जनवरी 2011)। कम्पनी आगे भी इसके द्वारा सामग्री/रूपरेखा/आरेखण प्रदान करने में देरी एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के विवादों के कारण कार्य को पूर्ण नहीं करवा सकी। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने पुनः संविदा को निरस्त किया (दिसम्बर 2011) एवं ठेकेदार को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। दोनों ठेकेदारों ने कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी एवं नये ठेके को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना शेष था (नवम्बर 2012)। इससे ना केवल प्रथम चरण के निष्पादित नहीं किये गये भाग पर ₹ 19.44 लाख के सेन्टेज प्रभारों की वसूली में विलंब हुआ अपितु ठेकेदारों के साथ मुकदमेबाजी को भी बढ़ाया।

प्रबंधन ने विलंब एवं मुकदमेबाजी के तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि ₹ 5.30 करोड़ की स्वीकृति के समक्ष ₹ 4.33 करोड़ का कार्य पूर्ण किया गया था एवं वनविभाग ने ₹ 20 करोड़ के कार्यों की संशोधित स्वीकृति जारी करने का आश्वासन प्रदान किया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि अनुचित संविदा प्रबंधन के कारण संविदा को दो बार निरस्त करना पड़ा एवं आगामी संविदा को अभी तक (नवम्बर 2012) अंतिम रूप दिया जाना था।

खुदी हुई मिट्टी का प्रयोग नहीं किये जाने के कारण परिहार्य व्यय

2.2.31 बीएसआर एवं सड़कों के निर्माण हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 'खुदी हुई मिट्टी के साथ निर्माण' एवं 'दूसरे गढ़दों (निजी भूमि) में से मिट्टी के साथ निर्माण' की भिन्न-भिन्न दरें वर्णित की गई थी। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम बिलों की जाँच से प्रकट हुआ कि निर्माण में ठेकेदारों द्वारा खुदी हुई मिट्टी का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था एवं बल्कि उन्होंने दूसरे गढ़दों से निर्माण का दावा किया। चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-डबोक एवं सूरतगढ़-हनुमानगढ़ सड़कों के भागों की नमूना जाँच में खोदी हुई मिट्टी, निर्माण में उपयोग की गई खुदी हुई मिट्टी एवं उपयोग नहीं की गई मिट्टी की स्थिति अनुबन्ध-16 में दी गई है।

पुलियाओं, पुलों एवं नालों से खोदी गई 9.30 लाख घन मीटर मिट्टी के समक्ष निर्माण कार्यों में 8.41 लाख घनमीटर मिट्टी का उपयोग किया गया था। खोदी गई 0.90 लाख घनमीटर मिट्टी का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹ 41.07 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि कार्य, दूसरे गढ़दों से मिट्टी लेकर निष्पादित किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा कि खोदी गई उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किये जाने हेतु सभी संभव प्रयास किये गये थे, यदि यह भराव में उपयोग हेतु उपयुक्त एवं परिवहन में मितव्ययी थी। अधिकांशतया अधिशेष उपलब्ध मिट्टी इसके उपयोग के भाग से दूरस्थ भाग में थी एवं ऐसे मामलों में परिवहन, लदान, उतारना पास के दूसरे गड्ढों से मिट्टी लेने से अधिक मंहगा साबित होता। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी को एक स्थान विशेष पर उपलब्ध खोदी गई मिट्टी एवं इसे उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को दर्ज करना था। तथापि, ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित किया जाना नहीं पाया गया था एवं खोदी गई मिट्टी का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को भी अभिलेखित नहीं किया गया था।

उच्च दरों के बावजूद एकमात्र बोलीदाता को कार्य प्रदान किया जाना

2.2.32 राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय व लेखा नियम (जीएफएण्डएआर) भाग-II के नियम 55 में दिया गया है कि प्राप्त निविदायें तीन से कम होने एवं दरों की औचित्यता के बारे में समिति के सन्तुष्ट नहीं होने के मामले में पुनः निविदा किया जाना आवश्यक होगा। कम्पनी के मैनुअल के वाक्यांश 6.8 में आगे दिया गया है कि यदि न्यूनतम बोलीदाता मोलभाव में उसकी दरों को कम नहीं करता अथवा कम की गई दरों को अभी भी उच्च मानने के मामले में, निविदा स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी एक उत्तरोत्तर प्रस्ताव तैयार कर सकता है एवं न्यूनतम बोलीदाता को इसे स्वीकार्य करने हेतु कह सकता है। यदि यह न्यूनतम बोलीदाता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तब स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी निविदायें रद्द कर सकता है अथवा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अन्य बोलीदाताओं को वही उत्तरोत्तर प्रस्ताव दे सकता है।

कम्पनी ने निविदायें, दरों की औचित्यता को सुनिश्चित किये बिना उच्च दरों पर प्रदान की। कुछ प्रकरणों में निविदाओं को पुनः आमंत्रित किये जाने के स्थान पर, जैसा कि जीएफएण्डएआर एवं कम्पनी के मैनुअल के अन्तर्गत वांछित है, निविदायें एक मात्र बोलीदाता को प्रदान की गई थी। चयनित इकाईयों में पाये गये मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

कार्य का नाम	न्यूनतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें	कम्पनी के आंतरिक अनुमान	क्या निविदा पुनः आमंत्रित की गई	पुनः निविदा करने पर प्राप्त दरें	दरें जिन पर निविदा प्रदान की गई
ऐम्स जोधपुर में छात्रावास का निर्माण	जी अनुसूची से 24.50 प्रतिशत ऊपर (एकमात्र बोलीदाता)	-	नहीं	लागू नहीं	जी-अनुसूची से 24.50 प्रतिशत ऊपर
उदयपुर में एलएसक्यू व यूएसक्यू कैम्पस का निर्माण	जी-अनुसूची से 30 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 22.95 प्रतिशत ऊपर	हाँ	जी-अनुसूची से 23.51 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 23.51 प्रतिशत ऊपर
	जी-अनुसूची से 29.81 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 22.93 प्रतिशत ऊपर	हाँ	जी-अनुसूची से 23.51 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 23.51 प्रतिशत ऊपर
	जी-अनुसूची से 34 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 22.87 प्रतिशत ऊपर	हाँ	जी-अनुसूची से 19 प्रतिशत ऊपर	जी-अनुसूची से 19 प्रतिशत ऊपर

(अ) ऐम्स, जोधपुर में छात्रावासों के निर्माण के मामले में, कार्य को तीन भागों में विभाजित किया गया था एवं निविदा प्रक्रिया में केवल एकमात्र निविदाकर्ता ने भाग लिया (दिसम्बर 2007)। बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें उच्च पाई गई थीं परन्तु वार्ता के दौरान बोलीदाता ने जी-

अनुसूची की उद्धृत दरों को कम करने से इन्कार कर दिया। कम्पनी ने पुनः निविदा आमंत्रण के विकल्प के बजाय उद्धृत दरों पर निविदा प्रदान कर दी (जनवरी 2008)।

प्रबंधन ने कहा कि निविदा पुनः आमंत्रण के विकल्प को अपनाने के बिना ही इन कारणों से प्रदान की गई कि (i) बोलीदाता ने वार्ता के दौरान उद्धृत दरों को कम नहीं किया था, (ii) आवासीय अभियंता द्वारा किया गया दर का विश्लेषण उद्धृत दरों से उच्च तरफ था, (iii) समान प्रकार का कार्य, उसी समयावधि में जी-अनुसूची की दरों से 24.60 प्रतिशत ऊपर प्रदान किया गया था एवं (iv) यह एक निविदा कार्य था एवं कार्य के विलंब हेतु शास्ति लगाई जा सकती थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि कार्य निष्पादित करने हेतु कम्पनी के आंतरिक अनुमान ₹ 4.50 करोड़ के थे, जबकि कार्य ₹ 5.43 करोड़ पर प्रदान किया गया था। तथ्य यही रहा कि एकमात्र बोलीदाता एवं अनुमानों से अधिक दरों के बावजूद मैनुअल तथा जीएफएण्डएआर के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी।

(ब) उदयपुर में एलएसक्यू एवं यूएसक्यू कैम्पस के निर्माण के मामले में ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों को उच्च पाये जाने पर कम्पनी ने ठेकेदार से मोलभाव किया (2 जनवरी 2008) जिसने कि इसके फलस्वरूप भाग-I, II एवं III के लिये दरों को क्रमशः 29.25, 29.31 एवं 33 प्रतिशत बीएसआर से ऊपर तक कम किया परन्तु यह भी प्रबंधन द्वारा अधिक मानी गई थी। साथ ही, इकाई ने भी बीएसआर के ऊपर क्रमशः 22.95, 22.93 एवं 22.87 प्रतिशत दरें प्रस्तुत की (23 जनवरी 2008) परन्तु यह भी यथोचित नहीं पाई गई थी एवं कम्पनी ने निविदा को निरस्त कर दिया। पुनः आमंत्रित किये जाने पर (फरवरी 2008) केवल एकमात्र बोलीदाता ने भाग-I एवं II के लिये दर बीएसआर से 23.51 प्रतिशत ऊपर उद्धृत की जबकि भाग-III हेतु तीन बोलीदाताओं में से न्यूनतम दर बीएसआर से 19 प्रतिशत ऊपर प्राप्त हुई।

हमने पाया कि यद्यपि भाग-I एवं II हेतु दरें इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुमानों, जो की उच्च तरफ पाये गये थे, से अधिक थी फिर भी कम्पनी ने ठेका एकमात्र बोलीदाता को बिना मोलभाव किये प्रदान कर दिया (मार्च 2008)।

प्रबंधन ने कहा कि इकाई द्वारा मौजूदा बाजार दरों के आधार पर किये गये संशोधित दर विश्लेषण (बीएसआर से 24.05 प्रतिशत ऊपर) के अनुसार उद्धृत दरों को उचित पाया गया था एवं तदनुसार कार्य प्रदान किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निविदा पुनः आमंत्रित किये जाने पर केवल उसी एकमात्र बोलीदाता ने पुनः दरें उद्धृत की एवं कम्पनी ने बाजार रुझान, जो कि कम हो रहा था जैसा कि भाग-III हेतु एवं भाग-I एवं II में प्राप्त नई दरों से स्पष्ट है, को न्यायोचित ठहराये बिना उद्धृत दरों पर ही कार्य प्रदान किया।

यांत्रिक इकाई

2.2.33 भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले टिप्पर व ट्रकों सहित संयंत्र व मशीनरी एवं उपकरण कम्पनी के मुख्यालय में स्थित यांत्रिक इकाई के नियंत्रण में रहते हैं। यांत्रिक इकाई के प्राथमिक कार्यों में संयंत्र व मशीनरी एवं उपकरणों के साथ ही कार्यालय वाहनों का क्रय, संचालन एवं अनुरक्षण के साथ-साथ लॉग-बुकों का संधारण करना भी समाहित है।

मार्च 2012 को समाप्त पिछले छः वर्षों के इकाई के कार्यशील परिणाम निम्न प्रकार थे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सिविल इकाईयों पर भारित किया गया किराया प्रभार	1.33	2.48	0.71	3.82	4.48	8.58
ठेकेदारों से प्राप्त किराया प्रभार	0.24	0.23	0.25	0.07	0.06	-
पीडब्ल्यूडी से प्राप्त किराया प्रभार	-	0.19	0.40	0.04	-	-
स्थायी सम्पत्ति के विक्रय से लाभ	0.14	-	-	0.01	0.20	0.01
विविध प्राप्तियाँ	0.07	-	0.01	0.05	0.06	0.03
कुल राजस्व	1.78	2.90	1.37	3.99	4.80	8.62
संयंत्र संचालन व्यय	1.55	2.90	1.20	2.23	3.76	6.22
मूल्य ह्रास	0.26	0.19	0.14	0.11	0.16	0.16
दरें एवं कर	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08
स्थापना व्यय (श्रमिक)	0.75	0.86	1.35	1.56	1.60	1.74
स्थापना व्यय (अधिकारी)	0.48	0.32	0.25	0.43	0.59	0.73
अन्य व्यय	0.36	0.42	0.42	0.41	0.46	0.63
कुल व्यय	3.47	4.75	3.41	4.80	6.64	9.56
शुद्ध परिणाम	(1.69)	(1.85)	(2.04)	(0.81)	(1.84)	(0.94)

यह देखा जा सकता है कि संयंत्र एवं मशीनरी के उपयोग पर भारित किया जाने वाला किराया प्रभार, यांत्रिक इकाई के राजस्व का मुख्य स्रोत है। यांत्रिक इकाई का समग्र निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसने कम्पनी के लाभों में ऋणात्मक रूप से योगदान दिया था। साथ ही, 2009-10 को छोड़कर सभी वर्षों में किराया प्रभार प्रत्यक्ष लागत (संयंत्र संचालन व्यय एवं श्रम) की पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं था।

हमने पाया कि राज्य सरकार ने पुल कार्यों को पीडब्ल्यूडी से कम्पनी (तात्कालिक आरएसबीसीसीएल) को स्थानांतरित (दिसम्बर 1981) करते समय ब्याज तत्व को छोड़ते हुये मशीनरी के किराये प्रभार (श्रम लागत को सम्मिलित करते हुये) को वास्तविक लागत में शामिल किया जाना अनुमत्य किया। तथापि, कम्पनी ने निक्षेप कार्यों पर भारित की जाने वाली लागत का निर्धारण करते समय मशीनरी पर नियोजित श्रम लागत के तत्व को किराया प्रभार में शामिल नहीं किया था एवं परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के श्रम प्रभार कम वसूल हुये थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि कम्पनी के पास सड़क निर्माण कार्यों के अपर्याप्त होने के कारण यांत्रिक इकाई में उपलब्ध मशीनरी एवं मानव-शक्ति का पूर्व वर्षों में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, किराया प्रभार से होने वाली आय से व्यय अधिक रहे थे। सड़क कार्यों का अधिकाधिक विभागीय निष्पादन के द्वारा विभागीय व्ययों को नियंत्रित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसने आगे कहा कि कम्पनी ने पिछले वर्षों में किराया प्रभार का निर्धारण करते समय प्रत्यक्ष श्रम लागत को ध्यान में नहीं रखा था। तथापि, 2012-13 से श्रम की प्रत्यक्ष लागत को किराया प्रभार के निर्धारण करने में ध्यान में रखा जा रहा है। इकाई में हानि के प्रमुख कारणों का विवेचन नीचे किया गया है:

संयंत्र व मशीनरी का उपयोग

2.2.34 भूतल परिवहन मंत्रालय (एमओएसटी) ने सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न संयंत्रों व मशीनरी हेतु 'अनुपयोगी घोषित करने हेतु आर्थिक जीवन' एवं 'वार्षिक उपयोगिता मानकों' की क्रमशः दिसम्बर 1993 एवं मई 1998 में अनुशंसा की। साथ ही, कम्पनी मैनुअल में दिया गया है कि यांत्रिक इकाई द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक मशीन/उपकरण की माह-वार उपयोगिता का संकलन किया जायेगा तथा इसकी तुलना वार्षिक उपयोगिता मानकों से की जायेगी। इस संबंध में प्रबंध निदेशक को एक प्रतिवेदन कम उपयोगिता के कारणों का पता लगाने की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया जाना था। कम्पनी के स्वामित्व में संयंत्र व मशीनरी एवं उनकी उपयोगिता का विवरण **अनुबन्ध-17** में दिया गया है। हमने देखा कि:

- मार्च 2012 को मशीनरी (क्रेन को छोड़कर) का समग्र उपयोग, एमओएसटी द्वारा अनुशंसा किये गये वार्षिक मानक घंटों के समक्ष मात्र 41.41 प्रतिशत था एवं पृथक-पृथक उपयोग 22.24 एवं 79.38 प्रतिशत के मध्य था। साथ ही, पेवर-फिनिशर्स के मामले में 800 घंटों के वार्षिक उपयोग मानक के समक्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान औसत वार्षिक उपयोग 32.83 एवं 787.33 घंटों के मध्य था। रोड रोलर, वाइब्रोमेक्स रोलर एवं साँइल-काम्पेक्टर के मामले में यह 1000 घंटों के मानकों के समक्ष क्रमशः 423.83, 712 एवं 476.50 घंटों का था।

संयंत्र व मशीनरी का उपयोग यद्यपि मानकों से कम रहा, फिर भी इकाई ने मशीनों के उपयोगिता अनुपात में सुधार संबंधी निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक को माह-वार एवं मशीन-वार प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे।

- अनुपयोगी घोषित करने के आशय हेतु, एमओएसटी ने संयंत्र व मशीनरी के आर्थिक जीवन हेतु दो मापदण्डों यथा वर्ष अथवा घंटों, जो भी बाद में हो, की अनुशंसा की। पेवर-फिनिशर्स-3, वाइब्रोमेक्स रोलर एवं क्रेन-5 ने वर्षों एवं घंटों दोनों में ही आर्थिक जीवन पूर्ण कर लिया था। इन समय पूर्ण कर चुकी मशीनरी पर अधिक मरम्मत व अनुरक्षण व्यय की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है परन्तु मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के मशीन-वार विवरणों के अभाव में यह हमारे द्वारा विश्लेषित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने अनुच्छेद 2.2.33 हेतु प्रस्तुत किये गये उत्तर के अतिरिक्त कहा कि मशीनों की अधिक उम्र होने की वजह से भारी संयंत्र संचालन व्यय हुये थे एवं इन्हें नियंत्रित किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे।

निष्कर्ष

कम्पनी ने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना तैयार नहीं की थी एवं पूर्णरूप से राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यों पर ही निर्भर थी। इसके स्वयं के द्वारा प्राप्त किये गये कार्य लगभग नगण्य थे। मैनुअल के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी एवं बजट में विचरणों के विश्लेषण नहीं किये गये थे। अनुचित नियोजन एवं अपर्याप्त संविदा प्रबंधन, परियोजनाओं के पूर्ण

होने में विलंब का कारण रहा। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान सरकार के साथ एमओयू के प्रावधानों के उल्लंघन में अधिक टोल संग्रहण किया गया था। परियोजना का सूत्रीकरण नियमानुसार नहीं था जिसके कारण लाभ की कम वसूली हुई एवं साथ ही, सेन्टेज प्रभार भी प्रशासकीय लागत की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे। कम्पनी ने अव्यवहार्य सड़क परियोजनायें निष्पादित की एवं निविदाओं का अनुचित मूल्यांकन, लागत व जोखिम वाक्यांश का अभाव एवं इकाइयों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। संयंत्र व मशीनरी का भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुशंसा किये गये मानक घंटों के समक्ष कम उपयोग हुआ था।

अनुशंसायें

कम्पनी को चाहिये कि:

- सुपुर्द किये गये कार्यों पर निर्भरता को न्यूनतम करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना एवं वार्षिक योजना तैयार की जाये;
- मैनुअल, नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना करे;
- कार्यों के निष्पादन में विलंब को टालने हेतु उचित नियोजन, प्रभावी निगरानी एवं टेकेदारों के साथ-साथ ग्राहकों से समन्वय सुनिश्चित करे;
- लाभदायिकता बनाये रखने हेतु परियोजनाओं की व्यवहार्यता एवं सेन्टेज प्रभारों की पर्याप्तता सुनिश्चित करे; तथा
- संयंत्र एवं मशीनरी का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करे।